Friday, 07 March, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

17 LSS/75 – 1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 7 मार्च, 1975/16 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 15, Friday, March 7, 1975/Phalguna 16, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 262, 263, 265, 266, 268, 269 और 271	*Starred questions Nos. 262, 263, 265 266, 268, 269 and 271 . . .	1
प्रश्नो के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 264, 267, 270 और 272 से 281	Starred Questions Nos. 264, 267, 270 and 272 to 281	18
अतारांकित प्रश्न संख्या 2559 से 2581, 2583 से 2599, 2601 से 2674 2676 से 2702 और 2704 से 2758	Unstarred Questions Nos. 2559 to 2581, 2583 to 2599, 2601 to 2674, 2676 to 2702 and 2704 to 2758 . . .	23
आसाम के समाजवादी नेता श्री गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Shri Goswami, a Socialist Leader of Assam	132
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	132
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	134
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha . .	135
(1) अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक	(1) All India Services (Amendment) Bill	135
(2) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर्स (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	(2) Former Secretary of State Service Officers Conditions of Service Amendment Bill	135
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	135
135वां प्रतिवेदन	Hundred and thirty fifth Report	
बिहार और गुजरात में चुनावों के बारे में याचिका लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों आदि के बारे में	Petition re. Elections in Bihar and Gujarat, Socio-Economic Rights of the people, etc.	135
सरकारी कार्य के बारे में	Business of the House . .	136
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (श्री सैयद अहमद आगा)	Personal explanation by Member (Shri Syed Ahmed Aga)	139

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign +marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
समिति के लिए निर्वाचन (चाय बोर्ड)	Election of Committee (Tea Board)	144
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1974-75--विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry) 1974-75 Statement presented	145
तम्बाकू उपकर विधेयक--पुरःस्थापित किया गया	Tobacco Cess Bill—Introduced .	145
रेल बजट (1975-76)--सामान्य चर्चा	Railway Budget (1975-76) General Discussion	146
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya . .	146
श्री राम सूरत प्रसाद	Shri Ram Surat Prasad . . .	147
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee.	147
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	148
श्री बी० आर० शुक्ला	Shri B.R. Shukla .	148
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta . . .	149
श्री एस० बी० पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhai Rama Rao .	150
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	151
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	152
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda . . .	152
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi .	153
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal .	154
श्री विद्याधर बाजपेयी	Shri Vidya Dhar Bajpai . .	154
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	155
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chaplendu Bhattacharyyia	155
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha .	156
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	156
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht	157
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G.P. Yadav . .	157
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	157
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamalapati Tripathi	
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	Bills Introduced	157
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 270 का संशोधन और नये अनुच्छेद 364 क का (अन्तःस्थापन) श्री रण बहादुर सिंह का	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 270 and insertion of new article 364-A) by Shri Ranabahadur Singh . . .	158
(2) संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 171 का संशोधन) श्री ईरा सेझियान का	(2) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 171) by Shri Sezhiyan	158

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन) श्री मधु लिमये का ।	(3) Constitution (Amdnement) Bill (Amendment of article 352) by Shri Madhu Limaye	163
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 359 का संशोधन) श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 359) by Shri Madhu Limaye	163
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री आर० पी० उलगनम्बी का ।	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 324) by Shri R.P. Ulaganambi	159
विचार करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत हुआ	Motion to consider—negatived	159
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan .	159
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	159
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . .	160
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	161
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	161
श्री एम० रांम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	162
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma .	162
डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi .	163
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi .	165
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill .	167
अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन श्री प्रियरंजन दास मुंशी का	(Amendment of articles 101, 102 etc.) by Shri Priya Ranjan Das Munshi .	167
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	167
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	167

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 मार्च, 1975/16, फाल्गुन, 1896 (शक)

Friday, 7 March, 1975/Phalguna 16, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष' के लिए भारत का योगदान

*262. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष' को सफल बनाने के लिए अपने योगदान के रूप में पर्यटकों के लाभ हेतु भारत ने उदारतापूर्वक कुछ प्रस्ताव किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष 1975 के दौरान विदेशी पर्यटकों का स्वागत करने के लिये भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम की विशेष बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

1. पर्यटन महोत्सव

1975 के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में पर्यटन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं । शास्त्रीय तथा लोक नृत्यों एवं संगीत कार्यक्रमों जैसे दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । विदेशों में स्थित हमारे कार्यालयों के माध्यम से इनका पर्याप्त अग्रिम प्रचार किया जा रहा है ताकि विदेशी पर्यटक अपनी भ्रमण-सूचियों में इन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर सकें ।

2. पर्यटकों का स्वागत

महोत्सव सप्ताहों के दौरान उपर्युक्त चार शहरों में आने वाले पर्यटकों का वहां पहुचने पर फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया जायेगा तथा संबंधित होटलों द्वारा एक-एक छोटा सा स्मारिका स्वरूप उपहार भेंट किया जायेगा ।

3. औपचारिकताओं का सरलीकरण

प्रवेश औपचारिकताओं के सरलीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। कुछ मुख्य मुख्य उपाय निम्न-लिखित हैं :—

(क) भारत में बिना विज़ा के आने वाले पर्यटकों को यहां पहुंचने पर 28 दिन तक की अवधि के लिए 'मल्टी-एनट्री लैंडिग परमिट' दिए जाएंगे।

(ख) हिमालय के कतिपय क्षेत्रों को, जिन्हें अब तक विदेशी पर्यटकों के लिए बंद कर रखा था, अब खोल दिया गया है।

(ग) सीमा-शुल्क तथा आप्रवास अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे पर्यटकों के प्रति विशेष विनम्रता एवं शिष्टाचार दर्शाएं।

4. भारतीय लोगों से मिलने का कार्यक्रम

दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष के दौरान विदेशी यात्रियों के लिए पूरे आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः जोरदार तरीके से चलाने का निर्णय किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित विदेशी पर्यटक अपने हमपेशा भारतीय भाइयों से चाय पर उनके घरों में मिल सकेंगे। हमारे विदेशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से इस कार्यक्रम का वृहत् प्रचार किया जा रहा है।

5. पर्यटकों के प्रति शिष्टाचार पर बल

भारतीय लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्यटन विभाग द्वारा विशेष छोटी फिल्में बनायी गयी हैं जिन्हें सिनेमाघरों के माध्यम से पूरे भारत में दिखाया जाएगा। उक्त अभियान का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के प्रति शिष्टाचार की भावना को बढ़ावा देना है।

6. इण्डियन एयरलाइन्स पर भारत दर्शन किराये

इण्डियन एयरलाइंस ने अपने विमानों पर असीमित रूप से 14 दिन की यात्रा के लिये 200 अमरीकी डालर तथा 21 दिन की यात्रा के लिये 275 अमरीकी डालर के विशेष **भारत दर्शन** किरायों की घोषणा की है। यह किराया 1975 के दौरान भी लागू रहेगा।

श्री के० मालन्ना : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कोई पर्यटक परियोजनाएं बनाई गई हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने देश में विकास के लिये अनेक परियोजनाएं आरम्भ की हैं। यदि सदस्य महोदय किसी एक या दो परियोजनाओं का जिक्र करें तो मैं उनके बारे में उत्तर दे सकता हूं। परन्तु प्रश्न बहुत व्यापक और अस्पष्ट है।

श्री एन० के० सांघी : मंत्री महोदय को सुनकर मैं कह सकता हूं कि उठाये गये कुछ कदम सराहनीय हैं। परन्तु वे देश में पर्यटन के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय 1975 में पर्यटन के विकास हेतु होटलों के बिलों के भुगतान के लिये ट्रैवलर चैकों पर डिसकाउन्ट के रूप में पर्यटकों को कुछ वित्तीय या विशेष लाभ देगी जैसाकि दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में किया जाता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: यह एक अच्छा अनुकरणीय सुझाव है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री: क्या दक्षिण पूर्व एशिया पर्यटन वर्ष के भाग के रूप में हमारे देश के पूर्वी भाग के लिये भी, जहां पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है, यह छूट दी जायेगी ? क्या उस क्षेत्र में भी पर्यटन विकास परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: ऐसे अनेक क्षेत्र, जहां अब तक पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं थी, पर्यटकों के लिये खोल दिये गये हैं; ऐसा पूर्वी क्षेत्र तथा एक-दो अन्य स्थानों पर किया गया है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री: आसाम के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काजीरंग आखेट निषिद्ध क्षेत्र में, जहां पहले विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं थी, अब वे बिना किसी विशेष अनुज्ञा के सात-आठ दिन के लिये जा सकते हैं ।

डा० रानेन सेन: आपने कहा कि दार्जीलिंग विदेशी पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है । (क) क्या यह सच है कि इसके बावजूद हिमालय क्षेत्र के अन्य स्थानों की तुलना में वहां पर अब भी कुछ पाबन्दियां हैं; (ख) क्या भूटान और सिक्किम के मार्ग और स्थान अब भी विदेशी पर्यटकों के लिए खुले हैं, यदि नहीं, तो इस बारे में क्या पाबन्दियां हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: मैं दार्जीलिंग के बारे में कह चुका हूं कि विदेशी पर्यटक बिना किसी कठिनाई के वहां पर जा सकते हैं और हफ्ता-दस दिन ठहर सकते हैं ।

भूटान एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है और यह उनकी मर्जी है कि विदेशी पर्यटकों को आने दें या न आने दें । सिक्किम के बारे में, जहां तक मुझे जानकारी है कुछ पाबन्दियां हैं ।

श्री समर गुह: क्या दार्जीलिंग जाने के लिये कोई पर्मिट व्यवस्था है जिससे बहुत कठिनाई होती है । इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है और पर्मिट किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): इस देश में आने वाले प्रत्येक पर्यटक को यथासंभव शीघ्र एक बहु-प्रवेश पर्मिट लेना पड़ता है । दार्जीलिंग के लिये कोई नई व्यवस्था नहीं है । यही पर्मिट व्यवस्था यहां पर लागू है । आरम्भ में अपने नाम और पते देने जैसी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, जो पूरी की जानी होती हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया: क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशिया पर्यटन वर्ष मनाने के अवसर पर विदेशों से आने वाले तथा अन्तर्देशीय पर्यटकों के पर्याप्त आवास की व्यवस्था करने पर विचार करेगी । देश में पर्यटक होस्टलों का निर्माण किया जायेगा ? वित्तीय संस्थाओं की मजबूरियों के कारण इसका पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा के उपार्जन पर प्रभाव पड़ेगा । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को इन संस्थाओं द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दिलाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जायेगा ताकि देश में पर्यटन का विकास हो सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है । यदि हम अधिकाधिक पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं तो पर्याप्त आवास उपलब्ध करना होगा । होटलों में स्थान सहित सभी सम्बद्ध व्यवस्था करनी होगी । परन्तु वित्तीय मजबूरियों के कारण आवास की एकदम से व्यवस्था करना संभव नहीं है । होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक संभव कदम उठाया जा रहा है । भारतीय पर्यटन विकास निगम भी होटलों का निर्माण कर रहा है । प्राईवेट सैक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा उन्हें यथासंभव शक्य सभी मार्गदर्शन और सहायता दी जा रही है ।

बैंकों के साथ धोखाधड़ी

*263. †**श्री सतपाल कपूर :**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल में की गई जांच से उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में 50 लाख रुपये से अधिक राशि की बैंक-धोखाधड़ी का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों तथा शाखाओं के नाम क्या हैं जहां ऐसे मामलों का पता लगा है तथा प्रत्येक राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक के सम्बन्ध में पृथक-पृथक कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) बैंकों के साथ धोखाधड़ी के सम्बन्ध में अबतक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(घ) धोखाधड़ी के मामलों में कितने बैंक कर्मचारी शामिल हैं तथा प्रत्येक मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में बैंकों के साथ ऐसी कार्यवाही न होने देने के लिये सावधानी बरतने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि अपनी जांच पड़ताल के आधार पर जनवरी, 1975 में उसने, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बैंकों के साथ की गई धोखाधड़ी सम्बन्धी 7 फौजदारी मामलों में आरोप-पत्र न्यायालयों में दायर किये हैं । इन सात मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखा का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (लगभग) (लाख रुपयों में)
1.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	आगरा	21.60
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	बड़ा बाजार	3.65
3.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	मेरठ	0.35
4.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	मुबारकपुर	1.46
5.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	मुबारकपुर	0.17
6.	स्टेट बैंक आफ इंडिया पटियाला	मथुरा	2.32
7.	इलाहाबाद बैंक	कानपुर	1.10

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सूचना के अनुसार छः व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन धोखाधड़ियों में 8 बैंक कर्मचारी शामिल हैं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चार बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिये हैं । शेष 4 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में, न्यायालय का फैसला हो जाने के बाद विचार किया जायेगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 24 व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी मामले के आरोप पत्र भी न्यायालयों में दायर किये हैं ।

बैंकों में धोखाधड़ी के अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के सभी मामलों का पता लगते ही सम्बन्धित बैंकों द्वारा तत्काल उनकी जांच की जाती है और अपने हितों की यथा सम्भव अधिकाधिक सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं । ये धोखाधड़ियां करने में बैंकों की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया की किसी कमी के कारण असावधानी हुई हो तो उसे भी दूर करने के लिये बैंक कदम उठाते हैं । बैंक अपनी शाखाओं की उचित सामान्य अथवा विशेष मार्गदर्शक अनुदेश भी जारी करते हैं जिनमें धोखाधड़ी किस प्रकार की गई है इसकी रूप रेखा दी जाती है और सम्बन्धित शाखा को संकेत किया जाता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी फिर न होने देने के लिए सतर्क रहे । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अनुदेश भी जारी किये जाते हैं ताकि सभी प्रकार की धोखाधड़ियों को रोका जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों में प्रचलित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शुरू कर दिया है जिसका तात्कालिक उद्देश्य कमियों का पता लगाना है और जहां भी आवश्यक हो वहां संशोधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने और वर्तमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए सुझाव देना है । यद्यपि यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अभी तक किये गये अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने, वाणिज्यिक बैंकों को चैकों, ड्राफ्टों आदि के क्लियरिंग सम्बन्धी लेन देनों में संतुलन लाने (बैलेंसिंग) तथा अंतःशाखा लेखों में समन्वय लाने (रिकन्सीलियेशन) के बारे में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है ।

Shri Sat Pal Kapoor : We three ministers in the Finance Ministry, one of cabinet rank, one minister of state and one deputy minister. We are discussing fraud. May I know the name of the minister dealing with frauds ?

We have been receiving reports of frauds in different banks from one corner or the other of the country. It is a serious matter. Has the Reserve Bank of India appointed a team to devise a fool proof system to check these frauds ? When this team was appointed and when the report of this team is expected and what immediate steps have been taken ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक क्षेत्र में मानसिक कमजोरियां हैं जिसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं और इसलिए हमें इन आरोपों को सुनना पड़ता है । रिजर्व बैंक इन विभिन्न प्रक्रियाओं को सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए उनपर विचार कर रहा है । हम इन्हें कितना ही सुव्यवस्थित करें लेन-देन के मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसी बातों को पूर्णतः रोक पाना संभव नहीं है । हम यथासंभव सतर्क रह सकते हैं और इन धोखाधड़ियों को तथा बैंकों के कार्यकरण में इन दोषों को न्यूनतम कर सकते हैं ।

Shri Sat Pal Kapoor : The statement of the hon. Minister will prove to be an encouragement to those indulging in frauds since he himself is not confident of evolving a fool proof system though he will make efforts in this direction. May I know the period to which this figure of Rs. 30 lakhs relate since there was a fraud to the sum of Rs. 5 million according to press reports ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : महोदय, प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो की हाल की जांच के बारे में है । इस जांच का संबंध उन सात मामलों से है जिनका मैंने उल्लेख किया है । ये मामले 1973–74 के हैं । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि केवल ये सात मामले ही हुए हैं । इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आये हैं और इसके बाद भी एसे मामले हुए हैं । जैसा कि मैं कह चुका हूं, इन मामलों के संबंध में आरोप-पत्र जनवरी में दायर किये जा चुके हैं तथा ये न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर में बताए गए अधिकांश मामलों की कार्यविधि यह रही है कि बोगस माल के लिए रेल रसीदें भेंजी गई हैं तथा बैंक से रुपया निकाला गया है । यह पद्धति तब लागू होती है जब कि रेल रसीदें प्रस्तुत करने पर व्यापारियों को परिसिमाओं की स्वीकृति दी जाती है । व्यापारियों के पूर्व-वृत्त साखा आदि की जांच किये बिना उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है । अब जब इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो मैं समझता हूं कि समस्त प्रणाली ही दोषपूर्ण है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस प्रकार धोखाधड़ी उन बैंकों में कैसे हो सकती है जिनकी कार्यविधि पूर्णतः दोषयुक्त है । मैं इसे एक बहुत ही गम्भीर मामला समझता हूं । इस मामलें में मंत्री जी कुछ और जानकारी दें । मेरे विचार से इतने अधिक मामलों में एसी बातें नहीं होनी चाहिए थीं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थीं; किन्तु हमारे प्रयत्नों के बावजूद ऐसा हो रहा है । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । ये सभी मामले उत्तर प्रदेश के बारे में हैं । दुर्भाग्य से जांच का सम्बन्ध इन्हीं मामले से है । पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं । देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के मामले होंगे । आप यह धारणा न बनाए कि बैकों के सभी कामों में धोखाधड़ी होती है । लाखों सौदों में कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हैं । हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सम्पूर्ण व्यवस्था ही दूषित है और इस प्रकार की घटनायें आमतौर पर होती हैं ।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे : हाल ही में 2½ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है । इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है । क्या मैं जान सकती हूं कि इस गड़बड़ी में जिस मुख्य व्यक्ति का हाथ है उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? यह धोखाधड़ी विज्ञापन खर्च के सम्बन्ध में बैंक आफ अमरीका तथा बैंक आफ इंडिया के माध्यम से हुई है । मेरा ख्याल है इस पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि श्री नाहाटा को, जो कि इस मामले में प्रमुख अभियुक्त हैं, अभी तक गिरपतार क्यों नहीं किया गया है । इसके लिए बैंक आफ अमरीका में काम कर रहे श्री भाल नामक व्यक्ति जिम्मेदार हैं और वह अभी भी उक्त बैंक में बने हुए हैं । इस मामले में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मुख्य प्रश्न उत्तर प्रदेश में हुई धोखाधड़ी से संबद्ध है । यदि माननीय सदस्या को अन्य मामलों में भी दिलचस्पी है तो वह अलग प्रश्न रखें । यदि आप मुझसे लिखित रूप में जानकारी चाहेंगी तो भी मैं आपको जानकारी देने को तैयार हूं ।

श्री जी० आर० शिनाय : इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामले को प्रायः शाखा मैनेजर और उच्च अधिकारी ही जांच ब्यूरो के समक्ष लाते हैं । कभी-कभी वे स्वयं भी इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त होते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह व्यवस्था क्या है जिससे शाखा मैनेजरों और उच्च अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी का पता लगाया जाता है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : कभी कभी दोषी व्यक्ति स्वयं ही शिकायत करते हैं ताकि वे साफ बच निकलें किन्तु अन्ततः वे पकड़े ही जाते हैं । एक या दो मामलों को छोड़ कर इन सभी मामलों में शाखा मैनेजर भी दोषी हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है । इसीलिए एक स्वतंत्र सीबी आई जांच का आदेश दिया जाता है । केवल शिकायत कर देने से ही कोई व्यक्ति बच नहीं सकता । सारे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा होती है और वह वास्तविक अभियुक्तों का पता लगाने की कोशिश करता है ।

श्री जी० आर० शिनाय : जब कभी किसी बैंक में कोई धोखाधड़ी का मामला होता है तो उसे शाखा मैनेजर द्वारा ही अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है । कभी-कभी जब उसका स्वयं का भी हाथ होता है तो वह मामले की शिकायत नहीं करता है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : निस्सन्देह कुछ समय के लिए इसे छिपाया जा सकता है पर जब बैंक-शेषों में समायोजन नहीं होता है तो जांच की जाती है और हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कमी कहां पर थी । यदि इससे यह सन्देह हो जाता है कि कोई धोखाधड़ी हुई है तो रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाती है और यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जांच करता है ।

श्री पी० आर० शिनाय : कुछ बैंकों में कई वर्षों से इन मामलों का समाधान नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि धोखाधड़ी बहुत व्यापक हो रही है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : गत कुछ दिनों से अधिकाधिक मामले धोखाधड़ी के हो रहे हैं । क्या इनके संबंध में बीमा व्यवथा करना सम्भव नहीं है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : कुछ सीमा तक हमने बीमा व्यवस्था भी कर रखी है । किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि हमें गड़बड़ी होने दें और बीमा कम्पनी से उसका भुगतान करने को कहें । यह धनराशि भी हमारे पास से ही जाती है अतः हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाये जिससे कि धोखाधड़ी के मामले के लिए बहुत ही कम गुंजाइश हो ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हाल ही में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ प्रथम श्रेणी के अधिकारी मुझसे मिले और शिकायत की कि धोखाधड़ी और गबन के कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें कर्मचारियों की विभिन्न एसोशियेशनों के दवाव के कारण प्रशासन के समक्ष नहीं लाया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी को इस आशय की कोई शिकायत मिली है और यदि नहीं, तो अगर इस प्रकार की शिकायत उनके ध्यान में लाई गई तो वे जांच का आदेश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के इस भाग के विशेष संदर्भ में ही प्रश्न पूछिये । आपका प्रश्न सामान्य प्रश्न है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ऐसे बैंक हैं और वे व्यक्ति सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि यदि वे किसी अनियमित या गबन का पता लगाते हैं तो उन्हें कर्मचारियों की यूनियनों के दबाव के कारण उच्च अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इस पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं तो इस प्रश्न की संगति कहां रह जाती है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं सुनी है । यदि इसे मेरे ध्यान में लाया गया तो मैं कठोर कार्यवाही करूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा, विशेषकर एक गैर-राष्ट्रीयकृत विदेशी बैंक के बारे में । क्या मंत्री महोदय का ध्यान ग्रिण्डलेज़ बैंक द्वारा करों की चोरी इत्यादि के संबंध में किये गये उपायों की ओर गया है जिसका रहस्योदघाटन उत्तर प्रदेश बैंक कर्मचारियों की एसोशियेशन ने किया है ? क्या इस बारे में कानपुर में कोई आन्दोलन हुआ था ? क्या यह बात वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाई गई और तत्पश्चात लोक लेखा समिति के ध्यान में लाई गई और क्या लोक लेखा समिति इस पर विचार कर रही है ? क्या इस बैंक के खिलाफ जांच चल रही है ? क्या उस बैंक के कार्यों की जांच की जायेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस प्रश्न के लिए अलग नोटिस दिया जाये ।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की बेलनगंज शाखा को ठगा जाना

*265. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की बेलनगंज शाखा, आगरा से आगरा की एक कम्पनी और एक सहायक स्टेशन मास्टर ने लगभग 21 लाख रुपये ठग लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) बैंक के धन को बरामद करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से मई, 1972 में इस आरोप के विषय में शिकायत मिलने पर कि आगरा की एक भागीदारी फर्म मैसर्स गंगाधर रामचन्द्र ने जाली दस्तावेजों पर उधार लेकर 1970-72 की अवधि के दौरान बैंक को 20 लाख रुपये की रकम का धोखा दिया है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त फर्म के भागीदारों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया । ब्यूरो ने अपनी तफतीश के आधार पर इस फर्म के तीन भागीदारों और चार अन्य के विरुद्ध जनवरी, 1975 में चार्जशीट दायर कर दी है । न्यायालय की कार्यवाही अभी चल रही है ।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि "बैंक द्वारा की" और ओपन लोन (हाइपौथिकेटिड) खातों में उपलब्ध कुछ प्रतिभूतियां बेच दी गयीं थीं और बिक्री की राशि को, बैंक में, संबंद्ध पार्टी के खातों में समायोजन के लिए जमा कर दिया गया था। बैंक ने इस फर्म और उसके भागीदारों को रुपया वसूल करने के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। बैंक ने बीमा कम्पनी के खिलाफ भी दावा प्रस्तुत कर दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस प्रश्न के साथ के विवरण और प्रश्न संख्या 263 के उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या धोखाधड़ी 1970-72 में हुई थी और शिकायत 1972 में दर्ज की गई थी तथा आरोप पत्र (चार्ज-शीट) जनवरी, 1975 में दायर की गई? इसमें इतने अधिक विलम्ब का क्या कारण है? मालूम होता है कि इसमें पांच भागीदारों, आगरा स्थित कंपनी के कर्मचारियों तथा उत्तर रेलवे के एक सहायक स्टेशन मास्टर का हाथ है। कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कितने व्यक्ति कंपनी के पार्टनर थे? उसमें कितने बैंक कर्मचारी अन्तग्रस्त हैं और क्या स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार किया गया या नहीं, उसका नाम क्या है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : सात व्यक्तियों को चार्ज-शीट किया गया है। उनमें से पांच व्यक्ति इस फर्म के हैं। उनमें से तीन मेसर्स गंगाधर रामचन्द्र के पार्टनर हैं। और दो व्यक्ति उसी फर्म के कर्मचारी हैं। छटा व्यक्ति स्टेशन मास्टर है जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। उनका नाम श्री किशन प्रसाद श्री वास्तव है। इन सभी को धारा 467 के साथ पठित धारा 420, 461 और 471 के अधीन चार्ज-शीट किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उन्हें जनवरी में चार्ज-शीट किया गया है। दूर्भाग्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में कुछ समय लग गया और इसीलिये चार्ज-शीट दायर करने में लगभग दो वर्ष का समय लग गया है। पर अब मामला न्यायालय के समक्ष है। आशा है कि इसका शीघ्र ही निपटान हो जायेगा मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया या उन्हें जमानत पर रिहा किया गया या वे अभी भी जेल में हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तर में कहा गया है :

> "सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा "की" और ओपन लोन (हाइपौथिकेटिड) खातों में उपलब्ध कुछ प्रतिभूतियां बेच दी गई थीं और बिक्री की राशि को बैंक में सम्बद्ध पार्टी के खातों में समायोजन के लिए जमा कर दिया गया था।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि पार्टियों से कितनी रकम वसूल कर ली गई है और भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह मामला कुल 34,42,000 रुपये की धनराशि का है जिसमें से 13,00,000 रुपये केवल नकद उधार खाते के हैं, बिल क्रय खाता 20,00,000 रुपयों का है और ऋण खाता 85,000 रुपये का है। इस धन राशि में से 10 लाख रुपये उन्होंने प्रत्याभूतियों को बेच कर प्राप्त कर लिये हैं, यह प्रत्याभूतियां उनके पास इस उद्देश्य से रखी गई थीं। इसके अतिरिक्त समान बन्धकों से भी प्रत्याभूतियों को लिया गया है तथा सम्पत्ति का मूल्य लगभग 22 लाख रुपये हैं। अतः

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में लगभग समस्त धनराशि प्रत्याभूतियों से पूरी हो जायेगी, सामान्यतया इस प्रकार के मामलों में ऐसा कम ही होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में लगभग समस्त धनराशि प्रत्याभूतियों से ही प्राप्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस धनराशि को वसूल करने के उद्देश्य से दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसका बीमा भी किया गया है। अतः यदि कुछ धनराशि वसूल करने के लिय शेष रह जाती है तो निःसन्देह बीमा कंपनी उसे अदा करेगी। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, प्रश्न यह है कि इन मामलों को भविष्य में न होने दिया जाये। मेरा एसा विचार नहीं है कि बैंक अथवा रेल कर्मचारी अथवा व्यापारी इस प्रकार का कार्य करते हैं इस प्रकार के मामले अधिक नही होते हैं किन्तु हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि रेलवे पावतियों और बिल वास्तविक हों। प्रस्तुत की गई रिजर्व बैंक इस मामले की जांच कर रहा है और मुझे आशा है कि कोई ऐसा उपाय निकाला जायेगा कि नकली रेलवे पावतियों का प्रयोग न किया जाये। किन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है कि कुछ लोग हम सबसे अधिक चतुर बनने का प्रयास करते हैं और यह एक वास्तविक कठिनाई है।

श्री बी० बी० नायक : पहले के एक प्रश्न के उत्तर में 29,60,000 रुपये धन राशि की धोखा-धड़ी का उल्लेख किया गया है। यदि यह वही मामला है तो यह कैसे हुआ है कि यह मामला भी उसी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ जहां कुछ वर्ष पूर्व साक्षी पटेल द्वारा धोखाधड़ी की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि धोखेधड़ी के मामले अन्य बैंकों से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंको में हो रहे हैं। मैं यह बात जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंको में होने वाले धोखेधडी के मामलों का गैर-राष्ट्रीयकृत बैंको जो रिजर्व बैंक को अपने रिटर्न भेजते है में होने वाले मामलों की तुलना में कितना अनुपात है तथा वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत बैंकिंग आपरेशन विभाग बचा रिटर्न भेजने के माध्यम से अपना नियन्त्रण रखने के साथ साथ इन धोखाधड़ी के मामलों पर काबू पाने के लिये उड़न दस्तों के बारे में भी सोच रहा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, रिजर्व बैंक इस मामले की छान-बीन कर रहा है। देश भर में फैली हजारों शाखाओं पर उड़न दस्ते भी नियन्त्रण नहीं रख सकते हैं। यह प्रश्न उचित प्रक्रियाओं तथा उपायों के विकास करने का है तथा समय समय पर बही खातों की जांच करने का भी प्रश्न है ताकि अल्पावधि में ही धोखेधड़ी के मामले प्रकाश में आजायें। हमें इस भांति कार्य करना होगा। ऐसे मामले केवल सैन्ट्रल बैंक में ही नहीं होते। प्रथम प्रश्न से पता चलता है कि यूनियन बैंक में इस प्रकार के तीन मामले हो चुके हैं यद्यपि यह मामले कम धनराशि के हैं जब कि सैन्ट्रल बैंक में दो ही हुये है इस मामले में वह व्यक्ति काफी लम्बे अरसे तक ऐसी गतिविधियों में लगा रहा और उसका पर्दाफाश शीघ्र नहीं हो सका शायद उसने काफी मात्रा में प्रत्याभूतियां दे रखी थीं। शायद इस बात से बैंक धोखा खा गया और उसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया। किन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि यह धनराशि काफी बडी है और दो वर्ष की अवधि में ऐसा हुआ है यह दुर्भाग्य की बात है कि यह बात पहले प्रकाश में न आ सकी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the number of bank frauds have increased after the nationalisation of banks and you have also agreed that the person concerned was indulging in such frauds in the bank in Agra since long. I want to know the date on which Government detected it and the action taken against him. You have told that 10 lakhs of rupees have been realised and a substantial amount is yet to be realised whether there is any more to confiscate his remaining property.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने बताया है कि सी० बी० आई० जांच का आदेश मई, 1972 अथवा इसी समय अभी दिया गया था । जांच में कुछ विलम्ब हुआ तथा 1975 में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया गया । जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है 10 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं । शेष के लिये अभी भी 22 लाख रुपये की प्रत्याभूतियां हैं तथा शेष धनराशि वसूल करने के लिये मुकदमा कर दिया गया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : दंडात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ? दूसरा, एक पूर्व-प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि इस मामले में 8 बैंक कर्मचारियों का हाथ है किन्तु कार्यवाही केवल चार बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध ही की गई है । और न्यायालय में मुकदमें का निर्णय होने के पश्चात शेष बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यदि इस मामले में आठों बैंक कर्मचारियों का हाथ था तो किस आधार पर उन शेष चार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। यदि आप न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ऐसे मामलों में तो वर्षों लग जाते हैं । अतः मैं यह जानना चाहता हूं उन शेष चार बैंक कमचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : क्या वह पूर्व-प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं ? निःसन्देह उन्हें उस समय अवसर न मिला था ?

अध्यक्ष महोदय : इसी के लिये मेंने अब उनका नाम पुकारा है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : उन चार कर्मचारियों के बारे में सी०बी०आई० रिपोर्ट से उनका अपराध सिद्ध हो गया था । इसलिये उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । शेष चार बैंक कर्मचारियों का इस मामले में हाथ है यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है । किन्तु मुकदमें के दौरान उनके विरुद्ध कुछ बातें प्रकाश में आइ इसलिये हमने इस मामले को अभी समाप्त नहीं किया है । हमें देखना है कि अन्त में इस मामले का क्या होता है । इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है दुर्भाग्य से बैंक कर्मचारियों का इस मामले में हाथ नहीं था बल्कि वह इस धोखेधडी के शिकार हुए हैं ।

Shri Ishaque Sambhali : I have also asked whether action would be taken to fix the responsibility in this regard ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इसका अभिप्राय यह हुआ कि मुझे सी०बी०आई० द्वारा किये गये विलम्ब के कारणों को जानने के लिये एक और जांच करनी होगी । मैंने विलम्ब के कारण बता दिये हैं ।

श्री बी० मायावान : बैंकों में बड़े पैमाने पर हो रहे धोखेधडी के मामलों की दृष्टि से क्या बैंकों में अचानक निरीक्षण करने के लिये विशेष दस्ते बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस सम्बन्ध में सुझाव पहले भी दिया गया है । रिजर्व बैंक सारे प्रश्न पर विचार कर रहा है और इससे निपटने के लिये वह प्रक्रियाएं और उपाय निकालेंगे ।

Shri Ishaque Sambhali : Just now, the hon'ble minister has said that there was some delay in taking action. Why the action was delayed in such an important case due to which a nationalised bank got a bad name. Whether the hon'ble minister enquired into the causes of delay ? If not, whether he will enquire into it and fix the responsibility on some one in this regard ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : सी०बी०आई० के पास छान-बीन करने के लिये अनेक मामले होते हैं। इस मामले में भी 1970 से 1972 के बीच कई सौदे हुये हैं। इस सम्बन्ध में कई लोगों का हाथ है और अनेक दस्तावेज इससे सम्बन्धित हैं। इसी कारण से सी०बी०आई० को अधिक समय लग गया प्रतीत होता है। सी०बी०आई० ने जनवरी 1975 में आरोप-पत्र दर्ज किए हैं।

भारत और अमरीका के बीच वस्तु विनिमय व्यापार समझौता

*266. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमरीका और भारत के बीच हाल में वस्तु विनिमय व्यापार समझौता हुआ है;

(ख) इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत भारत अमरीका से क्या वस्तुएं आयात करेगा तथा उसको क्या वस्तुएं निर्यात करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है और यदि हां तो इस असफलता के क्या कारण हैं ? क्या वे यह भी स्पष्ट करेंगे कि क्या प्रश्न के भाग (क) के उनके उत्तर का यह अर्थ है कि भारत और अमरीका के बीच हाल ही में कोई वस्तु विनिमय व्यापार समझौता नहीं हुआ है अथवा उनका अभिप्राय यह है कि भारत और अमरीका के बीच कभी भी कोई वस्तु विनिमय व्यापार समझौता नहीं हुआ है ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत और अमरीका के बीच दोनों देशों का व्यापार संतुलन बनाये रखने के लिये वास्तव में क्या कोई समझौता है और यदि हां तो निर्यात और आयात की मुख्य मदें क्या हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार से मूल प्रश्न वस्तु विनिमय व्यापार समझौते के बारे में है और उसका मैंने नकारात्मक उत्तर दिया है और अभी भी मेरा उत्तर वही है। कोई वस्तु विनिमय व्यापार समझौता नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के ध्यान में सम्भवत: अमरीका के एक अधिकारी द्वारा दिया गया वह वक्तव्य है जो इस वर्ष 3 फरवरी को प्रैस के किसी अनुभाग में प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रकार की कुछ बातचीत है। हो सकता है कि अमरीका के दुतावास के किसी विशेष सदस्य का यह विचार हो किन्तु हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम किसी भी देश के साथ वस्तु विनिमय व्यापार समझौता नहीं करते। हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है।

दुसरे प्रश्न के बारे में कि क्या हमारा अमरीका के साथ व्यापार समझौता है । वास्तव , अमरीका के साथ हमारा व्यापार समझौता है । यह हमारा व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदार है । माननीय सदस्य ने हमारी आयात और निर्यात की प्रमुख मदों के बारे में पूछा है । निर्यात की जानी वाली मदों में जूट निर्मित वस्तुएं, चमड़े का सामान और मोटरगाड़ी के कुछ पुर्जे हैं । आयात की जाने वाली मदों में कुछ मशीनें, फार्मेस्यूटिकल्स आदि हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरा दुसरा प्रश्न है कि क्या इस दृष्टि से कि अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर से प्रतिबन्ध हटा दिया है, भारत के रवैये में कोई सख्ती आई है और क्या इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में हानि होने की सम्भावना है अथवा क्या जैसा कि श्री भुट्टो ने कहा है कि भारत का विरोध महत्वहीन होगा और यह वर्तमान व्यवस्था जारी रहेंगी ।

Mr. Speaker : Was your purpose only to bring in Bhutto in this ? Please stop, your purpose has been achieved.

बंगला देश को निर्यात तथा वहां से आयात

*268. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम मूल्यों पर बंगला देश को निर्यात किया जा रहा है तथा वहां से आयात किया जा रहा है; और प्रत्येक मामले में मूल्य तथा रियायतें क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में वार्षिक व्यापार कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चालू वर्ष के व्यापार संलेख में किसी विशिष्ट वस्तु के लिये कोई विशेष कीमत की व्यवस्था नहीं है । सभी निर्यात/आयात सौदे तय की गई वाणिज्यिक संविदाओं के अनुसार किए जायेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शंकर राव सावंत : मेरे प्रश्न का गलत अर्थ लगाया गया है तथा इसे गलत समझा गया है, मैंने केवल इस वर्ष ही के बारे में नहीं पूछा था । अतः महोदय, पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहूगा कि किस वर्ष के दौरान यह व्यापार संलेख लागू था, क्या रियायत थी और संलेख द्वारा कौन सी वस्तुएं स्वीकृत की गईं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सत्य है कि पहले कोयला जैसी कुछ वस्तुएं बंगला देश को कुछ कम कीमत पर सप्लाई की गई थीं ।

श्री शंकर राव सावंत : मेरा दुसरा प्रश्न यह है कि अभी भी दोनों ओर से वार्षिक व्यापार किस हद तक होता है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहले हमारा दोनों ओर का व्यापार सम्भवत: कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपये का था । हमें उस उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है । यह 30 करोड़ रुपये से भी

कम था । इस संतुलित व्यापार का प्रश्न नहीं है । हम अब मुक्त विदेशी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । यह हमारी और उनकी मांगों पर तथा सप्लाई करने की योग्यता पद निर्भर करता है ।

Shri Ram Kanwar : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the Hon'ble Minister whether under the trade agreement entered into with Bangla Desh, we are getting lower price of the commodities supplied by us and are paying higher price on an average for the commodities imported by India. I would like to know whether it is a fact and if so, the steps being taken by the Hon'ble Minister to remove the difference.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही कहा है कि हमने बंगला देश को कम कीमत पर कोयला निर्यात किया है क्योंकि उस देश की विशेष कठिनाइयां थीं। चूंकि यह देश कतिपय कठिनाइयों से गुजर रहा था हमने न केवल व्यापारिक मामलों में किन्तु अन्य मामलों में भी उस मित्र देश के प्रति उचित रुख अपनाया है।

एक माननीय सदस्य : वे अन्य मामले क्या हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वे व्यापार से भिन्न मामले हैं। अब हम बंगला देश के साथ वाणिज्यिक आधार पर व्यापार कर रहे हैं । जैसा कि आप जानते हैं हम उन से पटसन, मछली, आदि आयात कर रहे हैं और हम अनुबद्ध कीमत पर भुगतान कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप सम्भवतः एक दलीय तानाशाही भी आयात करेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री पी० के० देव : बहुत अच्छा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या बंगला देश की सरकार ने हमारी सरकार के नोटिस में यह बात लायी है कि मुक्ति से सरकारी व्यापार के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच कुछ तस्करी भी चल रही है और अब इसने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि दोनों ओर असंतोष है। क्या यह बात बंगला देश की सरकार द्वारा हमारी सरकार के ध्यान में लाई गई है। और सरकार द्वारा इस सीमा पर इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बंगला देश की सरकार द्वारा यह बात हमारे नोटिस में लाई गयी है और हम भी इसे बंगला देश की सरकार के ध्यान में लाये है। दोनों सरकारों ने उपयुक्त कदम उठाये हैं। कुछ कड़े कदम भी उठाये गये हैं जिसके फलस्वरूप कुछ तस्करों को गोली से मारा भी गया है। किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण हम इतनी बड़ी सीमा के हर एक इंच को कारगर रूप से रक्षा नहीं कर सकते हैं। तथापि दोनों सरकारों का यह पूरा प्रयत्न है कि तस्करी कम से कम हो। चाहे इसका पूरी तरह से उन्मूलन न भी हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के ध्यान में बंगला देश से अच्छी किस्म का कच्चा पटसन आयात करने की कोई योजना है जिससे हमें अपने निर्यात किये जाने वाले पटसन के माल के सुधार में सहायता मिले और उस क्षेत्र को जिसमें पटसन का उत्पादन होता है अनाज के उत्पादन के

लिये उपयोग भी कर सकें । वास्तव में हम अपने पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दे पाये हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपका व्यापार योजना के पीछे कोई ऐसा विचार है कि बंगला देश से अच्छी किस्म का और पटसन आयात किया जाये जिसे पटसन के माल के लिये उपयोग किया जाये और अपने देश की कुछ जमीन का अति आवश्यक अनाज की पैदावार के लिये उपयोग किया जाये ।

प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय : बंगला देश की सरकार और हमारी सरकार दोनों जूट इन्टरनेशनल के विचार से सहमत हैं, इस के अनुसार भारत को पटसन के उत्पादन और पटसन से निर्मित माल पर तथा बंगला देश को कच्चे पटसन के उत्पादन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। अत : हम सिद्धान्त रूप में सहमत हैं । किन्तु इस पद्धति को कारगर रूप देने के लिये कुछ अड़चनें हैं, उदाहरणार्थ बंगला देश स्पष्ट कारणों से भारत को निर्यात किये जाने वाले कच्चे पटसन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मांगता रहा है, अब, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, हम अपने ही पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दे पाये हैं । अतः यदि हम बंगला देश से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर पटसन खरीदते हैं, जिसके लिये वे जोर देते रहे हैं, तो बंगला देश के पटसन से बनी चीजें अपने देश के पटसन से बनी चीजों से भी मंहगी होंगी और बिक नहीं सकेंगी । ये व्यावहारिक कठिनाइयां हैं हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। किन्तु जहां तक इस विचार का सम्बन्ध है यह असाधारण नहीं है और हम इसमें कुछ योगदान कर पाये हैं।

श्री पी० के० देव : मंत्री महोदय ने बंगला देश से मछली के निर्यात के बारे में कहा है । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने तस्करी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । मैं एक बात जानना चाहता हूं । जहां तक समुद्रतटीय मछली पकड़ने का सम्बन्ध है हम प्रायः देखते हैं कि कुछ मछली पकड़ने वाले उड़ीसा के समुद्र तट में मछली पकड़ते हैं । क्या बंगला देश और भारत के बीच समुद्री सीमा के प्रश्न के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : मैं नहीं जानता कि यह इससे सम्बन्धित है क्योंकि यह प्रश्न व्यापारिक मामलों से सम्बद्ध है, किन्तु मैं कह सकता हूं कि मुझे इस बारे में विस्तार से निश्चित जानकारी नहीं है इस बारे में दोनों देशों में बातचीत चल रही है ।

विशिष्ट बोनस उपदान योजना

*269. **श्री शरद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने 16 जून, 1974 के अपने एक पत्र में उन योजनाओं का उल्लेख किया है, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा 'विशिष्ट बोनस उपदान योजना' के संबंध में अपनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कम्पनियों ने यह योजना अपनाई है; और

(ग) योजना के बनाने और उसकी क्रियान्वित से सम्बद्ध लोगों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि० में उस समय लागू थी जब यह गैर-सरकारी क्षेत्र में थी । इसे 1-1-73 से, अर्थात् जिस दिन इस कम्पनी का स्वामित्व भारत के साधारण बीमा निगम में निहित हुआ, समाप्त कर दिया गया ।

Shri Sharad Yadav : May I know whether officers of the New India Assurance Company had given any suggestion to continue this scheme even after nationalisation ?

Smt. Sushila Rohatgi : I cannot say definitely about it but so far as my knowledge goes, an honourable Member of this House had drawn attention of the Government to this matter. The matter subsequently was looked into and it was discontinued.

Shri Sharad Yadav : Has any other nationalised company given a suggestion to this effect that the scheme should be allowed to continue ?

Smt. Sushila Rohatgi : No, Sir.

Shri Sharad Yadav : As it is a good scheme, may I know whether Government propose to introduce it again ?

Smt. Sushila Rohatgi : No, Sir. We have no intention to do that.

Shri Ram Ratan Sharma : May I know the salient features of this special Bonus Gratuity Scheme alongwith the reasons which led to its discontinuance ?

Smt. Sushila Rohatgi : The scheme was in force in the Private Sector. It was felt that it could pave the way for some discrimination and tax-evasion. So it was discontinued. So far as salient features of the scheme are concerned, it was in lieu of bonus.

श्री एस०एम० बनर्जी : क्या बोनस तथा ग्रेचुइटी (उपादन) के भुगतान के बारे में एसोशिएशन के साथ हाल में कोई करार हुआ था ? इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामान्य बीमा निगम बोनस तथा उपदान के बारे में करार करने के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भविष्य में भी परामर्श करेंगे ।

Smt. Sushila Rohatgi : It does not arise out of the main question. However, I may add that the whole question is being looked into thoroughly and no decision has been taken so far.

Loan given by Nationalised Banks to farmers for purchasing implements

*271. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Finance** be placed to state :

(a) whether farmers are given loans from the banks for purchasing implements, and

(b) the amount of such loans given in 1973-74 ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) सांख्यिकीय विवरण एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषिक उपकरणों के वास्ते दिए गए अग्रिमों के बारे में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है । इससे सम्बद्ध जिन दो श्रेणियों के बारे में सूचना रखी जाती है, वे हैं : (1) ट्रैक्टर और कृषिक उपकरण एवं

मशीनरी; तथा (2) पम्प-सैट और आयल इंजिन । इन दो निर्दिष्ट श्रेणियों के वास्ते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि, जून, 1973 के अन्त में क्रमशः 6084.70 लाख रु० और 5063.50 लाख रुपये थी ।

Shri Mulki Raj Saini : At present farmers are given loans by cheques issued in favour of the approved firms which sell agricultural implements to these farmers at a price twenty to twenty-five per cent higher than the market rates as a result of which the farmer has to suffer a loss. Besides, these firms, bank employees and officers demand money while dealing with the loan form. In view of this, I want to know whether Government have any proposal to discontinue this practice and make these implements available to farmers at fixed prices.

Smt. Sushila Rohatgi : We shall certainly welcome and consider such proposal if the Hon. Member has any. So far as his complaint in this regard is concerned, we received some complaints of this nature in the beginning. So the banks introduced the system of giving loans to farmers direct instead of issuing cheques in favour of the dealer. But later on it was brought to our notice that the farmers were charged much higher prices for these implements. So we have not a good experience that way also.

Shri Mulki Raj Saini : I want to know whether with the facility of direct loan the Government have given liberty to the farmer to go to any firm of his choice for these implements. Secondly, what are the criteria on which these firms are approved by the Government ?

Smt. Sushila Rohatgi : So far as the first part of the question is concerned, it is seen that farmers, when given loans direct, divert them for other purposes defeating the main purpose of stepping up production by means of these implements. So that way it does not serve the desired purpose.

So far as the list of approved firms is concerned, it is drawn up strictly on the basis of creditability and past record of firms.

श्री रणबहादुर सिंह : कृषि उपकरणों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजे जा रहे पुराने सामान्य परिपत्रों को, जिनके अनुसार ऋण किसी खास सीमा तक ही दिए जा सकते हैं, दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इने राष्ट्रीयकृत बैंकों को अब क्या हिदायतें जारी की हैं ताकि किसान लोग बढ़े मूल्यों पर, जोत की अधिकतम सीमा के बावजूद कृषि उपकरण मोल ले सकें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अध्यक्ष महोदय, हमें जारी किए गये ऐसी कोई हिदायतों अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में कोई पता नहीं है कि ऋण की राशि घटा दी जाए ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जापान, पश्चिम जर्मनी और अफ्रीका को कोयले का निर्यात

*264. **श्री रोबिन सेन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान, पश्चिम जर्मनी और अफ्रीका को कोयले का निर्यात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के क्या कारण हैं जब कि भारत में उद्योग, बिजलीघरों और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात पर्यटन निगम की स्थापना

*267. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार का गुजरात पर्यटन विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख): ज्ञात हुआ है कि गुजरात सरकार ने एक पर्यटन विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

प्रस्तावित निगम एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होगी जिसकी शेयर पूंजी सरकारी भवनों को निगम में स्थानांतरित करने के रूप में होगी । राज्य सरकार ने निगम के गठन पर प्राथमिक खर्च के लिये वर्ष 1974-75 के दौरान एक लाख रुपये की व्यवस्था की है तथा 1975-76 के लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ऋण वितरित किये जाने का कार्यक्रम

*270. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने बड़े पैमाने पर कृषि ऋण वितरित करने का कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) और (ख) कृषिक पुनर्वित्त निगम, एक पुनर्वित्त संस्थान होने के कारण, किसानों को प्रत्यक्ष-ऋण के रूप में उधार नहीं देता है । इस निगम की निधियों का कृषि के लिये उपयोग केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जैसे सुपात्र वित्तीय संस्थानों को दी गयी पुनर्वित्त सहायता के रूप में किया जाता है ।

इस निगम ने 900 करोड़ रुपये का एक पंचवर्षीय ऋण-कार्यक्रम बनाया है, जो जुलाई, 1973 से प्रारम्भ हो चुका है । इस कार्यक्रम के अधीन लघु सिंचाई पर कृषिक उत्पादनों में तेजी से बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से बराबर यथोचित ध्यान दिया जाता रहेगा । इसके साथ ही साथ निगम भू-संरक्षण, बागवानी, स्टोरेज, मार्केटिंग, फार्मो का मशीनीकरण डेरी-विकास, मुर्गीपालन, मछली पालन जैसे अन्य प्रयोजनों को पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए उनमें धन लगाकर अपने निवेशों में विविधीकरण के लिए प्रत्यनशील है ।

पुनर्वित्तीय सहायता देते समय निगम कृषिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता पर अपेक्षित ध्यान देगा । पर, पुनर्वित्तीय सहायता का संवितरण, सम्बद्ध वित्तीय संस्थान की विकास संबंधी सक्षम योजना तैयार करने और उसे मंजूर करा देने की दक्षता पर ही निर्भर होगा ।

डाकार सम्मेलन में स्वीकृत कच्चा माल नीति संकल्प

*272. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के हाल में डाकार में हुये सम्मेलन में कच्चा माल नीति संकल्प स्वीकार किया गया है जो ड्राफटींग कमेटी द्वारा स्वीकृत संकल्प से भिन्न है ;

(ख) उसमें किये गये परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) डाकार सम्मेलन में किये गये निर्णय के बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) डाकार सम्मेलन ने प्रारूप समिति तथा सम्मेलन के ब्यूरों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनेक प्रारूपों पर विचार करने के पश्चात् कच्चे माल से संबंधित कई संकल्पों को स्वीकार किया । अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इस प्रकार के संकल्प सामान्यतः मतैक्य द्वारा स्वीकार किये जाते हैं और ऐसा करने से पहले भाग लेने वालों के बीच गहन विचारविमर्श किया जाता है ।

सम्मेलन ने अंतः सरकारी ग्रुप के, जिसे अनुवर्ती कार्यवाही का काम और यथा समय आगे रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है, प्रादेश का समय बढ़ाने वाले संकल्प को भी स्वीकार किया । भारत इस ग्रुप का सदस्य है ।

इंडियन एयरलाइन्स की पंचवर्षीय योजना

*273. **श्री वी० मायावन :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार अपनी पंचवर्षीय योजना बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या उसको योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) इस योजना का कुल परिव्यय कितना होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रमों में विमानों की खरीद की व्यवस्था के साथ-साथ इस प्रकार की स्थलीय सुविधाओं की व्यवस्था भी सम्मिलित है, जैसे बुकिंग कार्यालय संचार प्रणाली, सिटी एयर टर्मिनल काम्प्लेक्स, हैंगर और वर्कशाप, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण-व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए आवास एवम् सिम्यूलेटर प्रायोजना।

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे में 110 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय निर्यात में कमी

*274. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्किट के वर्तमान रुख को देखते हुए, वर्ष 1975-76 में भारतीय निर्यात में कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के निर्यात में कमी होने की संभावना है ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कुछ पश्चिमी विकसित देशों में लम्बे समय से चल रही विद्यमान मन्दी की प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप 1975–76 के दौरान पटसन निर्मित वस्तुओं सूती वस्त्रों, मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं, रत्नों तथा आभूषणों आदि जैसी कतिपय मदों के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) चूंकि निर्यात संवर्धन एक सतत प्रकिया है अतः विभिन्न उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जाते हैं और नये उपाय लागू किये जाते हैं।

केरल में हथकरघा उद्योग

*275. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किये गये हैं ; और

(ख) उक्त उद्देश्य के लिये प्रावधान किन-किन मदों तथा शीर्षकों के अधीन किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केरल राज्य की पांचवीं योजना के मसौदे में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु विचाराधीन परिव्यय राशि 2.2 करोड़ रु० है ।

2. केरल की पांचवीं योजना के मसौदे में निर्धारित हथकरघा उद्योग विकास कार्यक्रम में अनेक स्कीमें शामिल हैं जो हथकरघा कपड़े की बिक्रीपर रिबेट, केरल हथकरघा वित्त निगम, विद्यमान औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों का विस्तार और नई सोसाइटियों का गठन, हथकरघा शीर्ष सोसाइटी को सहायता, सामूहिक बुनाई केन्द्रों की स्थापना, मूलभूत बुनकर सहकारी सोसाइटियों की शेयरपूंजी में सरकारी सहभागिता, व्याज की हानि के लिए सहकारी बैंकों को उपदान, संचित हानियां को पूरा करने के लिए बुनकर सहकारी सोसाइटियों को अनुदान, एक ब्लीचिंग, डाइंग तथा प्रिंटिंग फैक्टरी की स्थापना, मूलभूत सोसाइटियों के प्रबंधकीय व्यय, समुन्नत उपकरणों की सप्लाई, विद्यमान रंगाई घरों का विस्तार तथा नये रंगाई घरों की स्थापना, हथकरघा सदन कल्याण स्कीमों से संबंधित हैं ।

करघा क्षमता का विस्तार

*276. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कम्पोजिट मिलों को अपनी करघा क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना की अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में 10,000 अतिरिक्त करघे लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। विद्यमान मिली जुली मिलों को अतिरिक्त करघों के साथ उतने ही अतिरिक्त तकुंए लगाने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि पार्टी विगत में किये गये निर्यात बनाये रखने के अलावा इन करघों के उत्पादन के कम से कम 30 प्रतिशत का निर्यात दायित्व लेने के लिए तैयार हों। यदि मिलें एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के कार्य क्षेत्र में आती है तो निर्यात दायित्व 60 प्रतिशत से कम नहीं है ।

समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए राज्यों को अग्रिम धनराशि दिया जाना ।

*277. **श्री समर गुह :** क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के कमजोर वर्गों के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए राज्यों को कुल कितनी धनराशि दी गई और उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रण्ब कुमार मुखर्जी): (क) कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम धनराशि देने की कोई योजना नहीं हैं ; और

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता ।

विमान दुर्घटना जांच आयोग

*278. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा की कृपा करेंगे कि देश में एक स्वतंत्र विमान दुर्घटना जांच आयोग की स्थापना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : विमान दुर्घटना जांच आयोग की स्थापना करने के संबंध में सृजित किए गए पदों के लिए वर्ष 1975–76 के लिए पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य) के बजट प्राक्कलनों में 94,000 रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रकाशित लेख

*279. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रकाशित लेख पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार लेख में दिये गये सुझावों से सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद की फरवरी 1975 में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका में श्री एस० भूतलिंगम द्वारा लिखित "दि इंडियन इकौनामी—1974–75" नामक लेख में दिये गये सुझावों को नोट किया है । लेख में दिये गये अधिकाश सुझावों पर 1974–75 की आर्थिक समीक्षा में विचार किया गया है । आयोजना की गति को बढ़ाने तथा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अधिक उत्पादन पर बल देने जैसे कुछ प्रमुख सुझावों पर 1975–76 के वार्षिक बजट में यथोचित रूप से विचार किया गया है ।

खोवाई, कमालपुर और कैलाशहर के लिए इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा

*280. **श्री दशरथ देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में खोवाई, कमालपुर और कैलाशहर के लिए इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें फिर से चालू करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपने विमान-बेड़े की तंग, स्थिति और विमानन ईधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण इंडियन एयरलाइन्स के लिये सोवाई कमालपुर और कैलाशहर के लिये निकट भविष्य में विमान सेवाओं को पुनः प्रारंम्भ करना सम्भव नहीं होगा।

इसके अलावा इन स्थानों के विमानक्षेत्र केवल डकोटा विमानों के परिचालन योग्य है । विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण इंडियन एयरलाइन्स द्वारा डकोटा विमानों को अपनी सेवाओं से निकाल दिया गया है ।

Supply of Opium to Opium Factory, Ghazipur

*281. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether raw opium is not being supplied to the Ghazipur Opium Factory according to its production capacity;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the employees working in this factory are given awards on production basis;

(d) whether the production of the Factory has been affected due to non-supply of raw opium and the employees have also not been given production awards during 1973-74; and

(e) if so, what action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Mukherjee) : (a) and (b) Supplies of raw opium are made each year to the Ghazipur Opium Factory, taking into account the total availability of raw opium from the growing areas.

(c) Yes, Sir, the employees of the factory are eligible for ex-gratia Production Award subject to fulfilment of certain conditions and norms prescribed by the Government in this behalf.

(d) and (e) During the year 1973-74, availability of raw opium from growing areas, was, due to various reasons, much below the estimated quantity. The supply of raw opium to the Factory was, therefore, on a lower scale. This may be one of the reasons for the non-fulfilment of te prescribed nomrs for payment of Production Awards. A detailed scrutiny of all the attendant circumstances is being made.

पूर्वी भारत के संकट-ग्रस्त चाय बागान

2559. **श्री भगीरथ भंवर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम का विचार पूर्वी भारत के आर्थिक संकट-ग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितने चाय बागानों का अधिग्रहण किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय व्यापार निगम के अन्तर्नियमों में अनुमतिबोधक उपबन्ध हैं और वह एक ऐसा अभिकरण समझा जा सकता है जिसे यदि और जब उसके लिये विधायी उपबन्ध बताएं जायें, संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध सौंपा जा सकता है ।

Vehicles sold by S.T.C.

2560. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of the vehicle sold by the State Trading Corporation during 1975;

(b) the make of the vehicle that fetched the maximum price and the party to whom it was sold; and

(c) the amount of profit earned by the Corporation during 1974 on account of sale of vehicles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) 533 vehicles have been sold during the year 1974-75 (upto 31-1-1975).

(b) Mercedes Benz 220 (1973 Model) fetched the maximum price of Rs. 2,19,786 It was sold to one Shri S.G. Nath of Greater Kailash, New Delhi.

(c) During 1973-74, STC earned a net profit of Rs. 47.63 lakhs on sale of vehicles.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वनियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में व्यक्तियों को दिया गया ऋण

2561. **श्री टुना उरांव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में कुछ व्यक्तियों ने स्वनियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मांगे थे ; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों ने गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि दी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) स्वयं-नियोजित उद्यमों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों को दिये गये अग्रिमों को कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन संचालक, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय तथा कारोबार और स्वयं नियोजित व्यक्तियों की व्यापक श्रेणियों में शामिल किया जाता है। त्रिपुरा राज्य में इन श्रणियों के ऋणकर्ताओं को दिये गये सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि 1972, 1973 और 1974 वर्षों में जून मास के अंत में निम्नलिखित थी :—

निम्नलिखित की समाप्ति को	बकाया	
	खातों/एककों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
जून, 1972	870	60.16
जून, 1973	1291	63.90
जून, 1974	5137	79.20

पश्चिम बंगाल में माल्दा के लगु उद्योग आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

2562. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल में माल्दा के लघु उद्योग आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋणों के सम्बन्ध में जिलेवार सूचना कुछ समय के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी । माल्दा जिले में लघु उद्योगों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया-ऋणों के विषय में वर्तमान उपलब्ध सूचना दिसम्बर, 1973 के अन्त तक की है । उस तारीख तक ऐसे बकाया ऋणों की राशि 2.60 लाख रुपये थी ।

(ख) आंकड़े एकत्रित करने की वतमान प्रणाली में बैंकों की शाखाओं में विचाराधीन पड़े हुए ऋण आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने की व्यवस्था नहीं है । किन्तु फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का यह प्रयास रहा है कि ऋण आवेदन-पत्रों के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब बिल्कुल न होने दिया जाय ।

उद्योगों को ऋण सुविधायें देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश

2563. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उद्योगों को ऋण सुविधायें देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार ने सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उद्योगों को बैंकों द्वारा उपलब्ध ऋण सुविधाओं की मुख्य बात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) एवम् (ख) 29 अक्टूबर, 1974 को 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए ऋण-नीति की घोषणा करते समय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों पर इस विषय में फिर जोर दिया है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में ऋण-निर्माण पर नियंत्रण रखना जरुरी है । किन्तु साथ ही उन्हें चाहिए कि उपलब्ध ऋण के देने में चयनात्मक नीति अपनायी जाये ताकि निवेश निरंतर होता रहे, उत्पादन बढ़ता रहे और आवश्यक वस्तुओं के अच्छे वितरण में सुविधा बनी रहे । बैंकों को यह सूचना दी गई है कि बैंक-निधियों के दुर्लभ साधनों का लाभ ऋणकर्ता एककों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए और आवश्यकता का निर्धारण एकक के आकार के हिसाब से ही न किया जाय बल्कि जिस प्रकार का उत्पादन करने में वे लगे हुए हैं उसका भी ध्यान रखा जाय । जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र में निर्माणकर्त्ता एककों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं पर पहिले विचार किया जायेगा । निजी औद्योगिक क्षेत्र में

अत्यन्त महत्व के (कोर) क्षेत्र के एककों को, (मुख्य रूप से उन एककों को जो रासायनिक खाद, कीट नाशक दवाओं तथा कृषि के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं, परिवहन और बिजली के उपकरणों और मूल धातुओं और खनिजों का उत्पादन करते हैं) और उन एककों को जो आम उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुएं (जैसे नियंत्रित किस्म का कपड़ा, खाद्य तेल, चीनी आदि) बनाने में लगे हुए हैं, तरजीह दी जानी है। 'कोर' क्षेत्र और "वेज गुड्स" उद्योगों के काम की वस्तुएं बनाने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को, कम आवश्यक प्रकार के एककों की अपेक्षा तरजीह दी जायेगी। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक छोटे पैमाने के उद्योग को प्राथमिकता देने की नीति का प्रश्न है उसको लागू करते समय सूक्ष्मदर्शिता से काम लिया जाय ताकि, विशेष रूप से 10 लाख रुपये और उससे कम ऋण-सीमा (लिमिट) वाले एककों के लिये उक्त व्यवहार सुनिश्चित हो सके।

मैसर्स जिन्दल एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड

2564. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 6 जून, 1974 को मैसर्स जिन्दल एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने एवं कार्यालयों पर मारे गये छापे के दौरान आयकर अधिकारियों को कोई भी गैर-कानूनी चीज अथवा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे कर अपवंचन सिद्ध होता हो ;

(ख) क्या मैसर्स जिन्दल एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड का कर-निर्धारण उन अन्य जिन्दल कम्पनियों के साथ किया जा रहा है जिनके उसी केन्द्रीय सर्किल में स्थित कार्यालय स्थानों पर भी एक साथ छापे मारे गये थे ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने दो अधिक बड़े कारखाने स्थापित करने की अपनी भावी योजनाओं को त्यागने का निश्चय किया है ;

(घ) क्या उपरोक्त कम्पनी का कारखाना मुख्य व्यापार तथा मुख्य कार्यालय बंगलौर में है हालांकि इसका कर-निर्धारण दिल्ली में किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी की आयकर सम्बन्धी फाइल को बंगलौर अन्तरित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन 6 जून, 1974 को, मैसर्स जिन्दल एल्यूमिनियम प्राइवेट लि० के कारखाने और कार्यालयों की तलाशी में पकड़ी गयी लेखा-बहियों/दस्तावेजों की जांच चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) आयकर रिकार्ड में इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस कम्पनी का कारखाना बंगलौर में स्थित है तथा इसके व्यावसायिक क्रियाकलाप भी बंगलौर ही में केंद्रित हैं। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

(ङ) माननीय सदस्य ने, इस मामले का स्थानान्तरण बंगलौर को करने के लिए, मैसर्स जिन्दल एल्यूमिनियम प्राइवेट लि० का प्रार्थनापत्र अग्रप्रेषित किया था। उन्हें पहले ही सूचित किया जा चुका है कि इस समय, मामले का स्थानान्तरण बंगलौर को करना संभव नहीं होगा।

निर्यात गृहों को अपने प्रतिष्ठानों के कार्यों में परिवर्तन करने की अनुमति

2565. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात गृहों को अपने प्रतिष्ठानों के कार्यों में परिवर्तन करने की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं तथा कितने फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में पंजीकृत किया गया है जो विदेशों में व्यापार के सम्बन्ध में दौरे पर जाने हेतु विदेशी मुद्रा पाने के लिए परमिट जैसी सुविधाएं पाने के हकदार हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या निर्यात सदनों की योजना में कोई परिवर्तन होना है । विद्यमान योजना बराबर चल रहीं हैं । योजना के कार्यचालन पुर्नविलोकन करने के लिए जनवरी, 1975 में कार्यकारी दल स्थापित किया गया है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी आनी है ।

उन फर्मों की संख्या, जिनकी मान्यता वैध हैं 295 है । ये निर्यात सदन, विदेशों में व्यापारिक दौरों के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज किये जाने हेतु एकमुश्त परमिटों के पात्र हैं ।

सिंडीकेट बैंक में दुर्विनियोग के मामलों का पता लगाना

2566. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अद्यतन) कें दौरान सिंडीकेट बैंक में दुर्विनियोग के कितने मामलों का पता लगा है और इसमें कुल कितना धन अन्तर्गस्त है;

(ख) प्रत्येक मामले का व्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग): सिण्डीकेट बैंक ने सूचित किया है कि 1972, 1973, 1974 और 1975 के दौरान दुर्विनियोग के नीचे लिखे 48 मामले हुए थे :—

वर्ष	दुर्विनियोग के मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (रुपयों में)
1972 . .	9	93,986
1973 . .	19	1,44,147
1974-75 . (फरवरी, 1975 तक)	20	1,11,141

इस राशि की वसूली और प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर ली है और दुर्विनियुक्त राशि की अधिकांश रकम बैंक ने वसूल कर ली है ।

सिण्डीकेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त घटनाओं के अलावा जिन्हें बैंक की "दैनिक बचत योजना" (पिगमी एण्ड आदर्श डिपाजिट्स) के अधीन ग्राहकों के यहां से रोज -बरोज अंशदान इकट्ठा करने के लिए नियुक्त एजेंटो (जोकि नियमित कर्मचारी नहीं होते) ने भी नीचे लिखी राशियों को दूर्विनियोग किया है :

वर्ष	दूर्विनियोग के मामलों की संख्या	अन्तग्रस्त कुल राशि (रु० में)
1972	27	66,186
1973	39	47,876
1974	39	70,726
1975	8	4,169

इस बारे में बैंक ने सूचित किया है कि दो मामलों में मात्र 36,136/- रु० की राशि के अलावा सभी मामलों में दूर्विनियुक्त राशि वसूल की जा चुकी हैं और इन सभी मामलों से सम्बन्ध एजेंसियों को रद्द किया जा चुका है ।

मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध तैयार माल का निर्यात

2567. **श्री लालजी भाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध तैयार माल का निर्यात करने के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय के कुछ अधिकारी सूचना देने में विलम्ब कर रहे हैं और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4172 दिनाँक 11 दिसम्बर, 1973 के आश्वासन को पूरा करने के सम्बन्ध में जितनी जानकारी उपलब्ध थी वह समवाय कार्य विभाग (समवाय विधि बोर्ड), विधि, न्याय तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कंपनियों द्वारा नई पूंजी जमा करना

2568. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री कोयला खान कम्पनियों मैसर्स बालोनी ओर्स लिमिटेड, क्योंझर (उड़ीसा) के शेयर होल्डरों तथा मैसर्स सेठिया माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा न्यू सतग्राम कोयला खान द्वारा पूंजी जमा करने के बारे में 28 अप्रैल, 1972, सितम्बर, 1972

तथा 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सख्या क्रमश: 4269, 4194 तथा 5308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सस्थाओं और आम जनता के पास निदेशकों और अभियोजकों की तुलना में कितने प्रतिशत ईक्विटी शेयर और अधिमान शेयर थे ;

(ख) वर्ष 1961 में अतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा भारत सरकार को ऋण दिये जाने से पूर्व कितनी मूल पूंजी थी तथा 31 मार्च, 1974 की कुल अभिदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ग) कम्पनियों के कितने शेयरधारी है ; और

(घ) उन कपनियों के नाम क्या है जिन्होंने सबसे अधिक नई पूंजी जमा की है (बोनस जारी करके अथवा एकीकरण के कारण जारी की गयी पूंजी को छोड़कर) ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लद्दाख जाने वाले पर्यटकों की संख्या

2569. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों की कुल सख्या कितनी है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि की आय हुई ; और

(ग) लद्दाख में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) लद्दाख के कुछ भागों के लिये विदेशी पर्यटकों की यात्रा पर लगे प्रतिबन्ध में हाल ही में जून, 1974 में छूट प्रदान की गई थी । तब से राज्य सरकार के अनुसार 17 जुलाई, 1974 से 22 नवम्बर, 1974 के दौरान 551 पर्यटकों ने लेह (लद्दाख) की यात्रा की । इन पर्यटकों से कितनी आय हुई यह बताना संभव नहीं है क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा आय का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है न कि राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर ।

(ग) लद्दाख में पर्यटन आकर्षण के स्थानों एवं उन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचना पर्यटन विभाग द्वारा एयर-इंडिया एवं भारत और विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों में प्रसारित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का लद्दाख के लिये पर्यटन यातायात की अभिवृद्धि के लिये निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :—

(1) लेह, करगिल और द्रास में वर्तमान आवास का नवीकरण ;

(2) मतियान में कैफिटेरिया का निर्माण तथा लेह और करगिल में पर्यटन कार्यालयों की स्थापना ;

(3) लेह, करगिल और ड्रास में पर्यटन प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन

(4) उक्त क्षेत्र में मिनी बसों तथा अधिक अच्छी यातायात सुविधाओं की व्यवस्था ;

(5) लद्दाख के बारे में एक विवरणिका (ब्रोशर) का प्रकाशन ।

लघु बचत निधि जमाराशियों पर लाटरियां निकालना

2570. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु बचत निधि जमाराशियों पर लाटरियां निकालने के परिणामस्वरूप कोई पुरस्कार दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये लाटरियां कितनी बार निकाली गयी हैं और नवीनतम ड्रा में पुरस्कार जीतने वाले विभिन्न पुरस्कार विजेताओं के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) डाकघर बचत बैंक इनामी योजना के अन्तर्गत अभी तक दो ड्रा निकाले गये हैं । पहला ड्रा 31 जुलाई, 1974 को और दूसरा ड्रा 31 जनवरी, 1975 को निकाला गया था । 31 जनवरी, 1975 को इनामों के लिए निकाले गये सबसे हाल के ड्रा में पहला और दूसरा इनाम जीतने वालों के नाम तथा पते इस प्रकार हैं :—

	नाम तथा पता
पहला इनाम (1,00,000 रु०)	श्री शिवलिंगप्पा जी अतूनर, वी० एल० डब्ल्यू० (ग्राम सेवक), अलन्द, जिला गुलबर्गा (कर्नाटक)
दूसरा इनाम (प्रत्येक 50,000 रु०)	1. श्री गुलजार सिंह, पुत्र श्री गंडा सिंह, ग्राम दुब्रे, बारा एलवलपुर, जालन्धर शहर एच० ओ०
	2. श्री भवानी प्रसाद, पुत्र श्री घनघेर राम, डाकघर नगरोता भगवान, धर्मशाला एच० ओ०
	3. श्री कौलेश्वर सिंह, सानूघाट मरैर, देवरिया, एच० ओ०
	4. श्री युधिष्ठिर खरगिया, पुत्र श्री दुर्योधन खरगिया, पुलिस हवलदार, ब्रह्मपुर (गंजम), बरहामपुर एच० ओ०
	5. श्रीमती निर्मला बाला चौधरी, द्वारा श्री गजेन नारायण चौधरी, अभयपुरी, घुवरी, एच० ओ०

बीस-बीस हजार रुपये के 10 तीसरे इनाम तथा पांच-पांच हजार रुपये के 100 चौथे इनाम जीतने वालों के नाम तथा पते अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन, प्रत्येक इनाम जीतने वाले को संबंधित पोस्ट-मास्टर के द्वारा सूचित कर दिया गया है कि वह जल्दी से अपना दावा पेश करे।

पांचवां और छठा इनाम जीतने वाले कुल मिलाकर 11000 व्यक्तियों के इनामों की रकम स्वतः ही उनके डाकघर बचत बैंक खातों में जमा कर दी जायगी।

कोयला कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्रित किया जाना

2571. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री कोयला कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्रित किये जाने के बारे में 13 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4453 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में जिन कंपनियों के शेयरों के भाव बताये जाते हैं उन कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी ने कोयला उद्योग के लिये विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक) द्वारा ऋण देने के पश्चात् से कुल कितनी नई पूंजी एकत्रित की है ;

(ख) भारत को पुनर्वित निगम, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त तथा निवेश निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन कंपनियों को कितनी राशि के मध्यमावधि दीर्घावधि ऋण मंजूर किये ;

(ग) 17 अक्तूबर, 1971, 30 अप्रैल, 1972, 30 जनवरी, 1973 तथा 30 अप्रैल, 1973 को बकाया राशियां क्या थीं ; और

(घ) उपरोक्त तिथियों को भारत सरकार/अभिग्रहीत खानों के प्रबन्धकों तथा अदायगियां आयुक्त के पास निवल ऋण/जमा बकाया क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्कूटरों का निर्यात

2572. **श्री एम०एम० जोजफ :**

श्री बरके जार्ज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले दस वर्षों में भारत से ताईवान को एक लाख पच्चीस हजार स्कूटरों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) क्या बम्बई में एक भारतीय स्कूटर निर्माता और एक ताईवान कम्पनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सौदे के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) विदेशी मुद्रा आय तकनीकी जानकारी से लगभग 2.5 करोड़ रु० होगी । पूर्णतया अलग-अलग हिस्सों में पैकों में निर्यात किये जाने वाले स्कूटरों की कीमत समय समय पर भिन्न होगी, अतः इससे अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा राशि इस अवस्था में नहीं बताई जा सकती ।

तकनीकी सहायता का विस्तार करने के लिये मित्र देशों के साथ करार

2573. **सरदार स्वर्ण सिंह सांखी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी सहायता का विस्तार करने के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने मित्र देशों के साथ करार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ, किस प्रकार के करार किये गये हैं और अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(ग) कितने इंजीनियर एवं तकनीशियन बाहर भेजे गये हैं और उनके भेजे जाने की शर्त क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण, डिजाइन तथा विस्तृत इंजीनियरी, अधिप्राप्ति सेवाओं आदि के लिये ईरान, ईराक, सीरिया, फ्रांस तथा नीदरलैंड के साथ संविदाएं हैं ।

वास्तविक बिलों के आधार पर अब तक 6.10 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ।

(ग) विभिन्न कार्यों तथा विभिन्न शर्तों पर दस इंजीनियरों तथा अन्य कार्मिकों को विदेश भेजा जा चुका है ।

Deposits of Employees in J.B. Mangharam Bank

2574. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will** the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether large sums have been deposited in J.B. Mangharam Bank by the employees of M/s. J.B. Mangharam & Sons, Gwalior, M/s. Jiwan Foods Bombay, M/s. J.B. Mangharam & Sons, Bombay (Factory Bangalore) and M/s. International Foods Bombay (Factory Hyderabad);

(b) the present amount of the deposits in the company's bank made by the employees and other citizens, separately and whether the depositors are refused payment of their deposits on demands;

(c) whether the money of some of the depositors is being returned through cheques which are not honoured by any bank; and

(d) whether Government propose to conduct an enquiry in all such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (d) Reserve Bank has advised that, according to the information available with it, M/s. J.B. Mangharam & Co., Gwalior is a partnership firm engaged in the manufacture of confectionery products and it was accepting money from the public by way of deposits. At the end of March, 1973 it had reportedly a sum of Rs. 66.93 lakhs due to be repaid to the depositors.

M/s. J.B. Mangharam & Co., being a partnership firm, the existing directions of the Reserve Bank of India, which govern the deposit-acceptance activities of non-banking companies, do not apply to it. Reserve Bank has no information as to the types of persons from whom and the terms and conditions on which deposits were collected by the firm and also whether the cheques issued by it are not honoured by any bank.

Transactions of deposits are in the nature of contract between the recipients of the deposits and the individual depositors and as such the affected parties have to pursue the normal remedies open to them in cases of breach of contract.

चीनी के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय

2575. **श्री एस० एम० पुरती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों को किये गये चीनी के निर्यात से प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान चीनी के निर्यातों से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा क्रमशः 12.52 करोड़ रु०, 42.21 करोड़ रु० तथा 206.63 करोड़ रु० है ।

विकासशील देशों में शिक्षा के संवर्धन के बारे में विश्व बैंक का नीति संबंधी लेख

2576. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विकासशील देशों में शिक्षा के संवर्धन के बारे में नीति संबंधी एक लेख प्रकाशित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) इस लेख में 1960 से 1970 तक की अवधि में शिक्षा के विकास से संबंधित दुनियां भर की प्रवृत्तियों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है और इसमें उन विषयों और समस्याओं का उल्लेख किया गया है जिनका विकासशील देशों का सामना करना पड़ रहा है । इस लेख में जिन मूल समस्याओं पर विचार किया गया है, वे हैं (क) विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास और उनका औचित्य, (ख) शिक्षा और विकास में व्यापक जन सहयोग (ग) शिक्षा और समानता (घ) कार्य कुशलता में वृद्धि और (ङ) प्रबंध और आयोजन में सुधार ।

इस लेख में विश्व बैंक की शिक्षा संबंधी ऋण देने की नीतियों और कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया है । उक्त लेख के अनुसार शिक्षा संबंधी सन्तुलित विकास को प्रोत्साहन देने के विश्व बैंक के प्रयत्नों के सिद्धांत ये हैं: (क) साधनों के उपलब्ध होते ही सम्पूर्ण जनसंख्या को पूरी तरह कम से कम न्यूनतम बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। (ख) आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी अन्य भूमिकाएं निभाने के लिए आवश्यक जानकारी और कुशलता में संख्या एवं गुणों की दृष्टि से सुधार करने के प्रयोजन से बुनियादी शिक्षा के बाद और आगे शिक्षा व प्रशिक्षण चयनात्मक आधार पर दिया जाना चाहिए । (ग) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर एक ऐसी व्यापक शिक्षा व्यवस्था के रूप में विचार किया जाना चाहिये जिसमें औपचारिक, गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आं जाती हो और जिसका संचालन यथासंभव अधिकतम आन्तरिक और बाह्य कुशलता से किया जाता हो ।

(घ) उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक समानता के हित में यह जरूरी है कि जहां तक संभव हो शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध किये जांये ।

महाराष्ट्र में रूई उत्पादकों के लिये आस्थगित भुगतान योजना

2577. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के, जहां देश में रूई की खेती अधिकतम भूमि में होती है और उत्पादन की दृष्टि से देश में जिसका दूसरा स्थान है, रूई उत्पादक, बिचौलियों को समाप्त करने के पश्चात् आस्थगित भुगतान योजना के मामले पर महाराष्ट्र सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का ध्यान रखे बिना ही एकाधिकारवादी खरीद योजना बनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो व्याप्त असन्तोष के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसे समाचार मिले हैं कि महाराष्ट्र सरकार की आस्थगित भुगतान योजना के मामले पर महाराष्ट्र राज्य के रूई उपजकर्त्ताओं द्वारा विरोध एवं कुछ आन्दोलन किये गये हैं ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 40 करोड़ रू० की ऋण-सीमा स्वीकृत की गई थी जब कि उनकी मांग 104 करोड़ रु० की थी । राज्य सरकार ने इस बीच 30 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत प्रारंभिक भुगतान करने के लिये व्यवस्था करने हेतु अपनी योजना में संशोधन कर दिया है ।

(ग) यह पहलू राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, जो इस योजना को चला रही है ।

पृथ्वी के तापमान में कमी होने का मानसून पर प्रभाव

2578. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक में "फाल इन अर्थस टेम्परेचर" पृथ्वी के तापमान में कमी--शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस कमी से देश में मानसून पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो देश में वर्षा में कमी के कारण उत्पन्न दुष्प्रभावों का मुकाबला करने तथा फसलों के लिये कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अब तक किये गये अध्ययनों से प्रेक्षित शीतन प्रवृत्ति तथा मानसून पूर्वानुमानों के बीच कोई संभव संबंध स्थापित नहीं हुआ है ।

स्टेनलैस स्टील के लिये आयात लाइसेंस

2579. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के एक उद्योग को वर्ष 1972 में सब नियमों तथा विनियमों की उपेक्षा करके 75 लाख रुपयों के स्टेनलस स्टील के आयात का लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या यह आयात लाइसेंस उस फर्म को ऐसे रियायती दर पर दिया गया था जिस पर युद्ध काल में रक्षा प्रतिष्ठानों को दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच व्यूरो ने इस घोटाले के लिये केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त क्षेत्र में विद्युतचालित करघों की स्थापना

2580. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने संयुक्त क्षेत्र में विद्युतचालित करघों की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

चाय उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

2581. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय उद्योग संबंधी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन को किसी सीमा तक क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं; इस संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : चाय उद्योग संबंधी टास्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट के वाल्यूम- 1 में की गई सिफारिशें बन्द तथा संकटग्रस्त बागानों की समस्याओं, विदेशों में चाय संवर्धन, और चाय उद्योग के लिये अन्तर्विष्ट साधनों से संबंधित है। जहां तक बन्द तथा संकटग्रस्त बागानों का संबंध है, इसकी सिफारिशों के आधार पर चाय अधिनियम में संशोधन करने संबंधी प्रस्थापनाएं, उनके सभी पहलुओं की दृष्टि से विचाराधीन हैं। विदेशों में चाय संवर्धन से संबंधित सिफारिशों का इस संबंध में वार्षिक संवर्धनात्मक उपाय तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। चाय उद्योग की अन्तर्निविष्ट साधनों संबंधी आवश्यकताओं को समुचित तथा सामयिक सप्लाइयां सुनिश्चित करने के लिये संबंधित संगठनों के साथ सक्रिय सम्पर्क के जरिये सन्तोषजनक रूप में पूरा किया जा रहा है।

इसकी रिपोर्ट के वाल्यूम- 2 में चाय विकास में आने वाली बाधाओं, चाय नीलामियों और चाय बोर्ड के कार्यकलापों तथा इसके कार्यकरण के पुनर्गठन का उल्लेख था। ये सिफारिशें सोच-विचार/क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जिन महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है उनमें से कुछ ये हैं: चाय बोर्ड के आकार को घटाने संबंधी प्रस्थापना, पुनरुद्धार हेतु उपदान योजना की समीक्षा करने के लिये एक उप-समिति की स्थापना के लिये चाय बोर्ड को अनुमोदन दिया जा चुका है।

सरकारी उपक्रमों में निवेश

2583. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में वर्ष 1974-75 तक कुल कितना पूंजी-निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : 1973-74 से संबंधित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9124/75]/1974-75 वर्ष के लेखे अभी बन्द नहीं किए गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

2584. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के कारखानों/संयंत्रों/खानों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक संगठन में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) कितने कर्मचारी श्रेणी-वार उन राज्यों से हैं, जहां संयंत्र/खानें/एकक स्थापित हैं; और

(ग) 500 रुपये प्रति माह वेतनमान तक के पदों पर भी स्थानीय व्यक्तियों को अन्य लोगों की उपेक्षा प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–9125/75]

(ख) और (ग) सरकारी उद्यमों के लिए भर्ती संबंधी वर्तमान नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन व्यक्तियों के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं उन्हें नीचे स्तर के पदों के लिए अधिकतम अवसर मिलने चाहियें। भर्ती सम्बन्धी नीति के अनुसार 500 रुपये मासिक वेतन तक के पदों के लिय भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही की जानी चाहिए और अन्य साधन तभी अपनाए जायें जब रोजगार कार्यालय "अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र" जारी कर दें। सरकार द्वारा कर्मचारियों के संबंध में उनके मूल प्रदेश के आधारपर यूनिट वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

Recommendations made by Sivaraman Committee

2585. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the recommendations made by the Sivaraman Committee constituted for Handloom Industry; and

(b) the action taken by Government to implement them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) A statement is attached. [Placed in the Library. See No. L. T-9126/75]

(b) Final decisions on the recommendations are yet to be taken.

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

2586. **श्री अमर सिंह चौधरी :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष बहुत से भारतीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गये हैं और बहुत से विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत में आये हैं जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्य तथा व्यापार को प्रोत्साहन के लिये भारत के साथ बहुत से करार हुये हैं; और

(ख) उनका विवरण तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। प्रतिनिधियों की यात्राओं के परिणामस्वरूप, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, बलगारिया जनवादी गणराज्य चेकोस्लोवाकिया का समाजवादी गणराज्य पौलैंड का जनवादी गणराज्य, सेनेगल, इराक, मिस्र का अरब गणराज्य, कुवैत ईरान, बंगला देश तथा पाकिस्तान के साथ नए व्यापार तथा भुगतान करार/संलेख सम्पन्न किए गए हैं।

(ख) व्यापार करारों/संलेखों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं।

Anomalies in Pay Scales of Technical Employees of Opium Factory, Ghazipur

2587. **Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether there is anomaly in the pay scales of technical employees of Opium Factory, Ghazipur and those of Opium Factory, Neemuch (Madhya Pradesh) ; and

(b) if so, the action being taken by Government to remove this anomaly ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The regular workers both in the Government Opium Factory, Ghazipur and the Government Opium Factory, Neemuch, are on the same scales of pay. But higher scales of pay have been prescribed for workers of the new Alkaloid Works, Neemuch, in consideration of the higher educational and professional qualifications prescribed for them. No such minimum qualifications are prescribed for the workers in the Ghazipur Factory. However, the question whether the workers in the two Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch are required to shoulder comparable responsibilities and, if so, whether parity can be brought about in the scales of pay of the workers of the two Alkaloid Works is being further examined.

हवाई अड्डा प्राधिकरण में कार्य कर रहे कर्मचारी

2586. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार प्रमुख हवाई अड्डों में हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना के समय विभिन्न श्रेणियों में नागर विमानन से लिये गये और भर्ती किये गये कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे;

(ख) अब तक कुल कितने कर्मचारियों को खपाया गया है तथा सेवा की शर्तों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या खपाये जाने के पश्चात् उन्हें परिवीक्षा के उपबन्ध के साथ नये नियुक्ति-पत्र जारी किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन के पश्चात् चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर कार्य कर रहे नागर विमानन विभाग के 1499 कर्मचारियों की सेवाएं 1-4-1972 से प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति पर सौंप दी गयी थीं ।

(ख) नागर विमानन विभाग के स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या में से, जिन्होंने भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खपाये जाने के लिये अपनी सहमति दी थी, 890 स्थायी कर्मचारियों को उनके अपने-अपने ग्रेडों में नागर विमानन विभाग में पूर्णतया उन की वरीयता के आधार पर प्राधिकरण में खपा लिया गया है । उनकी सेवा शर्तों की महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार:

(1) नागर विमानन विभाग में उन पर लागू वेतनमान में वेतन;

(2) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू दरों पर महंगाई वेतन/महंगाई भत्ता (इसमें अन्तरिम सहायता भी सम्मिलित है);

(3) प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते, नगर निर्वाह भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता तथा चिकित्सा सुविधायें;

(4) संबंधित व्यक्ति अपनी परस्पर वरीयता कायम रखेंगे;

(5) वेतन के अलावा खपाये जाने से पहले सरकारी सेवा में अर्जित की गयी पेंशन/ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

(ग) और (घ) नागर विमानन विभाग के स्थायी कर्मचारियों के मामले में उनके प्राधिकरण में खपा लिये जाने के बाद कोई नये नियुक्ति-पत्र नहीं जारी किये गये हैं। परन्तु अस्थायी कर्मचारियों के मामले में उनकी प्राधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति की जाने पर नये नियुक्ति-पत्र जारी किये गये हैं। जिन के कार्य-निष्पादन तथा सत्यनिष्ठा के बारे में संतोष जनक रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनके मामले में परिवीक्षा की शर्त लागू नहीं की गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा "प्रक्रिया के अनुसार काम करो" आन्दोलन

2589. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों (केन्द्रों) के नाम क्या हैं जहां भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने अपनी परिलब्धियों में वृद्धि के बारे में "प्रक्रिया के अनुसार काम करो" आन्दोलन किया;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में उनका ग्रेडवार व्यौरा क्या है ;

(ग) प्रभावित केन्द्रों में उनके आन्दोलन का कार्य निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर पदक्रम-वार उसके अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :-

केन्द्रों के नाम	ग्रेड					
	ए०	बी०	सी०	डी०	ई०	एफ०
अहमदाबाद	55	38	7	2	—	—
बेंगलौर	102	60	11	3	1	—
भुवनेश्वर	22	17	7	1	—	—
बम्बई (इन्दौर समेत)	1111	474	245	225	32	16
कलकत्ता	347	103	35	17	3	1

केन्द्रों के नाम	ग्रेड					
	ए०	बी०	सी०	डी०	ई०	एफ०
गोहाटी	21	14	3	2	—	—
हैदराबाद	77	45	8	4	—	—
जयपुर .	44	23	5	2	—	—
कानपुर (लखनऊ समेत)	112	48	8	3	2	—
मद्रास .	204	88	31	8	—	—
नागपुर	92	13	1	1	1	—
नयी दिल्ली (चंडीगढ़, जम्मू और भोपाल समेत)	223	94	25	11	2	1
पटना . .	67	30	4	2	1	—
त्रिवेन्द्रम (कोचीन समेत)	29	48	7	1	—	—
जोड़ :	2506	1095	397	182	42	18

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों और कुछ स्थानों पर कुछेक वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों ने 10 फरवरी, 1975 से "प्रक्रियानुसार कार्य" (वर्क टू प्रोसीड्योर) करने का तरीका अपनाया था ।

इस आन्दोलन से महापालिका वाले नगरों में समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) और उन स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक सीधे ही कारबार करता है, नकद लेन-देन और सार्वजनिक व्यापार मुख्य रूप से प्रभावित हुए ।

भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ आधार पर संशोधन स्वीकार कर दिए जाने पर यह आन्दोलन 22 फरवरी, 1975 से वापस ले लिया गया है ।

Printing of Currency Notes by Bank Note Press at Dewas, Madhya Pradesh

2590. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the time by which the Bank Note Press at Dewas (M.P.) is likely to start printing currency notes, the denominations of the notes to be printed there and the time by which these notes will come in circulation; and

(b) the target fixed for monthly output of the Press ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Bank notes in the denominations of Rs. 10, Rs. 20, Rs. 50 and Rs. 100 are to be printed at the Bank Note Press, Dewas (M.P.). The printing of notes in the denominations of Rs. 10 and Rs. 20 has already commenced. These notes are likely to be issued by the Reserve Bank of India by the end of March 1975.

(b) The monthly target will be about 65 million pieces of notes in the first year of production. The Press will have a rated capacity to produce 1000 million notes per annum by working one shift.

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारियों को अनुपात से अधिक अस्तियां

2591. **श्री वसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कार्यों की श्री कल्याणसुन्दरम द्वारा की गई जांच से बैंक के अनेक अधिकारियों के पास अनुपात से अधिक आस्तियां होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उक्त बैंक के इंस्पैक्टर श्री कल्याणसुन्दरम की रिपोर्ट से ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा नये उद्यमकर्ताओं को सहायता

2592. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्यमकर्ताओं को उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित करने तथा सहायता देने की सरकार की नीति के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं ने अपनी प्रक्रियाओं को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उनका इक्विटी/ऋण के सबंध में 1:2 के अनुपात पर जोर दिया जाना नव आगन्तुकों के लिये मुख्य बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके उदार न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) अखिल भारतीय दीर्घावधि सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने नये उद्यमकर्त्ताओं को उद्योग लगाने के वास्ते प्रोत्साहित करने और सहायता देने की नीति के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं को उदार बनाया है । उपर्युक्त प्रक्रियाओं की मुख्य बातें ये हैं :—(i) यदि कोई परियोजना पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित हो तो उसके बारे में परियोजना लागत संबंधी उद्यमकर्त्ता के अंशदान की 20 प्रतिशत की सामान्य शर्त में 5 प्रतिशत की ढील दे कर उसे 15 प्रतिशत कर दिया जाता है । यदि वह परियोजन पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित न हो तो इस अंशदान में 2.5 प्रतिशत की ढील दे कर उसे 17.5 प्रतिशत कर दिया जाता है । (ii) हर मामले के गुणावगुण के आधार पर ये संस्थाएं जोखिम पूंजी के एक बड़े प्रतिशत अंश की हामीदारी कर देती है । (iii) उपर्युक्त परामर्शी कंसलटैंट्स) की सिफारिश करके नये उद्यमकर्त्ताओं को सुविस्तृत संभाव्यता अध्ययनों की तैयारी में सहायता दी जाती है ।

वित्तीय संस्थाएं नये उद्यमकर्त्ताओं द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं के विषय में साम्या (इक्विटी) : ऋण के अनुपात के संबंध में कोई कठोर या अनुदार रवैया नहीं अपनाती है । जहां अनुपात 1:2 होता है वहां भी प्रायः ऐसा होता है कि परियोजनाओं के आरंभकर्त्ता साम्या (इक्विटी) पूंजी का केवल एक अंश ही लगाते हैं और वित्तीय संस्थाएं बाकी अंश की हामीदारी देती हैं । उपयुक्त मामलों में ये संस्थाएं इस अपेक्षा में ढील देती रही हैं । जहां तक लघु उद्योग एककों का मामला है उनकी वित्तीय

अपेक्षाएं प्राय: राज्य वित्तीय निगमों सीधी पूरी की जाती है और इन निगमों के ऋण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पोषित (री-फिनांस्ड) कर दिया जाता है । इस विकास बैंक द्वारा ऋण गारंटी योजना के अधीन आने वाले लघु उद्योगों के पुनर्वित्त पोषण के बारे में उदार बनाकर आरंभ की गयी योजना के अधीन साम्या : ऋण अनुपात 1:3 रखने की अनुमति दे दी गयी है और यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त मामलों में और भी ढील दी जा सकती है । पिछड़े जिलों में अवस्थित एककों के मामलों में साम्या : ऋण : अनुपात में 1.5:5 तक की भी ढील दे दी जाती है । राज्य वित्तीय निगमों ने भी ऐसे टेक्निशियन-उद्यमकर्त्ताओं के विषय में जोकि स्वामी-साम्या (ओनर्स इक्विटी) का प्रबंध करने की स्थिति में नहीं हैं उनके द्वारा आरंभ की गयी 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के बारे में उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की योजनाएं आरंभ की हैं ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने "रिस्क कैपिटल फाऊंडेशन" की स्थापना की है जिसका सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में 22 जनवरी, 1975 को पंजीयन कराया गया है । इस फाऊंडेशन का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जिन औद्योगिक परियोजनाओं को उक्त निगम और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर हो चुकी है, उन्हें प्रारंभ करने वाले नये उद्यमकर्त्ताओं और प्रौद्योगिक (टैक्नोलोजिस्ट) के बिना ब्याज अथवा नाममात्र के ब्याज पर ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराया जाये ताकि वे उन परियोजनाओं की साम्या पूंजी (इक्विटी कैपिटल) में अपना अंशदान दे सकें । इस फाऊंडेशन के न्यासी मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़) द्वारा इसके कारोबार के विषय में नियम और विनियम तैयार कर लिये जाने के थोड़े ही समय बाद इस फाऊंडेशन का कार्य आरंभ हो जायेगा ।

खाड़ी के अधिक तेल वाले देशों में संयुक्त उपक्रम

2593. **श्री शशि भूषण : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया इस बात पर सहमत हो गये हैं कि उन्हें खाड़ी के अधिक तेल वाले देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभावनाओं का परन्तु पता लगाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उपक्रमों के लिये युगोस्लाविया तथा अन्य देशों के साथ किये गये समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) युगोस्लाविया के प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान तीसरे देशों में भारतीय तथा युगोस्लाविया के उद्यमों के बीच औद्योगिक सहयोग के कुछ संभावित सैक्टरों/क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा तीसरे देशों में बाजार सूचना के संकलन समाकलन व प्रसार के लिए केन्द्रीय स्थल नामांकित किये गए और इसमें तेल समृद्ध देशों में इस प्रकार के संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना भी शामिल होगा ।

(ख) युगोस्लाविया के साथ अथवा किसी अन्य देश के साथ इस संबंध में किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

रुई के निर्यात के लिये राज-सहायता

2594. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कई निर्यातकर्ता मिलों को क्या क्या निर्यात प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ख) क्या रुई के निर्यात के लिये राज-सहायता की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सूती वस्त्रों के निर्यातकों को पंजीयित निर्यातक नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रतिपूर्ति आयातों के अलावा उन्हें सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिये जाते । तथापि निर्यात तथा नियंत्रित कपड़े के बाध्यता से संबंधित एक सामुहिक योजना 1-10-1974 से लागू हुई है जिसके अन्तर्गत मिलों को नियंत्रित कपड़े की बाध्यता में 5 रु० मूल्य के मिल निर्मित सूती वस्त्र अथवा 7.50 रु० मूल्य के मिल निर्मित सूती परिधानों के निर्यातों के एवज में 1 वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े तक की छूट दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं । तथापि यह समझा जाता है कि अद्योग अपनी उस निर्यात प्रोत्साहन योजना को आंशिक रूप से पुनः शुरू करने के बारे में सोच रहा है जिसके अन्तर्गत हथकरघा सूती वस्त्रों तथा परिधानों के निर्यातकों को नकद सहायता दी जा सकती है । उन्होंने अभी उसके ब्यौरे तैयार नहीं किये हैं ।

वर्ष 1974 में चाय का उत्पादन

2595. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय की बढ़ रही मांग का निर्यात पर घातक प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में चाय का कितना उत्पादन हुआ और आम किस्म की चाय के लिये अलाभकर निर्यात मूल्यों के विपरीत प्रभाव को समाप्त करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं । वास्तव म 1974 के दौरान चाय की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है । जनवरी-अक्तूबर, 1974 के दौरान लगभग 4180 लाख कि०ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ ।

ऋण सुविधा नीति के बारे में शिकायतें

2596. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तिमाही में ऋण सुविधा नीति के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

17 LSS/75—4

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या इन शिकायतों की जांच की गई है; और

(ग) क्या सरकार बैंककारी संस्थाओं की ऋण नीति को सुव्यवस्थित करने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) हाल ही के महीनों में सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के पास वाणिज्य और उद्योग मंडल व्यापारी संघ, छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिनिधि निकायों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन आये हैं । इनमें उन्होंने अपनी कठिनाइयां बतायी है और ऋण नियंत्रक उपायों में छूट देने के लिए सुझाव दिये हैं । इन अभ्यावेदनों में दिये गये सुझावों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को उदार बनाने और बढ़वाने तथा सुविधाओं में दी गई ब्याज और "मार्जिनों" की दरों में कमी करवाने के अनुरोध शामिल हैं ।

वर्तमान ऋण नीति की मुख्य बात ऋण-निर्माण पर नियंत्रण जारी रखने के साथ-साथ ऋण देने में ऐसी चयनात्मक नीति अपनाना है जिससे निवेश निरंतर होता रहे, उत्पादन बढ़ता रहे और आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सुविधा हो । इन उपायों को लागू करते समय इस बात की सावधानी रखी जाती है कि उत्पादन और वितरण की सच्ची आवश्यकताएं बैंक ऋण से वंचित न हों और इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों में उपयुक्त अपवादों और छूटों की व्यवस्था कर दी गई है । ऋण नियंत्रक उपायों के समग्र ढांचे में वाणिज्यक बैंकों को इस बात की काफी छूट है कि प्रत्येक ऋणकर्त्ता से उसकी प्राथमिकता ऋण लेने की क्षमता, ऋण लेने के उसके प्रयोजन आदि पर आधारित उसकी पात्रता के अनुसार यथोचित व्यवहार करें ।

महंगाई भत्ते की पांच किस्तों की अदायगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा आयोजित रैली

2597. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि महंगाई भत्ते की पांच किस्तों की तत्काल अदायगी एवम् "पेज प्रोज" अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर कई सौ केन्द्रीय कर्मचारियों ने नई दिल्ली में एक रैली की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्ग सूचकांक औसत 272 से ऊपर मूलय वृद्धि के सन्दर्भ में अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान को तथा अतिरिक्त परिलधियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतनों की अनिवार्य जमा को बन्द करने की मांग कर रहें हैं ।

(ख) जहां तक महंगाई भत्ते के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसकी समीक्षा की जा रही है और इस मामले पर निकट भविष्य में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जानी है । अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 को वापस लेने का कोई विचार नहीं है ।

रुई आयात पर आयात शुल्क में कमी

2598 **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री एम० कतामुत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई के आयात पर लगे आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान इस आयात शुल्क से कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) रूई के आयातों के संबंध में सीमाशुल्क से आम छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन, मुख्यतः वस्त्रों की नियंत्रित तथा निर्यात किये जाने योग्य किस्मों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पाकिस्तानी रूई के संबंध में शुल्क से छूट देने संबंधी एक सुझाव की जांच की जा रही है।

(ग) कच्ची रूई के आयात के संबंध में 1-4-74 से 31-12-74 तक की अवधि के दौरान वसूल की गयी सीमा शुल्क-राजस्व की रकम केवल 7,85,59,000 रु० थी।

रबड़ के निर्यात पर नियन्त्रण

2599. **श्री एस० ए० मरुगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक रबड़ के निर्यातक देशों ने रबड़ के निर्यात पर नियंत्रण करने के लिये इकट्ठा होने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह समझा जाता है कि विश्व बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में विद्यमान गिरावट की वजह से रबड़ उत्पादन करने वाले प्रमुख देश अर्थात मलयेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, प्राकृतिक रबड की कीमतों में स्थिरता लाने हेतु ठोस उपाय करने के लिए आपस में मिल रहे हैं। तथापि इससे भारतीय रबड़ की स्थिति पर प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

पुर्तगाल के साथ व्यापार सम्बन्ध

2601. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में हस्ताक्षरकृत भारत-पुर्तगाल संधि को देखते हुए क्या दोनों देशों के बीच व्यापार-सम्बन्ध भी स्थापित होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : पुर्तगाल के साथ व्यापार पर लगी रोक 1 जनवरी 1975 से हटा ली गई है ताकि सामान्य व्यापार हो सके।

आयातित रूई का नीलाम द्वारा बिक्रय

2602. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम आयातित रूई का नीलाम द्वारा विक्रय कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकारियों द्वारा संगठित रूप में बोली लगाये जाने के कारण नीलाम का मूल्य आमतौर पर बाजार में व्याप्त मूल्यों से बहुत कम रह जाता है; और

(ग) आयातित रुई के विक्रय को सुनियोजित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रुई निगम मिलों के मांग-पत्रों के आधार पर रूई आयात करता है । रुई आ जाने पर कीमत का भुगतान प्राप्त करने के बाद, जिसमें चड़ाने-उतारने के प्रभार भी शामिल होते हैं, मिलों को रुई दे दी जाती है । अत: आयातित रुई को नीलाम में अथवा बोली लगा कर बेचने का प्रश्न नहीं उठता ।

पान अमेरिकन और टी० डब्ल्यू० ए० एयरलाइन्स के साथ उड़ान-समझौता

2603. **श्री वेकारिया** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से होकर विमान-मार्ग करार के बारे में पान अमेरिकन और टी० डब्लू० ए० एयरलाइंस के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन के महानिदेशक को ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस ने बताया है कि ट्रांस वल्ड एयरलाइंस और पान अमेरिकन एयरवेज के बीच हुए मार्ग अदलबदल समझौते (रूट स्वैप एग्रीमेंट) के अनुसार, जिसे यू० एस० सिविल एरोनाटिक्स बोर्ड ने दो वर्ष के लिए अनुमोदित किया है, टी० डब्ल्यू० ए० भारत के रास्ते होने वाली अपनी उड़ान सेवाएं स्थगित कर देगा । क्योंकि यह समझौता दो विदेशी विमान कम्पनियों के मध्य है इसलिए समझौते के पूरे ब्यौरे सरकार को उपलब्ध नहीं हैं ।

सूडान तथा मिश्र के साथ रुपया मुद्रा में व्यापार

2604. **श्री धामनर** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1975 के समाचार पत्रों में "रुपी ट्रेड विद सडान ऐण्ड इजिप्ट में एण्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मिस्र और सूडान के साथ हमारे व्यापार के भावी स्वरूप पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में इन दोनों देशों के साथ शीघ्र ही वार्ताएं किए जाने की आशा है।

बड़े तथा छोटे उद्योगों को ऋण सुविधायें देने का प्रस्ताव

2605. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े तथा छोटे सभी उद्योगों को, जो कि देश में आर्थिक विकास बढ़ाने में सहायता देते हैं, ऋण सुविधायें देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी है कि वे ऋण सुविधायें देते समय आवेदन पत्रों का क्षेत्र (सैक्टर) वार वर्गीकरण न करें; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से उस प्रस्ताव को क्रियान्वित कराने के बारे में सरकार ने क्या कर्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 29 अक्टूबर, 1974 को 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए ऋण-नीति की घोषणा करते समय रिर्जव बैंक ने वाणिज्यक बैंकों पर इस विषय में फिर जोर दिया है । कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में ऋण-निर्माण पर नियंत्रण रखना जरुरी है। किन्तु साथ ही उन्हें चाहिए कि उपलब्ध ऋण के देने में चयनात्मक नीति अपनायी जाय ताकि निवेश निरंतर होता रहे, उत्पादन बढ़ता रहे और आवश्यक वस्तुओं के अच्छे वितरण में सुविधा बनी रहे । बैंकों को यह सूचना दी गई है कि बैंक-निधियों के दुर्लभ साधनों का लाभ ऋणकर्त्ता एककों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिये और आवश्यकता का निर्धारण उस एकक के आकार के हिसाब से ही न किया जाय बल्कि जिस प्रकार का उत्पादन करने में वे लगे हुए हैं उसका भी ध्यान रखा जाय । जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र में निर्माणकर्त्ता एककों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यचालन पूंजी की आवश्कताओं पर पहिले विचार किया जायगा । निजी औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत महत्व के (कोर) क्षेत्र के एककों को (मुख्य रूप से उन एककों को, जो रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं तथा कृषि के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं, परिवहन और बिजली के उपकरणों और मूलधातुओं और खनिजों का उत्पादन करते हैं) और उन एककों को जो आम उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं (जैसे नियंत्रित किस्म का कपड़ा, खाद्य तेल, चीनी आदि) बनाने में लगे हुए हैं, तरजीह दी जाती है । "कोर" क्षेत्र और "वेज गुडस" उद्योगों के काम की वस्तुएं बनाने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को, कम आवश्यक प्रकार के एककों की अपेक्षा तरजीह दी जायगी । बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि जहाँ तक छोटे पैमाने के उद्योग को प्राथमिकता देने नीति का प्रश्न है उसको लागू करते समय सूक्ष्मदर्शिता से काम लिया जाय ताकि, विशेष रूप से 10 लाख रुपये और उससे कम ऋण-सीमा (लिमिट) वाले एककों के लिए उक्त व्यवहार सुनिश्चित हो सके ।

(ख) और (ग) : बैंकों में आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में प्राप्त आवेदन पत्रों के विवरणों का संकलन करने की व्यवस्था नहीं है । स्वीकृत किये गये अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित मौलिक संख्यिकीय विवरणियों के अनुसार क्षेत्रवार किया जाता है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्विति के लिए दिया गया ऋण

2606. **श्री कुमार माझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कतिपय औद्योगिक परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण देने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो निगम ने उक्त परियोजना के लिए वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान कितनी राशि की पेशकश की;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने पश्चिम बंगाल में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना के लिये भी ऋण दिया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के लिए निगम ने वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान कितनी राशि की पेशकश की ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम को पश्चिम बंगाल की कुछ कम्पनियों से दीर्घवधिक ऋण मंजूर करने के संबंध में आवेदन और पूंजी में (जिसमें ऋण-पत्र पूंजी भी शामिल है) हामीदारी तथा अंशदान करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम ने इन कम्पनियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 1973/74 और 1974/75 में निम्नलिखित सावधिक ऋण मंजूर किये है :–

वर्ष	रकम लाख रुपयों में
1973-74	250.00
1974-75	——

बहुत से आवेदनपत्र विचाराधीन हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम को ऐसा कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

महालेखाकारों के पद को स्थायी बनाना

2607. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (व्यय विभाग में) के अधीन स्थायी पदों के उपलब्ध होंने के बाइजूद महालेखाकारों के पद को स्थायी नहीं बनाया जाता है ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) महालेखाकारों के कुछ पदों पर अभी स्थायी नियुक्तियां की जानी हैं।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, महालेखाकारों के पदों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में सरकारी आदेश हाल ही में जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार महालेखाकारों के दो स्तर होंगे। स्तर 1 के पदों की शिनाख्त तथा इन पदों को धारण करने के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया विचाराधीन है। महालेखाकार ग्रेड के स्तर 1 और 2 में अधिकारियों के स्थायी किये जाने का इसके साथ घनिष्ट संबंध है। इसके अतिरिक्त, कुछ अधिकारियों के स्थायीकरण की उपयुक्तता का निरीक्षण किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का नया फार्मूला

2608. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का नया फार्मूला बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं। मंहगाई भत्ते के मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है और इस पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बात की जानी है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पांचवीं योजना के आर्थिक संकट के सम्बन्ध में सम्मेलन

2609. **श्री रानेन सेन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "पांचवीं योजना के आर्थिक संकट" के सम्बन्ध में बम्बई में एक सम्मेलन हुआ था तथा उस सम्मेलन में 93 एकाधिकार गृहों को सरकारी नियंत्रण में लेकर वर्तमान आर्थिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन करने की मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बम्बई में "पांचवीं आयोजना के आर्थिक संकट" के बारे में हुए सम्मेलन के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, किन्तु इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है। यद्यपि पांचवीं आयोजना के लिये अन्तिम रूप देने में कुछ देर हो गयी है, तथापि वर्तमान स्थिति को पांचवीं आयोजना का संकट कहना ठीक नहीं है।

किसी आर्थिक क्रिया-कलाप अथवा आर्थिक कार्य करने वाली किसी संस्था को अपने अधिकार में लेने के संबंध में निर्णय उत्पादन बढ़ाने के व्यापक हितों और अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर को बनाये रखने की बात को ध्यान में रख कर लिये जाते हैं।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार करार

2610. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल में हुए व्यापार करार का हथकरघा वस्त्रों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच कोई व्यापर करार नहीं है परन्तु हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ताओं में यह बात स्पष्ट की गई कि हथकरघा वस्त्रों के हाथ से बने कुटीर उद्योग उत्पाद अथवा परम्परागत फीकलोर हस्तशिल्प वस्त्रों के उत्पाद मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन नही होंगे।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रेड के महानिदेशक द्वारा त्यागपत्र

2611. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रेड के महानिदेशक ने सरकार के साथ मतभेदों के कारण हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मतभेद किस प्रकार के थे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के भूतपूर्व महानिदेशक प्रो० जी० आर० कुलकर्णी ने महानिदेशक के पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के एककों में लगाई गई पूंजी से प्राप्त आय

2612. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में लगाई गई पूंजी से अभी भी कम आय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य कम्पनियों की तुलना में व्यापार तथा सेवाओं में लगी कम्पनियों ने अच्छी आय अर्जित की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के सकल लाभ में 1973–74 के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है । जहां

1972-73 में इन्हें 226 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, वहां 1973-74 में यह 272 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लगी पूंजी पर 1972-73 में जहां 5.1 प्रतिशत का प्रतिलाभ हुआ था वहां 1973-74 में 5.2 प्रतिशत प्रतिलाभ हुआ है। सरकार यह आशा करती है कि आगामी वर्षों में इनकी लाभकारिता में और भी बृद्धि हो जायगी।

अधिक पूंजी वाले विनिर्माणकारी उद्यमों की अपेक्षा व्यापारिक और सेवा प्रदायी उद्यमों से आम-तौर पर अधिक प्रतिलाभ मिलता है । विभिन्न समूहों की कम्पनियों द्वारा लगी पूंजी पर अर्जित लाभ नीचे दिया गया है :—

सेवा प्रदायी उद्यम	लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत	
	1973-74	1972-73
1	2	3
व्यापार और विपणन .	10.7	7.3
परिवहन सेवाएं . . .	7.3	6.3
संविदा और निर्माण संबंधी सेवाएं .	9.8	13.9
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	15.3	13.9
विनिर्माणकारी उद्यम		
पेट्रोलियम .	14.6	16.5
भारी इंजीनियरी .	5.4	3.0
मध्यम और हल्की इंजीनियरी	9.5	9.2
परिवहन उपस्कर .	6.7	6.2
कृषि पर आधारित उद्यम .	19.9	12.3
इस्पात . .	1.5	हानि
खनिज एवं धातु	हानि	हानि
रसायन और औषध	2.2	1.4
उपभोक्ता सामग्री	हानि	हानि

Hotels serving Indian dishes in foreign countries

2613. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Poland has taken a decision to open eating houses in its Capital Warsaw and other cities where Indian dishes would be available; and

(b) if so, the action being taken by the Government of India to open eating houses there and whether there is a demand for Indian dishes in some foreign countries and whether any eating houses and hotels serving Indian dishes have been opened by India Tourism Development Corporation in any foreign country so far ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of Poland have shown interest in opening such Restaurants in Poland.

(b) Government of India has responded by offering the services of the India Tourism Development Corporation in providing the necessary technical and other assistance. No specific request has yet been received from the Polish Government in this respect. India Tourism Development Corporation have not carried out any survey for assessing the demand of Indian dishes in foreign countries.

India Tourism Development Corporation have not opened any eating house or hotel outside India. The Corporation is, however, providing technical assistance to the Government of Czechoslovakia in the establishment of an Indian Restaurant in Prague.

Some private hoteliers have, however, opened Indian restaurants in Europe, U.K. and U.S.A.

राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रयादेशों का रद्द किया जाना

2614. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कुछ चुनी हुई चीजों के लिये विदेशी सप्लायरों को दिये गये क्रयादेश रद्द कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने रासायनिक पदार्थों, भेषज व औषधियों तथा खाद्य वस्तुओं से संबंधित 8.6 करोड़ रु० की आयात संविदायें रद्द कर दी हैं। संविदाओं के रद्द करने के मुख्य कारण ये हैं: सप्लायरों द्वारा शर्तों का पूरा न किया जाना तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा मांग वापस ले लेना।

कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंधन

2615. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लघंन किये जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्यवाही इस बीच पूरी कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) : जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

समाजवादी देशों के साथ रुपया भुगतान व्यापार

2616. **श्री निंबालकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार प्रक्रिया में सुधार करने हेतु समाजवादी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में रुपया में भुगतान पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो विकास गति को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) व्यापार की वृद्धि बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं करना ।

(2) मेला तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(3) व्यापार प्रतिनिधियों का आदान प्रदान करना ।

(4) विशेषीकृत भारतीय संस्थानों द्वारा बाजार अध्ययन करना तथा वाणिज्यिक प्रचार का आयोजन करना ।

ऊनी कपड़ा उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम

2617. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में ऊनी कपड़ा उद्योग का उत्पादन सुधारने के लिए संयुक्त उद्यम के बारे में सरकार ने कुछ प्रयास किये हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में किये गये ऊनी कपड़ा निर्यात का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान क्रमशः 48.20 करोड़ रु० तथा 52.26 करोड़ रु० मूल्य का ऊनी माल निर्यात किया गया।

Evasion of Taxes

2618. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether evasion of taxes is on the increase day by day;

(b) whether Government have found out the percentage of tax evasion; and

(c) if so, figures thereof for the last three years, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) It is not possible to quantify the extent of evasion of the various Central taxes. It is consequently not possible to state the percentage of tax evasion or whether evasion of taxes is on the increase.

मथरानी समिति द्वारा रिपोर्ट का दिया जाना

2619. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथरानी समिति ने सामान्य बीमा निगम के बारे में अपनी रिपोर्ट इस बीच भारत सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या है;

(ग) समिति पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) साधारण बीमा सेवा एकीकरण समिति (मथरानी समिति) ने कुल मिलाकर सात रिपोर्टें पेश कीं जिनमें साधारण बीमा उद्योग में सर्वोच्च वरिष्ठ माध्यमिक प्रबन्ध-व्यवस्था तथा माध्यमिक प्रबन्ध-व्यवस्था स्तरों के अधिकारियों के वर्गीकरण उन्हें खपाने के सिद्धांत और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों पर रिपोर्टें भी शामिल हैं। समिति की सिफारिशें जो पर्यवेक्षी लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों तथा साथ ही अधिकारियों के पदों के वर्गीकरण, वेतनमान तथा अन्य शर्तों से संबंधित थीं, दिनांक 14-12-73 के अतारांकित प्रश्न सं० 4815 के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई थीं।

(ग) 10,14,949 रु० (जिसकी लेखा परीक्षा होनी है)।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने पर्यवेक्षी, लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों के वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(1) (छ) के अन्तर्गत एक योजना तैयार की है। यह योजना सरकारी राजपत्र में 27-5-1974 को अधिसूचित की गई थी। यद्यपि योजना तैयार करते समय मथरानी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था किन्तु कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कतिपय मामलों में समिति की सिफारिशों में संशोधन करना आवश्यक हो गया। अन्य कर्मचारियों अर्थात् अधिकारियों तथा विकास-कर्मचारियों के लिये योजना तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

अधिकारियों के वर्गीकरण संबंधी सिफारिशें तब तक के लिए अनन्तिम मानी गई जब तक समिति द्वारा स्वयं ही अथवा प्रभावित अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा नहीं की जाती। सर्वोच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक प्रबन्ध-व्यवस्था स्तर के पदों की सूचियों में समीक्षा समिति ने जिन कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की थी उन्हें साधारण बीमा निगम बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

कपड़ा संबंधी नीति

2620. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ काटन एंड अलाइड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के प्रेजीडेंट ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह पूंजी निवेश पर लाभ, किस्म वर्गीकरण और रूई की पूर्ति के बारे में अपनी वस्त्र नीति में आमूल और वास्तविक परिवर्तन करें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-युगोस्लाविया संयुक्त समिति की बैठक

2621. **श्री एम० कतामुत्तु** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-युगोस्लाविया संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। भारत-युगोस्लाव संयुक्त समिति का नवां सत्र 10 से 13 फरवरी, 1975 तक नई दिल्ली में हुआ। दोनों पक्षों ने व्यापार के विस्तार तथा विविधीकरण भारत, यूगोस्लाविया तथा तीसरे देशों में औद्योगिक सहयोग से संबंधित मामलों तथा पारस्परिक आर्थिक संबंधों के क्षेत्र के अन्य मसलों पर बातचीत की।

यूगोस्लाव बाजार में संभाव्यता वाली अनेक मदों का पता लगाया गया यथा, मोटरगाड़ी, अनुषंगी, सामान, टायर तथा ट्यूबें, स्टील के स्लैब, कच्चा लोहा आदि। भारत और यूगोस्लाविया में औद्योगिक सहयोग की संभाव्यताओं पर बातचीत हुई। यह महसूस किया गया कि तीसरे देशों में विशेषतः परामर्श सेवाओं सिविल इंजीनियरी वर्क्स, उपस्करों की सप्लाई के संबंध संयुक्त उद्यमों की संभावना है। इस पर भी सहमति हो गई कि बैंकिंग तथा वित्तीय सहयोग संबंधी उप-समिति गठित की जाये ताकि वह अपनी-अपनी सरकारों, उसके केन्द्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच पारस्परिक परामर्श और सहयोग बढ़ाने से संबंधित उपायों पर विचार कर सकें।

Financial Assistance to Craftsmen

2622. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ?

(a) the names of those 15 poor craftsmen who were selected for financial assistance during 1973-74 and the criteria adopted therefor; and

(b) the extent of assistance given to them so far and the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) The names of 15 poor craftsmen who were selected for financial assistance during 1973-74 are given in the enclosed statement. The criteria adopted for selection of craftsmen for financial assistance are :—

(i) He should be a recipient of National Award or Merit Certificate.

(ii) His private income should be less than Rs. 1800 per annum.

(iii) He should not be in receipt of such financial assistance from any other source.

(iv) He should not be less than 60 years of age on the date of application.

(v) He should be in indigent circumstances.

(b) An amount of Rs. 19,655.40 was paid to them in cash during 1973-74.

STATEMENT

Names of 15 poor craftsmen who were selected for grant of financial assistance during 1973-74

1. Shri Ahmad Ali Mian,
Carpet Weaver, Village Obra, Distt. Gaya (Bihar).
2. Miss Maheshi Devi,
Mohalla Kharura, P.O. & Distt. Chamba (Himachal Pradesh).
3. Shri Gulam Qadir Rangrez,
C/o. Gaffar Rangrez, Kanihama, Teh. Berwah, Distt. Srinagar (J&K).
4. Lala Gulam Qadir,
Kachgari Masjid, Fateh Kadal, Srinagar (J&K).
5. Shri Ali Mohd. Bhat,
Malchi Mar, Ali Kadal, Srinagar (J&K).
6. Shri Nagamangala Venkatacharya,
Chinnacharya Shilpi, Door No. 244, Dodda Vekkalagari, K.R. Hospital Road Cross, (Mysore.)
7. Shri K. Nanjunda Rao,
3519, Srinivasa Temple Road, Tilak Nagar, (Mysore.)
8. Shri Sheikh Mohamed Abdullah,
C/o. M/s. Abdullah Brothers, Aurangabad Himroo, Nawabpura, Aurangabad (Maharashtra).
9. Smt. Ibemtombi Devi Lourembam,
Keisamthong, Moragthou Leirak, P.O. Imphal (Manipur).
10. Shri Thinochalie Angami,
Vill. Khonome, Distt. Kohima, (Nagaland.)
11. Shri Mohiram Rana (alias Mochiram),
Bholbeda, P.O. Luhakani, Distt. Mayurbhanj (Orissa).
12. Shri T.G. Ganesan,
2580, South Main Street, Tanjore (Tamil Nadu).
13. Shri Rashbehari Kumbhakar,
Vill. & P.O. Panchmura, Distt. Bankura (West Bengal).
14. Shri Haripada Bhaskar,
9, Girija Sankar Chakravarty Lane, P.O. Khagra, Distt. Murshidabad (West Bengal).
15. Shri T.N. Padmanabhan Achari,
Ambika Nivas, Vikrampura Hill, P.O. Pattam Palace, Trivandrum (Kerala).

इलायची बोर्ड द्वारा अपनाई गई लाइसेंसिंग प्रक्रिया

2623. **श्री वी० वी० नायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के लघु उत्पादकों को इलायची बोर्ड द्वारा अपनाई गई लाइसेंसिंग प्रक्रिया के कारण कठिनाईयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी एसोसिएशनों, सहकारी समितियों अथवा अन्य निकायों के माध्यम से सामूहिक लाइसेंस देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) इलायची बागानों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और ऐसे पंजीकरण के लिए इलायची बोर्ड द्वारा कोई लाइसेंस जारी करना अपेक्षित नहीं होता। तथापि, प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त हुई प्रस्थापना पर इलायची बोर्ड के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है:

Crisis in Handloom Industry in Madhya Pradesh

2624. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh has drawn the attention of the Central Government towards handloom industry, powerloom industry facing crisis at present as a result of which a large number of persons have been rendered jobless; and

(b) if so, the steps taken by Government to tide over the crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

महंगाई भत्ते की तीन किश्तों की अदायगी के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

2625. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की तीन किश्तों की अदायगी के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) यदि यह संदर्भ तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सूचकांक औसत 272 तक देय मंहगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किश्तों के लिए है तो अपेक्षित आदेश कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् पहले ही जारी किए जा चुके हैं। लेकिन यदि यह संदर्भ सूचकांक औसत 272 से ऊपर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के लिए है तो तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार समीक्षा की जा रही है और मामले पर निकट भविष्य में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया जाना है।

रूस को काफी की बिक्री

2626. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड द्वारा वर्ष 1972 से 1974 के बीच रूस को काफी की बिक्री के बारे में कुल कितने करार किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक करार कितने मूल्य का है;

(ग) स्वीकृत दर क्या है;

(घ) उन पार्टियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से ये करार किये गये हैं;

(ङ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इन पार्टियों द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रक्रियाओं के कारण काफी बोर्ड को बहुत अधिक घाटा हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) दस ।

(ख) तथा (ग) : इन दस संविदाओं का मूल्य नीचे दिया गया है । किन्तु हर मामले में दरें भिन्न-भिन्न हैं जो संविदा के समय चल रही कीमतों पर निर्भर रहीं ।

	संविदाओं का मूल्य (रुपयों में)
	1,45,20,000
	2,46,80,000
	2,95,20,000
	49,20,000
	1,27,04,000
	25,68,000
	84,00,000
	15,79,90,000
	2,08,00,000
	85,60,000
योग :	28,46,62,000

(घ) दो संविदाएं भारतीय राज्य व्यापार निगम के जरिये की गई । शेष संविदाएं काफी बोर्ड द्वारा सीधे भारत स्थित सोवियत संघ के प्रतिनिधि के साथ की गई ।

(ङ) सरकार को ऐसे किसी आरोप की जानकारी नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा त्रिपुरा में आवास प्रयोजनों पर खर्च की गई राशि

2627. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा त्रिपुरा में आवास प्रयोजनों पर कुछ धन-राशि खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : जी, हां । 31-12-1974 तक 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना के अंतर्गत 30,000 रु० का एक ऋण दिया गया है ।

Aircraft involved in accidents

2628. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of air accidents in which Indian aircraft were involved within the country and abroad during 1973-74 and 1974-75;

(b) the number, separately, of persons killed and disabled as a result thereof; and

(c) the amount of compensation Government had to pay in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) The information required regarding civil aircraft is as follows :—

	1973-74		1974-75	
	(1-4-73 to 31-3-74) Within the country	Outside the country	(1-4-74 to 3-3-75) Within the country	Outside the country
	1	2	3	4
No. of air accidents involving loss of life				
(i) to scheduled passenger transport aircrafts.	1 (31-5-73)			
(ii) to private, Agricultural and Flying Clubs aircraft.	2 (9-4-73 & 18-9-73)		7 (5-4-74, 21-7-74, 15-9-74, 7-11-74, 14-11-74, 2-1-75 & 26-1-75).	
No. of persons killed				
(i) in accidents to scheduled passenger transport aircraft.	48*		...	
(ii) in accidents to private, Agricultural and Flying Clubs aircraft.	6		12	
No. of persons disabled.	...	...	...	...

Notes : (1) *Air crash of Boeing 737 of Indian Airlines on 31st May, 1973.

(2) Figures in bracket indicate date of accidents.

(c) The details of the amount paid by Private Operators/Flying Clubs as compensation are not known. However, the total amount paid by Indian Airlines as compensation so far for loss of life and property in connection with the accident to Boeing 737 aircraft on 31st May, 1973 is Rs. 43,35,980.

तस्करी के लिये एयर इंडिया के गिरफतार किये गये अथवा आरोप पत्र दिये गये कर्मचारी

2629. **श्री चन्द्र मोहन सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के कितने कर्मचारी गत एक वर्ष में तस्करी के लिये गिरफतार किये गये अथवा उन्हें आरोप पत्र दिये गये ;

(ख) क्या 1973-74 के दौरान गिरफ्तार अथवा आरोप-पत्र दिये गये ऐसे कर्मचारियों की अपेक्षा उक्त कर्मचारियों की संख्या अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 (22-2-75 तक) के दौरान एयर इंडिया के जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था अथवा आरोपपत्र दिये गये थे उनकी संख्या निम्न प्रकार थी :

1973-74 के दौरान	2	इनके अलावा तीन कर्मचारियों को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस दिये गये थे।
1974-75 के दौरान (22-2-1975 तक)	19	

(ग) एयरपोर्ट कस्टम्स, सांताक्रुज ने तस्करी के लिए 1973-74 में एक फ्लाईट पर्सर और एक लोडर को गिरफ्तार किया था। फ्लाईट पर्सर के विरुद्ध कस्टम्स ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है तथा मामला न्यायाधीन है । लोडर के विरुद्ध कस्टम्स के मामले की कस्टम अधिकारियों द्वारा अभी जांच की जा रही है । ये दोनों व्यक्ति निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध कस्टम के मामले पर कार्यवाई पूरी हो जाने पर विभागीय कार्यवाई की जाएगी। कस्टम्स अधिकारियों ने जिन तीन व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, उनको न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही आरोपपत्र दिये गये हैं।

1974-75 में तस्करी के लिये गिरफ्तार किये गये 19 व्यक्तियों में से 13 को मारीशस अफीम ले जाते हुए पकड़ा हैं तथा उनके विरुद्ध मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी जांच की जा रही है । एयर-इंडिया के प्रबन्धकों द्वारा इन सभी 13 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

एयर इंडिया के प्रबन्धकों द्वारा एक असिस्टेंट फ्लाईट पर्सर की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं जोकि मादक औषधियों की तस्करी करता था और पिछले अप्रैल में जिसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था ।

दिल्ली में तस्कर करने वाले दो ड्राईवरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

तस्करी करने के लिये कलकत्ता में गिरफ्तार एक सहायक स्टेशन पर्यवेक्षक तथा एक लोडर के विरुद्ध कस्टम की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । कस्टम्स अधिकारियों से सूचना मिलने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जाएगी ।

एक विमान परिचारिका, जिसे मादक औषधियों की तस्करी के लिये लंदन में गिरफ्तार किया गया था, निलम्बित कर दी गयी है और पुलिस जांच अभी चल रही है । कोर्ट केस पूरा हो जाने पर विभागीय कार्यवाई की जाएगी।

इसके अलावा एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली तस्करी को रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित और उपाय किये गये हैं :

(1) देश से बाहर भेजे जाने वाले संदेहास्पद सामान एवं पार्सलों की जांच में विशेष सतर्कता बरती जाती है ;

(2) तस्करी संबन्धी अपराधों के लिये और अधिक कड़ी व्यवस्था करने तथा वर्तमान खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में हाल ही में संशोधन किया गया है ;

(3) सूचना का विधिवत् एकत्रीकरण तथा उत्तरवर्ती कार्यवाई करना और संदिग्ध तस्करों पर कड़ी निगरानी रखना ;

(4) संदेहास्पद विमानों की पूरी तौर से तलाशी ; तथा

(5) एकमात्र तस्करी-विरोधी काम की ही देखभाल करने के लिये तस्करी-प्रवण क्षेत्रों (वुल्नरेबल एरियाज) में सीमाशुल्क कलक्टर, सीमाशुल्क अपर कलक्टर, तथा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के पद के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्यात लक्ष्य

2630. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वस्तु के विषय में क्या वार्षिक निर्यात लक्ष्य नियत किये गये थे ;

(ख) वास्तविक वार्षिक निष्पादन क्या रहा ;

(ग) लक्ष्यों में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 9127/75]

राज्यों को नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का आवंटन

2631. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्य लोगों के उपयोग के लिये 1972-73, 1973-74 (दिसम्बर, 1974 के अंत तक) कपड़ा मिलों ने विभिन्न किस्मों के नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े की कितनी गांठों का उत्पादन किया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में, उपरोक्त नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का, राज्यवार, क्रमशः राज्यों को किन आधारों पर नियतन किया गया ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कौन-कौन से राज्यों के एजेन्ट अथवा स्वंय राज्य, वर्ष-वार पूरा आवंटित कोटा नहीं उठा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क)

अवधि	नियंत्रित कपड़े की पैकिंग (1500 वर्ग मीटर की मानक गांठों में)
मार्च 72—मार्च, 1973	2,19,317
अप्रैल 73—मार्च, 1974	2,55,334
अप्रैल—दिसम्बर, 1974	4,08,000

(ख) उपलब्ध कुल नियंत्रित कपड़ा जनसंख्या के आधार पर समानुपात रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है। तथापि, वास्तविक आवंटन में भिन्नताएं कतिपय राज्यों द्वारा कपड़े की कतिपय किस्में स्वीकार न किये जाने और विशेष अवसरों अर्थात् उत्सवों तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के समय कतिपय राज्यों को अधिक आवंटन किये जाने के कारण होती हैं। 1973 और 1974 के दौरान राज्यवार नियंत्रित कपड़े के आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०9128/75]

(ग) अगस्त से दिसम्बर, 1974 के महीनों के लिए संकलित जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इन महीनों में से एक अथवा अधिक के दौरान उन्हें आवंटित कोटे की पूरी मात्रा को नहीं उठाया:—(1) महाराष्ट्र, (2) पंजाब, (3) तमिलनाडु, (4) हरियाणा, (5) हिमाचल प्रदेश, (6) जम्मू तथा काश्मीर, (7) मध्य प्रदेश, (8) उत्तर प्रदेश, (9) कर्नाटक, (10) चंडीगढ़, (11) पं० बंगाल, (12) उड़ीसा, (13) लक्कादिव व मिनीकाय द्वीप समूह, (14) राजस्थान (15) केरल, (16) त्रिपुरा, तथा (17) पांडिचेरी।

पूर्ववर्ती अवधि संबन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Development of Tourists centres in tribal areas of Madhya Pradesh

2632. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some tourist centres are proposed to be developed during 1975 or the next one or two years in any of the tribal areas of Madhya Pradesh;

(b) whether any survey has been conducted in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Due to constraint on resources it is proposed for the present to concentrate efforts in the Central Sector on the development of tourist facilities only at Khajuraho, Sanchi and Bhopal. However, subject to the availability of funds the development of facilities in the Kanha National Park would be given due consideration. Apart from this, there are no specific proposals for the development of tourists facilities in the tribal areas of Madhya Pradesh.

भारत-रूस व्यापार वार्ता

2633. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस व्यापार वार्ता दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी, 1975 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस से कोई प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और भारतीय प्रतिनिधि-मंडल स वातचीत की थी,

(ग) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) से (घ) विदेश व्यापार उपमंत्री मि० आई० टी० मिशिन के नेतृत्व में एक सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर, 1974 में भारत आया। रूसी और भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप 30 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में 1975 हेतु व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें दोनों देशों के बीच 1975 में 750 करोड़ रु० के व्यापारिक लेन-देन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1974 में 650 करोड़ रु० का व्यापारिक लेन-देन प्रत्याशित था।

इस संलेख के अनुसार भारत इंजीनियरी सामान, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, गैरेज उपस्कर, स्टोरेज बैटरियां, मोटरगाड़ी अनुषंगी सामान, सेनिटरी फिटिंग्स, शल्य चिकित्सा के यंत्र, ऊनी निटवियर जैसी अनेक अपरम्परागत मदों और तेलरहित खली, काजू, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, पटसन निर्मित माल, हस्तशिल्प की वस्तुओं आदि जैसे परम्परागत वस्तुओं का निर्यात करेगा।

सोवियत संघ से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें मिट्टी का तेल, उर्वरक, जिंक, तांबा, निकिल, पलाडियम, एस्बेस्टोज, अखबारी कागज, रोल्ड इस्पात के उत्पाद, मशीनें तथा उपस्कर आदि हैं।

तस्करी के गिरोहों में सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों की कथित अन्तर्ग्रस्तता

2634. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस समाचार तथा व्यक्तियों, संगठनों और अन्य संस्थानों द्वारा की गई ऐसी शिकायतें देखी हैं कि प्रवर्तन निदेशालय तथा सीमाशुल्क विभाग के कुछ कर्मचारी भी तस्कर गिरोहों में अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में ऐसे कितने कर्मचारी मुअत्तिल किये गये, नौकरी से हटाये गये/बर्खास्त किये गये और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं, और विभागीय जांच चल रही है उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां जब ऐसी शिकायत विशिष्ट प्रकार की होती हैं, तो जांच की जाती हैं और जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां विभागीय अथवा इस्तगासे की कार्यवाही की जाती है।

(ग) वर्ष 1971-74 के दौरान तस्करी में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में 54 अधिकारियों को निलम्बित किया गया, एक को बर्खास्त किया गया, एक को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया तथा एक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध की गयी है, 32 अदालती मामले तथा 85 विभागीय मामले विचाराधीन है।

Impending closure of coal-based fertilizer schemes

2635. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether due to rigid terms and conditions of World Bank, the coal-based fertilizer schemes are in danger of being closed down;

(b) the terms and conditions of World Bank in this regard and whether Government have assessed the particulars of loss likely to be suffered by fertilizer schemes; and

(c) the steps being taken by Government to face this situation ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

वाढ़ के कारण हुई क्षति की मरम्मत करने और पुनर्निर्माण कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को आवंटित केन्द्रीय राशि

2639. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिये पश्चिम बंगाल को बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत करने और पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु आवंटित केन्द्रीय राशि कुछ प्रक्रिया संबन्धी रुकावटों के कारण रोक दी गई हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मिदनापुर और होराट्स जिलों में ऐसे कार्य कर दिए गए हैं ; और यदि हां, तो केन्द्रीय राशि को रोक देने के कारण ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान को भी रोक दिया गया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार कई सौ स्वनियोजित युवा ठेकेदारों तथा उनके अधीन कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर आवंटित राशि शीघ्र ही देगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) बाढ़ से हुई हानि की मरम्मत और पुनर्निमार्ण पर होने वाले प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर 1973-74 में राज्य सरकार को 4.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी जिसके हिसाब किताब का अन्तिम निपटारा खर्च के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जायगा। राज्य सरकार से मिली सबसे हाल की की सूचना के अनुसार वर्ष 1973-74 में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किया कुल खर्च केवल 3.88 करोड़ रुपये (2.07 करोड़ रुपये सिंचाई और जलमार्ग विभाग के निर्माण कार्यों पर और 1.81 करोड़ रुपये अन्य सभी विभागों के निर्माण कार्यों पर) प्रतीत होता है। चूंकि राज्य सरकार को पहले ही 4.50 करोड़ रुपये की अदायगी कर दी गयी है, इसलिए इस हिसाब में राज्य सरकार को दी जाने वाली कोई रकम नहीं रोकी गयी है।

(ख) प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता सारे राज्य के लिए दी जाती है न कि जिलों के अनुसार।

(ग) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि फरवरी से अप्रैल, 1974 तक इजीनियरों के काम रोको आन्दोलन के कारण बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत और सिंचाई तथा जलमार्ग विभाग के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 31 मार्च, 1974 तक वास्तविक अदायगी केवल 2.07 करोड़ रुपये की जा सकी और 2.98 करोड़ रुपये के बिलों की अदायगी बाकी है।

(घ) राज्य सरकार को साफ-साफ बता दिया गया था कि केन्द्रीय सहायता केवल 31 मार्च, 1974 तक किये गये खर्च के लिए दी जायगी और अगले वित्त वर्ष में आगे किया जाने वाला बाकी खर्च उसे स्वयं अपने साधनों से पूरा करना होगा। जैसा ऊपर बताया गया है वर्ष 1973-74 में दी गयी 4.50 करोड़ रुपये की सहायता से राज्य सरकार द्वारा 1973-74 में किया गया वास्तविक खर्च पूरा हो जाता है। इसलिए इस संबन्ध में और केन्द्रीय सहायता दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

वर्ष 1974-75 के दौरान आयातित अखबारी कागज

2637. **श्री वरके जार्ज**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) यह कागज किन-किन देशों से मंगाया गया;

(ग) इसके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी; और

(घ) अखबारी कागज के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) वर्ष 1974-75 के दौरान 1.86 लाख मे. टन अखबारी कागज आयात किए जाने की आशा है।

(ख) कनाडा, स्कैंडिनेविया, बंगला देश, चैकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ तथा जापान।

(ग) 3973.56 लाख रु०।

(घ) सरकार ने नेपा मिलों की क्षमता 30,000 मे० टन से 75,000 मे०टन तक बढ़ाने का काम आरम्भ किया है। यह विस्तार कार्य अप्रैल 1975 में पूरा होने की आशा है।

सरकार ने अखबारी कागज बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु और बहुत सी योजनाएं अनुमोदित की हैं।

Deposits of workers of J.B. Mangharam and Company, Gwalior in Company's Bank

2638. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a sizable amount of money of the workers of J.B. Mangharam and Company, Gwalior, is deposited in the Company's Bank;

(b) if so, the terms on which the workers had opened their accounts in the bank of the company and the number of the workers having account in the bank together with the amount of their deposits; and

(c) whether the depositors are not being allowed to withdraw their money and if so, the number of account holders who have informed the bank management of their intention to close their account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) Reserve Bank has advised that, according to the information available with it, M/s. J.B. Mangharam & Co., Gwalior, is a partnership firm engaged in the manufacture of confectionery products and it was accepting money from the public by way of deposits. At the end of March, 1973 it had reportedly a sum of Rs. 66.93 lakhs due to be repaid to the depositors.

M/s. J.B. Mangharam & Co., being a partnership firm, the existing directions of the Reserve Bank of India, which govern the deposit-acceptance activities of non-banking companies, do not apply to it. Reserve Bank has no information as to the types of persons from whom and the terms and conditions on which deposits were collected by the firm and the number of account holders who have been refused payments by the firm.

Transactions of deposits are in the nature of contract between the recipients of the deposits and the individual depositors and as such the affected parties have to pursue the normal remedies open to them in cases of breach of contract.

Central aid for famine relief work

2639. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the States to which the Central Government have given money for famine relief works during 1973-74 and 1974-75; and

(b) the manner in which the statements of accounts are asked for the money given for relief works to the various States by the Central Government ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The information is as follows

1973-74	1974-75 (Allocations made upto 4-3-1975)
1. Andhra Pradesh	1. Bihar (for drought and flood)
2. Bihar	2. Gujarat
3. Gujarat	3. Haryana
4. Karnataka	4. Madhya Pradesh
5. Madhya Pradesh	5. Orissa
6. Maharashtra	6. Rajasthan
7. Manipur	7. Tamil Nadu
9. Rajasthan	8. West Bengal (for drought and flood)
10. Uttar Pradesh	

(b) Till 1973-74, the States were asked to report the progress of expenditure on each item as against the ceiling approved for it on the basis of the Central Study Team's recommendations. As from the current year, following the recommendations of the Sixth Finance Commission, Central assistance is provided, where essential, only by way of advance assistance under the Plan. The States are, therefore, asked to report the progress of expenditure on the purposes approved for such advance assistance over and above the normal provisions included for them in the Plan. Central assistance is released on a provisional basis, subject to final settlement on the basis of the audited figures of expenditure.

केरल बागान निगम

2640. **श्री वायलार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बागान निगम द्वारा अभी हाल में प्रारम्भ की गई अपनी योजनाओं के लिए सहायता के रूप में केरल बागान निगम को भारत सरकार की ओर से 60 लाख रुपये की राशि देय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और शीघ्रतिशीघ्र सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे उक्त परियोजनाओं पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार, केरल बागान निगम द्वारा रबड़ बागानों के रख-रखाव के लिए केरल सरकार को 103.5 लाख रु० की ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गई है और राज्य सरकार को 77.5 लाख रु० की राशि पहले ही दी जा चुकी है ।

केरल में नारियल उत्पादकों को ऋण देना

2641. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रिजर्व बैंक ने केरल में नारियल उत्पादकों को नगदी ऋण देने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केरल में नारियल पैदा करने के लिए धन देने तथा "फिक्स लोन सिस्टम" के स्थान पर "कैश क्रेडिट सिस्टम" लागू करने के सम्बन्ध में, "केरल स्टेट कोआपरेटिव बक" द्वारा गठित की गई समिति की अधिकांश सिफारिशों का अप्रैल, 1974 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन कर दिया था । समिति के विचार से "कैश क्रेडिट सिस्टम" लागू करने से भुगतान क्रमिक रूप से करना संभव हो जायगा, बकाया राशियों की मात्रा कम से कम रखी जा सकेगी और इसके परिणामस्वरूप ब्याज का भार कम हो जायगा ।

धन देने की नई प्रणाली को आरम्भ करने के लिए विस्तृत लेखा-प्रक्रिया "केरल स्टेट कोआपरेटिव बैंक" द्वारा की जा रही है ।

चाय का निर्यात

2642. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्य चाय उत्पादक देशों की चाय बेहतर किस्म की है और आयात-कर्ता देशों के लिए उनकी शर्तें भी अधिक आसान हैं; और

(ख) बाधाओं को दूर करने और चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं, चाय उगाने वाले देशों द्वारा चाय के निर्यात सामान्यतः ऋण अथवा प्रलेखों के एवज में नकद या पोतलदान की तारीख से 90 दिन के भीतर भुगतान के आधार पर किये जाते हैं । लन्दन नीलामियों में खेप के आधार पर भी चाय के निर्यात किये जाते हैं ।

(ख) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) विभिन्न परम्परागत और नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यातों की ओर अधिक संभावना पैदा करने के लिए लन्दन, न्यूयार्क, काहिरा, ब्रसेल्स तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालय द्वारा संवर्धन कार्य ।

(2) विदेशों के चुने हुए बाजारों में स्थानीय ब्लैंडर्स/पैकर्स के सहयोग से भारतीय चाय के स्पैशल पैकों का संवर्धन।

(3) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों के जरिए विज्ञापन।

(4) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(5) चाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों तथा निर्यातकों को भेजना और आयंत्रित करना।

(6) पैकेट बन्द तथा ब्लैंड की गई चाय के निर्यात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में चाय व्यापार निगम कायम करना।

(7) चाय उत्पादक देशों और आयातक देशों के स्थानीय चाय व्यापार के साथ मिलकर चाय के सामान्य संवर्धन में भागीदारी ताकि अन्य अमादक पेयों के मुकाबले पेय के रूप में चाय की खपत बढ़ाई जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्व-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम में व्यक्तियों को दिया गया ऋण

2643. **श्री टुना उराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में कुछ व्यक्तियों ने स्व-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मांगें थे; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा 1973-74, 1973-74 और 1974-75 में, जिलावार, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) स्वयं-नियोजन-उपक्रमों के वास्ते सहायता के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्पर्क करने वाले व्यक्ति आर्थिक गति-विधियों के विभिन्न क्षेत्रों विशेषत: कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन चालक, खुदरा व्यापार और छोटे व्यवसाय, और पेशेवर तथा अन्य सेवाओं जैसी श्रेणियों में आते हैं। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा आसम राज्य में इन श्रेणियां के ऋणकर्ताओं को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशि जून, 1972 जून 1973 और जून, 1974 के अन्त में क्रमशः 10.6 करोड़ रु० 11.7 करोड़ रु० और 14.5 करोड़ रु० थी।

(ख) सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथिमकता वाले क्षेत्र को दिये गये ऋणों के विषय में जिले वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सांख्यिकीय सूचना देने की नयी प्रणाली के अधीन वाणिज्यिक बैंकों के समग्र ऋणों के क्षेत्रवार संवितरण के जिलेवार आंकड़ों का आंकलन प्रारम्भ किया जा चुका है असम के जिलों के बारे में जून, 1973 के अन्त तक के उपलब्ध ताजे आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9129/75)**

अंदमान के रबड़ बागान की क्षमता

2644. श्री टुना रांव: श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंदमान के रबड़ बागानों की क्षमता का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विकास के लिये कोई योजना शुरु की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जीं हां।

(ख) सरकार पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत दो रबड़ बागान परियोजनाएं एक दक्षिण अंडमान में दूसरी निकोबार के कटछल द्वीप समूह में पहले ही से चला रही है।

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार

2645. श्री अरविन्द एम० पटेल: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सोवियत संध के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो 1970-74 के वर्षों से, वर्षवार, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, । दोनों ओर से व्यापार 1970-71 में 316 करोड़ रु० से बढ़कर 1973-74 में 534 करोड़ रु० का हो गया।

(ख) विगत वर्ष की तुलना में वर्षवार व्यापार वृद्धि/ह्रास की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:-

1970-71	—	(−) 9.1%
1971-72	—	(−) 6.3%
1972-73	—	(+) 41.6%
1973-74	—	(+) 27.3%

विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले गिरोह

2546 श्री बेकारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत तीन महीनों में, राज्यवार, विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले कितने गिरोह पकड़े गये; और

(ख) सरकार ने उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 19–12–74 से 28–2–75 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन संबंधी अपराधों से संबंधित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या, जो विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये, नीचे दिये अनुसार है :—

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2
दिल्ली	2
पंजाब	8
पश्चिमी बंगाल	10
महाराष्ट्र	10
गुजरात	4
तामलनाडु	23
केरल	12
पांडिचेरी	1
जोड़	70

पिछले तीन महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या जो उल्लिखित नजरबंदों के मामलों की संख्या से भिन्न है; के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

रूई का आयात

2647 **श्री बेकारिया : श्री डी० पी० जदेजा**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के आयात के लिये अन्य देशों के साथ हाल ही में कोई करार ए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) करार के अन्तर्गत रूई की कितनी गांठों का आयात किया जायेगा;

(घ) क्या इस आयात से देश में रूई का उत्पादन करने वालों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) : पाकिस्तान से भारत में रूई की दो लाख गांठे आयात करने के लिए भारतीय रूई निगम तथा पाकिस्तान के रूई निर्यात निगम के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्योंकि मध्यम रेशे वाली रूई आयात की जाएगी जिसकी मांग की तुलना में देश में कमी है, अतः देश के रूई उपजकर्ताओं पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन वरिष्ठतम अधिकारियों को कम वेतन दिया जाना

2648 **श्री बयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या वर्ष 1971 में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक पर चर्चा के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन वरिष्ठतम अधिकारियों का दर्जा भी अभी तक बहुत निम्न है;

(ख) क्या उप महालेखा परीक्षक और अतिरिक्त उपमहालेखा परीक्षक का वेतन अभी भी भारत सरकार के सचिव तथा अतिरिक्त सचिव से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इन असंगतियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) इसका संदर्भ संभवत. 1971 में संसद में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक पर हुई चर्चा से है। तब वित्त मंत्री ने बताया था कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों का दर्जा उसके कार्यों पर निर्भर करता है और यह कि उनकी सेवा शर्तें नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करके निश्चित की जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा सीधे ही तीसरे वेतन आयोग को किये गये संदर्भ के आधार पर आयेगा, नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों के वेतनमानों पर गौर कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन पदों के लिए अब लागू वेतनमान तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार हैं और उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की शाखायें

2649 **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विकास खण्डवार और बैंकवार कितनी -कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) भिन्न-भिन्न खण्डों में इन शाखाओं की असंतुलित संख्या होने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अंत तक दक्षिण कनारा जिले में वाणिज्यिक बैंकों के 267 कार्यालय थे। शाखाओं के स्थान संबंधी आंकड़ों का संकलन रिजर्व बैंक द्वारा जिलेवार और बैंक-वार किया जाता है, दिसम्बर, 1974 के अन्त तक दक्षिण कनारा जिले के जिन स्थानों पर विभिन्न बैंकों की शाखाएं थी उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**–9130/75]

विभिन्न क्षेत्रों में शाखाओं का जाल कितना बड़ा है। यह उस क्षेत्र में विद्यमान आर्थिक कार्य-कलाप संबंधित होता है और साथ ही मूलभूत सुविधाओं के विकास, बचत करने की जनता की क्षमता कृषि ऋण देने के अवसर आदि जैसी बातों पर भी निर्भर होता है।

विदेशी सहायता

2650 **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्याँ **वित्त** मंत्री यह बताने की : कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके हाल की वाशिगटन यात्रा के बाद सरकार को देश में प्राथमिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा संसाधान उपलब्ध होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पिछले अनुभव के बारे में यह पता है कि सहायता को समाप्त करने के लिए और अधिक सहायता लेने का सिद्धांत व्यवहार में कार्य नहीं करता है;

(ग) 'क्या विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता ने पिछले बीस वर्षों से स्थायी आधार पर अपने ही साधनों से विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था को अनुशासनबद्ध करने की इच्छा को निरुत्साहित किया है जबकि बड़े पैमाने पर ऋणों की अदायगी का दायित्व बढ़ने से हमारी कठिनाइयां वढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समस्या पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यद्यपि विदेशी मुद्रा की स्थिति निःसंदेह बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सरकार प्राथमिकता-प्राप्त परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने की कोशिश करेगी।

(ख) और (ग) सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि निर्यात को बढ़ावा देकर और आयात की जाने वाली चीजों के स्थान पर देश में उन्ही चीजों का उत्पादन करके आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जाये।

(घ) जी, नहीं।

छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत धन को वसूली करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना

2651. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की

(क) क्या सरकार ने बचत बैंक योजनाओं के लिए धन की वसूली कार्य में लगे विभागीय और गैर-विभागीय कर्मचारियों को भत्ता देने का कोई प्रावधान बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन, दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को, अलग अलग कितना भत्ता दिया गया है; और

(ग) क्या छोटी बचत को राशि एकत्र करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) डाक घर बचत बैंक की जमा रकमों की वसूली के काम में लगे डाक कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता। किन्तु अतिरिक्त विभागीय शाखा के पोस्टमास्टरों को उनके दफ्तरों के डाकघर बचत बैंक खातों में पिछले वर्ष के अन्त में जमा रकमों की तुलना में व्याज के अतिरिक्त कम से कम 500 रुपये की निवल वृद्धि पर 1 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है डाक घर बचत बैंक जमा रकमों की वसूली के काम में लगे डाक कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता। अतिरिक्त विभागीय शाखा के पोस्टमास्टरों को डाकघर बचत बैंक की जमा रकमों और डाकघर सावधि जमा रकमों पर कमीशन देने के लिये चालू वर्ष के बजट में 1,10,000 रुपये की व्यवस्था है। पिछले वर्ष में की गयी वास्तविक अदायगियों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को, जो अंशकालिक आधार पर नियुक्त किये गये हैं, उनके डाकघर कार्यालयों में जमा करायी गयी बचत को रकमों पर कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसी कमीशन उन विभागीय कर्मचारियों को नहीं दी जाती जो सरकार के नियमित कर्मचारी हैं। डाकघर बचत बैंक की जमा रकमों में वृद्धि करने के लिये इस समय एक इनामी प्रोत्साहन योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत वे सब लोग जिनके छः महीने तक उनके खाते में कम से कम 200 रुपये जमा रहते हैं, इन इनामों में के ड्रा में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामान्य बीमा कम्पनियों के अधिकारियों को तथा सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिया गया कमीशन

2652. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामान्य बीमा कंपनियों के अधिकारियों को तथा सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये कमीशन के बारे में एक संसद सदस्य ने 13 मार्च, 1974 को एक पत्र भेजा गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बैंक ग्राफ इंडिया ने सरकारी नियंत्रण के ग्रधीन सामान्य बीमा कंपनियों के ग्रधिकारियों को कमीशन दिया था जिससे इन कंपनियों के धन को इस बैंक में जमा कराया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बीमा कंपनियों द्वारा बैंक प्रबन्धकों को कमीशन की ग्रदयगी के संबंध में एक माननीय संसद सदस्य ने 13-3-74 को वित्त मंत्री को लिखा।

दिनांक 13-3-74 के उक्त पत्र में बीमा कम्पनियों के ग्रधिकारियों को बैंकों द्वारा कमीशन की ग्रदायगी का उल्लेख नहीं किया गया।

(ख) सेंट्रल बैंक ग्राफ इंडिया के लेखा-परीक्षकों ने बैंक का ध्यान इस तथ्य की ग्रोर दिलाया था कि बीमा कंपनी द्वारा बैंक में जमा की गयी कतिपय रकमों के संबंध में बैंक द्वारा बीमा कंपनी के एक ग्रधिकारी को 1.59 लाख रुपये की नकद ग्रदायगी की गयी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस सारे मामले की जांच कर रहा है।

बम्बई स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय में कदाचार

2653. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय में कदाचार के बारे में एक संसद सदस्य ने 13 दिसम्बर, 1973 को एक पत्र भेजा था; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम; बम्बई द्वारा किये इस कदाचार, विशेष रूप से ह्यूग्स रोड, बम्बई स्थित ग्रौर सदर बाजार दिल्ली में स्वदेशी मार्केट स्थित ग्रपनी सम्पत्ति की बिक्री करने के बारे में सरकार किन निष्कर्षों पर पहुंची है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) जीवन बीमा निगम की ह्यूजेस रोड, बम्बई स्थित 3388 वर्ग मीटर नाप की सम्पत्ति को बेचने के एक प्रस्ताव पर जीवन बीमा निगम बोर्ड द्वारा विचार किया गया था ग्रौर एक तदनुसार ग्रंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाग्रों को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालने के बाद निविदायें ग्रामंत्रित की गई थीं। 33 निविदायें प्राप्त हुई। बिक्री की उच्चतम बोली के प्रस्ताव भेजने वाले पांच व्यक्तियों में उक्त सम्पत्ति की नीलामी करने का ग्रायोजन किया गया। ग्रन्ततोगत्वा उक्त सम्पत्ति सीधी खरीद के ग्राधार पर 3500 रु० प्रति वर्गमीटर की दर पर उच्चतम बोली बोलने वाले को बेच दी गई जिसकी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. जीवन बीमा निगम को, लक्ष्मी इन्श्योरेन्स कंपनी से स्वदेशी मार्केट, सदर बाजार दिल्ली में 81 दुकानों की संपत्ति प्राप्त हुई। 12-6-73 को ग्राग लगने के कारण ग्रधिकांश दुकानें जल कर नष्ट हो गई थीं। दुकानदारों ने, जीवन बीमा निगम को सूचित किये बिना ही, दुकानों का पुनर्निर्माण किया। चूंकि उक्त सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली ग्राय नाममात्र ही थी इसलिये जीवन बीमा निगम ने कानूनी राय प्राप्त करने के बाद यह निर्णय किया कि इन परिस्थितियों में उसके लिये सर्वोत्तम उपाय नहीं होगा कि यदि दुकानदार उक्त संपत्ति का उचित मूल्य देने का प्रस्ताव करें तो वह (संपत्ति) उन्हें बेच दी जाय।

3. उक्त सम्पत्ति के लिये कुल मिलाकर 4 लाख रु० की रकम का प्रस्ताव उचित पाया गया जो लगभग 478.392 रु० प्रति वर्ग मीटर बैठती है और जीवन बीमा निगम की कार्यकारी समिति ने 21-7-1973 को हुई अपनी बैठक में सौदे की मंजूरी दी ।

4. इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम को अग्नि बीमा दावा प्राप्त करना है खोखो (स्ट्रक्चर्स) का, अग्नि के विरुद्ध 6.35 लाख रु० का बीमा किया गया था।) निर्माण तथा आवास मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार, इस क्षेत्र की भूमि का मूल्य वर्ष 1972 में 358.79 रु० प्रति वर्ग मीटर आंका गया था ।

चीनी का निर्यात

2654. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में चीनी का कुल कितना निर्यात हुआ ;

(ख) निर्यात की गई चीनी से वस्तुतः प्रति टन कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ग) वर्ष 1975 में अनुमानतः कितना निर्यात होगा; और

(घ) वर्ष 1975 में चीनी के निर्यात के प्रति टन अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974 के दौरान चीनी के कुल निर्यात 487345 मी० टन हुए ।

(ख) कीमतें प्रत्येक सौदे में अलग अलग होती हैं तथा सामान्यतया एल० डी० पी० कीमतों से ऊपर होती है ।

(ग) तथा (घ) 1975 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा निर्यात की जायेगी यह अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा घरेलू सप्लाई स्थिति पर निर्भर करेगा। तथापि, घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने हेतु उच्चतम कीमतो पर अधिकतम संभव मात्रा निर्यात करने के प्रयास किय जायेंगे।

तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना

2655. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किये गये तस्करी के सामान के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
1972	2791
1973	3548
1974	6006 (अनन्तिम)

भारतीय रुई निगम द्वारा राई की खरीद के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

2656. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम ने पंजाब सरकार द्वारा बार-बार किये गये इस आशय के अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि निगम निजी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करके बाजार से रुई की खरीद करे ताकि किसान को अपने माल का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निगम ने अन्य राज्यों से भी रुई की खरीद नहीं की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) धन के अभाव के कारण अभी तक इस मौसम में भारतीय रुई निगम ने रुई बाजार से खरीद नहीं की। किन्तु निगम ने अब पंजाब समेत रुई उगाने वाले सभी राज्यों में वाणिज्यिक आधार पर रुई खरीदने का फैसला कर लिया है।

मूल रसायनों का निर्यात

2657. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-अगस्त 1974 के दौरान लगभग 32 करोड़ रु० के मूल रसायनों एवं सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात किया गया जबकि गत वर्षों की इसी अवधि में 27 करोड़ का निर्यात हुआ था ;

(ख) क्या सरकार की आशा है कि इस निर्यात प्रतिशत को आने वाले वर्षों में बनाए रखा जायेगा; और

(ग) आयातक देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा अंगराग सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई द्वारा कवर की गई मदों के अप्रैल / अगस्त, 1974 के दौरान 32.69 करोड़ रु० कुल निर्यात हुए जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 27.04 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(ख) अप्रैल 1974 जनवरी 1975 के दौरान परिषद् के कुल निर्यात की प्राक्कलित राशि 101.24 करोड़ थी जबकि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान यह 62.82 करोड़ रु० थी। समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा अंगराग सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई को आशा है कि वर्ष 1974-75 के शेष महीनों में यह गति बनी रहेगी।

(ग) प्रमुख आयातक देश ये हैं:—आस्ट्रेलिया बर्मा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, कीनिया, नाइजीरिया, डुबाई, सऊदी अरब, लीबिया, कुवैत तथा पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देश ।

पाकिस्तान से रुई का आयात

2658. **श्री भागीरथ भंवर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से रुई आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा उदारता से देने का है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में रुई आयात करने का विचार है तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) पाकिस्तान से आयात के लिए संविदा की गई रुई की मात्रा दो लाख गांठे है जिसमें लगभग पच्चीस करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना

2659. **श्री जी० वाई कृष्णन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सुझाव दिया है कि लघु उद्योगों को जो देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं ऋण संबंधी सुविधाएं दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंक यह प्रयास करते रहे हैं कि छोटे पैमाने के उद्योगों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को अधिकाधिक मात्रा में पूरा किया जाय ; वाणिज्यिक बैंकों की ऋण योजना की, विशेष रूप से उनकी नियोजन क्षमता के संदर्भ में, समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री वी० डी० ठक्कर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के अनुपालन में वाणिज्यिक बैंकों ने छोटे उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्ग दर्शन भी देने की योजना तैयार की है। बैंकों ने ऋण आवेदन पत्रों के अपने फार्मों को भी सरल बनाया है, ऋण स्वीकृत करने की अपनी प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाया है और जमानत के अपने मानदण्डों में भी संशोधन किया है ताकि छोटे उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप जून, 1974 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों

को दिये गये अग्रिमों की 201,409 एककों से बकाया राशि 868 करोड़ रुपये थी, जबकि इसकी तुलना में जून, 1969 के अंत तक 50850 एककों से 251 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

कर्नाटक में गिरफ्तार किये गये तस्कर

2660. **श्री के. लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गत तीन मास के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन तस्करों संबंधी ब्यौरा क्या है जो अभी तक छिपे हुए हैं और गिरफ्तार होने से बच रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत फरवरी, 1975 को समाप्त पिछले तीन महीनों में कर्नाटक में नजरबंद किये गये तस्कर-व्यापारियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री कुन्दनमल, 2. श्री किशनलाल जैन, 3. श्री मनुभाई, 4. श्री वी० बेंकटेशा, 5. श्री वी० श्रीनिवास, 6. श्री टी० निवास सेट्टी, 7. श्री चगनराज, 8. श्री एस० आर० अनन्तराजेया, 9. श्री वी० ए० होनप्पा सेट्टी, 10. श्री उल्लाल मोहमद, 11. श्री जे० बी० पारेख, 12. श्री एम० एम० अब्दुल खादर, 13. श्री टी० के० मोहमद, 14. श्री भालेचन्द।

सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निम्नलिखित व्यक्ति फरार हैं और अभी तक नजरबन्द नहीं किये गये हैं :—

1. श्री रिकवचन्द, 2. श्री चम्पालाल, 3. श्री एस० मोहनलाल, 4. श्री पी० देवीचन्द, 5. श्री कापी मोहम्मद, 6. श्री टी० ए० बद्रुदीन, 7. श्री सी० मोहम्मद अली, 8. चार्ल्स सीक्वेरा, 9. श्री डाली चन्द. 10. श्री पी० मोहनलाल।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर, मद्रास के विरुद्ध आरोप

2661. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर, मद्रास के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कदाचार के आरोप लगाय गये हैं;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन के अनुसार उक्त अधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग तथा कदाचारों से सरकार की लगभग 36 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो आरोप किस प्रकार के हैं ;

(घ) क्या उनके बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये सवाल नहीं उठते ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में आयात के लिए प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत व्यवस्था

2662. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : . क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यह आग्रह किया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में आयात के लिए प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत व्यवस्था (जी० एस० पी०) को दो तीन वर्ष के लिए चालू रखा जाये, न कि एक वर्ष के लिये जैसा कि इस समय है ;

(ख) इस परिवर्तन से क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की भारत के सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समय इस योजना का एलान हर वर्ष किया जाता है । इससे विशिष्ट उत्पादों के संबंध में अधिमान्य की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत लाभों की प्राप्यता के बारे में व्यापारियों के मन में अनिश्चितता बनी रहती है। इस योजना को एक साथ कुछ वर्षों के लिए शुरु किये जाने से यह अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी ।

(ग) समुदाय ने हमारे सुझाव का जबाव नहीं दिया है।

वर्ष 1974-75 में विदेशी सहायता

2663. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने का लक्ष्य है;

(ख) अब तक कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है अथवा कितनी राशि के लिए करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ;

(ग) उन देशों संगठनों के क्या नाम है जिन्होंने विदेशी सहायता देना स्वीकार किया है तथा प्रत्येक ने कितनी राशि देने की पेशकश की है; और

(घ) क्या इनमें से कोई राशि किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिये नियत है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत सहायता संघ की जून 1974 में पैरिस में हुई बैठक में यह बताया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघ के सदस्यों से लगभग 140 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध होगी । संघ के सदस्यों से भिन्न देशों से मिलने वाली सहायता का कोई लक्ष्य नहीं था, परन्तु आशा की गयी थी कि इन देशों से भी सहायता मिल जायेगी।

(ख) और (ग) उपरोक्त वचनों के संबंध में 103.650 करोड़ अमरीकी डालरों के लिये सहायता करारों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख अमरीकी डालर)
बैल्जियम	68.2
कनाडा . .	523.6

डेनमार्क	83.5
फ्रांस	834.7
जर्मन संघीय गणराज्य	1364.3
जापान	683.4
नीदरलैण्ड	294.0
स्वीडन	443.0
ब्रिटेन	915.0
अमरीका	86.4
अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक	1000.0
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3978.0
	10365.0

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 46.00 करोड़ अमरीकी डालर के सहायता करारों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

(घ) 48.087 करोड़ अमरीकी डालर की राशि विशेष परियोजनाओं के लिये है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशी कम्पनियों को वित्तीय सहायता

2664. **श्री वीरन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी कंपनियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) वर्ष 1973-74 में 1 अप्रैल, 1974 से 31 जनवरी, 1975 तक किन विदेशी कंपनियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की समग्र सीमाओं के भीतर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों और प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी कंपनियों की चाहे वे विदेशी हो या भारतीय कंपनियों, उचित ऋण आवश्यकताओं को बिना किसी भेद-भाव के पूरा करने का प्रयास करते हैं। किन्तु फिर भी विदेशी कंपनियों के मामले में जहां आवश्यक है निम्नलिखित मामलों में

रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त होने पर भी बैंकों द्वारा ऋण दिये जाते हैं (i) विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम, 1973 के संदर्भ में और (ii) ऋण प्राधिकृत योजना संदर्भ में वहां जहां किसी ऋणकर्ता की ऋण की सीमाएं बैंकिंग प्रणाली से लिये जाने वाले कुछ निर्धारित स्तरों से अधिक हो जाती है। ऐसी कम्पनियों को और बैंक ऋण या ओवर ड्राफ्ट तभी दिये जाते हैं जब ऋण-राशि उनके (बैंकों के) पास दृष्टिबंधक रेहन रखे गए भंडार के मूल्य से पूर्णतया सुरक्षित हो जाती हो और ऋण तथा सामान्य शेयरों का अनुपात 2 : 1 से अधिक हो। इस सीमा से ऊपर ऋण प्रदान के वास्ते रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करते समय रिजर्व बैंक इस पर भी विचार करता है कि क्या वह कम्पनी निर्यातोन्मुख उद्योग अथवा अनिवार्य उद्योग में लगी हुई है और क्या उसकी आवश्यकता वास्तव में उचित है।

(ग) चूंकि मांगी गई सूचना राष्ट्रीयकृत बैंकों के एक विशिष्ट ग्राहक से संबंधित है, अतः इसे बैंकरों में प्रचलित पद्धतियों तथा रिवाजों के अनुसार और जिस अध्यादेश के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों का गठन किया गया है उसके उपबन्धों के अनुसार भी इस सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

देहरादून में आयकर अपवंचन के मामले

2665. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देहरादून में आयकर अपवंचन के कितने मामले पकड़े गए ;

(ख) क्या सरकार को पता लगा है कि देहरादून में आयकर अधिकारियों ने व्यापारी समुदाय को यह आश्वासन दिया है कि आयकर अपवंचन के संबंध में छापे मारने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयकर व्यवस्था स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करें, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) देहरादून जिले में छिपायी गयी आय के जिन मामलों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही शुरू की गयी थी उनकी संख्या इस प्रकार है :--

वर्ष	मामलों की संख्या
1971-72	91
1972-73	25
1973-74	115

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

पर्यटन से आय में वृद्धि के लिए उपाय

2666. **श्री शंकर राव सावन्त :**

श्री जी०वाई० कृष्णन :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की;

(ख) इस अवधि में पर्यटकों से कितनी आय हुई;

(ग) इस आय का हिसाब किस प्रकार लगाया जाता है; और

(घ) पर्यटन से आय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 1974-75 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 317,107 थी। इन पर्यटकों से हुई विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान 52.2 करोड़ रुपये लगाया जाता है।

(ग) आय का अनुमान आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा 1972-73 में किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त 1646 रुपये के प्रति पर्यटक औसत व्यय के आधार पर लगाया गया है।

(घ) पर्यटन यातायात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। इनके परिणामस्वरूप पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि होगी।

विवरण

1. सरकार ने विदेशी मुद्रा में देय 'भारत दर्शन प्रोत्साही किराये' 1 सितम्बर, 1974 से लागू करने का निर्णय किया है। ये किराये इंडियन एयरलाइंस के देशीय क्षेत्रों पर बिना किसी प्रतिबंध के 14 दिवसीय तथा 21 दिवसीय यात्राओं के लिये क्रमशः 200 अमरीकी डालर तथा 275 अमरीकी डालर हैं।

2. पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को पर्यटन विभाग के अनुरोध पर हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला घोषित कर दिया गया है।

3. विदेशों की संभावित पर्यटन मार्केटों में एक प्रबल बिक्री परक अभियान चलाया गया है। एयर इंडिया के सहयोग से चलाए गए 'आपरेशन यूरोप' तथा 'आपरेशन यू० एस० ए०' कार्यक्रम के अन्तर्गत कांटिनेंटल यूरोप तथा अमरीका से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. तेल के धनी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम एशिया में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोला जा रहा है।

5. भारत तथा विदेशों में अधिक उन्नत प्रकार के साहित्य से तीव्र प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

6. चार्टर उड़ानों संबंधी नीति को उदार बना दिया गया है।

7. कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर बीजा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

8. पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया, नार्डिक देशों तथा बलगारिया के साथ 90 दिन तक के वास के लिये वीज़ा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किए गए हैं।

9. 21 दिवसीय अवतरण परमिट की वैधता की अवधि को, जो बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति देता है, बढ़ा कर 28 दिन कर दिया गया है।

10. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणालियों में सुधार कर दिया गया है।

11. भारतीय मिशनों तथा भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क शराब परमिट जारी किए जाते हैं।

12. भिखारियों तथा दलालों के उत्पात को समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

13. समस्त पर्यटक शिकायतों से निपटने तथा उपचारी उपाय करने के लिए विभाग में एक शिकायत सेल की स्थापना की गयी है।

14. समुद्र पार अभिवृद्धिपरक यात्राओं को व्यापक रूप से हाथ में लेने तथा विदेशों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के योग्य बनाने के लिए यात्रा व्यवसाय को विदेशी मुद्रा के विमोचन के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है ।

15. प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में विभाग प्रति वर्ष विदेशों से यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा लेखकों/पत्रकारों/दूरदर्शन/फिल्म उत्पादकों को भारत परिचायक यात्राओं के लिए निमंत्रित करता है।

16. गुलमर्ग, कोवालम तथा गोवा में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिए अवकाशकालीन विहार स्थलों का निर्माण किया जा रहा है ।

17. हमारे चारों अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर वृहत् सुधार किए जा रहे हैं।

18. विदेशों से वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीव पर्यटन का विकास किया जा रहा है।

19. पर्यटक सुविधाओं के संवर्धन तथा सुधार के लिए पर्यटन व्यवसाय में स्वयंसेवी संगटनों/संस्थानों तथा अन्य निजी पार्टियों को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

20. जहां कहीं संभव होता है महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर मौजूदा पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

21. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थानों का विकास किया जा रहा है ।

22. पर्यटक सेवाओं के चलाने के लिए प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग का निर्माण करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

23. आई० ए० टी० ए० के ढांचे के अंतर्गत एयर इंडिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों, जैसे न्यूयार्क-बम्बई/दिल्ली, पैरिस-दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता आदि पर, स्थान से स्थान तक के विशिष्ट किराए भी लागू किए गए हैं। भारत के लिए यात्रा के प्रारंभिक खर्च को कम करने करने तथा पर्यटकों के अन्य गंतव्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए यथासंभव अधिकतम सैक्टरों पर आकर्षक अभिवृद्धिपरक किराए लागू करने के लिए एयर इंडिया के माध्यम से निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

24. विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) ने 1975 को दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष घोषित किया है । आशा है कि इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत पर ध्यान केन्द्रित होगा।

निर्यात हेतु कपड़ों तथा सिले सिलाये वस्त्रों का निर्माण

2667. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात किए जाने वाले कपड़ों तथा सिले सिलाये वस्त्रों के निर्माण के लिए "जौन" स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी

2668. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अदा किया गया महंगाई भत्ता राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अदा किए गए महंगाई भत्ते से कितना कम या अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमर मुखर्जी) : अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं है और स्थिति एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है। इसलिए, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में अपनाई गई महंगाई भत्ते को योजना से कोई अर्थ-पूर्ण तुलना नहीं की जा सकती ।

जीवन बीमा निगम का साधारण बीमा कारोबार]

2669. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम के साधारण बीमा कारोबार की स्थिति कैसी रही ;

(ख) क्या इस कारोबार की प्रगति सन्तोषजनक समझी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असन्तोषजनक कारोबार के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अनुसरण में, भारत के जीवन बीमा निगम ने, 1-1-1973 से साधारण बीमा कारोबार करना बन्द कर दिया।

सभी साधारण बीमा कंपनियों की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय वर्ष 1971, 1972 और 1973 में क्रमश. 160 करोड़ रु०, 179 करोड़ रु० और 208 करोड़ रु० थी।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि आय पर कर

2670. **श्री वरके जार्ज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने कृषि आय पर कर लगाने के लिए राज्य सरकारों को विशिष्ट सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कितने राज्यों ने कार्यान्वित किया है; और

(ग) कितने राज्यों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे कृषि जोत कर लगा कर, जिसकी सिफारिश राज समिति द्वारा की गयी है, अथवा भू राजस्व में दी गयी छूट वापस लेने, भू राजस्व पर प्रगामी अधिभार उन्नति कर, वाणिज्यिक फसलों पर उपकर लगाने आदि जैसे अन्य उपायों के सम्मिलन द्वारा कृषि के क्षेत्र से अतिरिक्त साधन जुटाएं।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने कृषि पर कर लगाकर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कुल उपाय किये हैं:—

1. आंध्र प्रदेश	2. बिहार	3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश	5. महाराष्ट्र	6. उड़ीसा
7. पंजाब	8. उत्तर प्रदेश	

(ग) किसी भी राज्य ने कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त साधन जुटाने से इन्कार नहीं किया है।

ऋण नीति

2671. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय पर ऋणों पर रोक के संबंध में ढील के लिए दबाव डाले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऋण-नीति में कोई ढील देने का विचार कर रही है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार को वर्तमान ऋण नीति में परिवर्तन संबंधी सुझाव के प्रतिवेदन चैम्बर्स आफ कामर्स उद्योग संघों तथा व्यक्तियों से प्राप्त होते रहे हैं। मूल्यों पर दबाव के प्रसंग में इस ऋण नीति का प्रमुख उद्देश्य ऋण विस्तार पर यथासम्भव प्रतिबन्ध लगाना है। साथ ही साथ बैंकों को चयनात्मक आधार पर ऋण प्रदान करने की सलाह भी दी गई है जिससे कि विनियोग जारी रहे, उत्पादन में वृद्धि हो तथा आवश्यक वस्तुओं के और अच्छे वितरण में सुगमता हो। इस पूरे ढांचे में यथासमय यथावश्यक उपाय और उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं।

Smugglers arrested in Madhya Pradesh

2672. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any smugglers have been arrested in Madhya Pradesh also under MISA/ Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act during the year 1974-75; and

(b) if so, their number and the names of places to which they belong ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) 39 persons were detained in Madhya Pradesh under the MISA Ordinance. They belonged to Bhopal, Jabalpur, Indore, Gwalior, Ujjain, Ratlam, Durg, Raipur, Fuwara and Katni. 15 persons have been detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act during the year 1974-75 (upto 4-3-75). They belong to Bhopal Jabalpur, Indore, Gwalior, Ujjain, Ratlam and Durg.

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में होटल स्थापित किया जाना

2673. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नए होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले इस श्रेणी के होटलों की संख्या कितनी है, तथा उन्हें कहां स्थापित किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पुरी में एक होटल के निर्माण के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के पास 60 लाख रुपये की व्यवस्था है। प्रायोजना का क्रियान्वयन संतोषप्रद व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने, सीमेंट के प्रयोग पर से प्रतिबंध उठ जाने तथा साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

वर्ष 1974 में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

2674. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974 में देश भर में पकड़ी गयी तस्करी की वस्तुओं का मूल्य कितना है ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध इस संबंध में कार्यवाही की गयी थी; और

(ग) इस अवधि में पृथक-पृथक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया तथा कितनों को दोषसिद्ध पाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1974 में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये तस्करी के माल का मूल्य 6006'– लाख रुपये (अनन्तिम) था।

(ख) विभागीय दाण्डिक कार्यवाही के अतिरिक्त, वर्ष 1974 में तस्करी के माल के पकड़े जाने के संबंध में 3284 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) इस अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुदकमा चलाया गया और जिन्हें दोषी ठहराया गया उनकी संख्या क्रमशः 2941 और 693 थी।

Selection of tourist centres in Madhya Pradesh

2676. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some places in Madhya Pradesh also have been selected as tourist Centres for foreign tourists;

(b) if so, the names of those tourist centres and whether survey of these centres has been taken up; and

(c) the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Avaition (Shri Surendrapal Singh): (a) to (c) The development of tourist centres is determined on the basis whether they are already popular with international tourists, or hold the potential for attracting international tourists. With this and in view, facilities for international tourists have already been provided at Khajuraho and Sanchi. Further development at these 2 places will be taken up after assessing utilisation of the facilities already provided there.

केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं

2677. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल कितनी शाखायें हैं ;

(ख) निकट भविष्य में कितनी नई शाखायें खोली जानी हैं ; और

(ग) बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने के संबंध में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अंत तक केरल में स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह की 299 शाखायें कार्यरत थीं, जिनमें से 122 ग्रामीण केन्द्रों में स्थित थी ।

(ख) उस तारीख तक स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह के पास केरल में शाखायें खोलने के लिये 22 लाइसेंस/आवंटन अनिष्पादित पड़े थे, जिनमें से 10 ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं ।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह ने नई शाखायें खोलने के लिये केन्द्रों का चयन करने में जो मापदण्ड अपनाये हैं उनमें ये पहलू शामिल हैं जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रदान करके आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश, मुद्रा संबंधी बचतों का मार्गदर्शन, स्थानीय जनता में बैंकिंग आदतें विकसित करने के अवसर, उपयुक्त समयावधि में इन कार्यालयों के आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना आदि ।

मारुति लिमिटेड के निदेशकों के निवास स्थानों पर छापे

2678. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड, हरियाणा के निदेशकों, श्री रौनक सिंह तथा श्री कपिल मोहन के निवास स्थानों पर काले धन का पता लगाने संबंधी अभियान में कर अधिकारियों ने किसी समय वर्ष 1974 में छापे मारे थे ;

(ख) क्या इसी उद्देश्य से मारुति लिमिटेड के उक्त निदेशकों की कम्पनियों के प्रांगण में छापे मारे गये थे और खोज की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो इन छापों तथा खोज में कितनी नकदी तथा अन्य वस्तुयें काले धन के रूप में पायी गयीं और प्रत्येक निदेशक ने अनुमानतः कितना कर-अपवंचन किया है ;

(घ) क्या कोई आरोप लगाये गये हैं और यदि हां, तो उनका विवरण क्या हैं ; और

(ङ) इस संबंध में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कोई छापे नहीं मारे गये थे फिर भी, सब आय-कर आयुक्तों से जानकारी हासिल की जा रही है और उस जानकारी का नतीजा सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा लगाई गई पूंजी

2679. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त निगम ने कुल कितनी धन राशि लगाई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ("दी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया" आई० एफ० सी० आई०) द्वारा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को (1) वर्ष 1974 (जनवरी—दिसम्बर) के दौरान और (2) जुलाई, 1948 में अपनी (इस निगम की) स्थापना से 31 दिसम्बर, 1974 तक संस्वीकृत एवम् संवितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

सहायता का प्रकार	1974 में (जनवरी–दिसम्बर)		जुलाई, 1948 में निगम की स्थापना से 31-12-74 तक	
	संस्वीकृत	संवितरित	संस्वीकृत	संवितरित
1. ऋण . . .	26.49	36.38	394.04	342.48
2. अण्डरराइटिंग्स/प्रत्यक्ष अंशदान-इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर . .	3.16	1.20	42.11	28.03
3. आस्थगित भुगतान/विदेशी मुद्रा-ऋणों के लिए गारन्टी . .	0.50	0.32	52.70	52.07
जोड़	30.15 (77)	37.90*	488.85 (690)	422.58

*संवितरण में पिछली मंजूरियों के विषय में संवितरित राशियां भी शामिल हैं । कोष्टकों में दिए गये अंक सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की संख्या प्रदर्शित करते हैं ।

पश्चिम बंगाल में फिल्म अभिनेताओं द्वारा करों की अदायगी न करना

2680. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म अभिनेताओं की ओर देय कर की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है तथा उन की सम्पत्तियों से होने वाली आय की कोई विशेष जांच नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) इस के फलस्वरूप कितने राजस्व की हानि हुई ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पश्चिम बंगाल में ऐसे सभी फिल्मी सितारों का कर-निर्धारण, जिनकी आय, आय-कर नहीं लगने योग्य सीमा से अधिक समझी जाती है, उस सूचना के आधार पर किया जाता है जो उनकी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के बारे में आय-कर विभाग के पास होती है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

होटल विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण

2681. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल विकास निगम ने वर्ष 1974–75 में देश में होटलों के निर्माण के लिये किन किन व्यक्तियों या फर्मों को ऋण दिये हैं ;

(ख) उनका किन स्थानों पर होटल बनाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी अन्य व्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 1974-75 के दौरान अब तक भारत औद्योगिक वित्त निगम द्वारा माबरेस्ट होटल्स (प्रा०) लिमिटेड को पणजी-गोवा में उसके 63 कमरों वाले होटल के निर्माण के लिए होटल विकास ऋण योजना के अंतर्गत (20 लाख रुपए का) ऋण दिया गया है । होटल प्रायोजना पर निर्माण-कार्य काफी आगे बढ़ चुका है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन होटलों के लिए, जो अब चालू हो चुके हैं, 1972-73 तथा 1973-74 में स्वीकृत किए गए ऋणों की किस्तों का भी 1974-75 के दौरान विमोचन कर दिया गया :—

1. होटल ईस्ट-वेस्ट—बंगलौर (6.00 लाख रुपए)
2. होटल हालिडे इन—आगरा (5.00 लाख रुपए)
3. होटल ताज कारोमंडल—मद्रास (7.00 लाख रुपए)

फ्रांस से सहायता

2682. **श्री एस० एन० मिश्र** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्रांस सरकार से वर्ष 1975-76 के लिए 58 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किन शर्तों पर प्राप्त हुई है ; और

(ग) जिस परियोजना के लिये इस सहायता का उपयोग किया जायेगा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी । फ्रांस के साथ 7 फरवरी, 1975 को 1975–76 में कुल 57.80 करोड़ रुपये (31.50 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक) की सहायता के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । इसमें से 41.28 करोड़ रुपये (22.50 करोड़ फ्राँसीसी फ्रैंक) सामान्य ऋण के लिए और 16.52 करोड़ रुपये (9.00 फ्रांसीसी फ्रैंक) विशेष ऋण के लिए हैं । सामान्य ऋण का कुछ भाग परियोजनागत ऋण है अर्थात् 21.10 करोड़ रुपये (11.50 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक) औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक सेवाओं और सामान के लिये हैं और बाकी 20.18 करोड़ रुपये (11.00 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक) परियोजना-भिन्न ऋण के रूप में है जो हल्के उपकरणों, संघटकों, फालतू पुर्जों, रसायनों, उर्वरकों और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिये काम में लाया जायेगा । विशेष ऋण, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिये आवश्यक चीजों और सेवाओं के लिये है ।

(ख) फ्रांस द्वारा दिये गये 50 प्रतिशत ऋण राजकोषीय ऋणों के रूप में और 50 प्रतिशत क्रेता ऋणों के रूप में है । राजकोषीय ऋण 8½ वर्ष की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में चुकाया जाना है और इस पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, जबकि क्रेता ऋण बिना किसी रियायती अवधि में 10 वर्षों में चुकाया जाना है । क्रेता ऋण के ब्याज की दर परिवर्तनीय है परन्तु इस समय यह दर 7.8 प्रतिशत है । उपर्युक्त 50 : 50 का अनुपात दोनों अर्थात् सामान्य और विशेष ऋणों के लिये है । परन्तु विशेष ऋण के मामले में संबंधित यूरेनियम के आयात के लिये, जिसके लिये विशेष ऋण के अन्तर्गत 5.51 करोड़ रुपये (3.00 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक) की अधिकतम व्यवस्था की गई है, इनका अनुपात 25 : 75 होगा । फ्राँसीसी ऋण केवल फ्रांसीसी मूल की चीजों और सेवाओं के लिये ही उपलब्ध है ।

(ग) जैसे कि ऊपर बताया गया है फ्रांसीसी सहायता विभिन्न प्रयोजनों के लिये दी जाती है । यह सहायता आमतौर पर विदेशी मुद्रा के हमारे स्रोतों के पूरक के रूप में काम करती है और परियोजनागत, परियोजना-भिन्न दोनों प्रयोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काम में लायी जाती है । यह सहायता किसी विशेष परियोजना से सम्बद्ध नहीं है ।

टिप्पणी :—विनिमय दर सीमाशुल्कों की वर्तमान विनिमय दर के आधार पर 100 रुपये = 54.50 फ्रांसीसी फ्रैंक के हिसाब से आंकी गयी है ।

नागर विमानन की विभिन्न यूनियनों को मान्यता देने के बारे में निर्णय

2683. **श्री मधु दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन, इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ऐसोसिएशन और एयर इंडिया इम्प्लाईज गिल्ड की सदस्यता के जांच कार्य की क्या स्थिति है ;

17 LSS/75—

(ख) क्या इन यूनियनों को मान्यता दिये जाने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एयर इंडिया में गैर तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन करती है तथा तकनीकी वर्गों का इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस एसोसियेशन । ए० सी० ई० यू० की मान्यता अभी वैध है जब कि आई० ए० टी० ए० की मान्यता सितम्बर, 1973 में समाप्त हो गयी । एयर इंडिया एम्प्लाईज गिल्ड ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है । आई० ए० टी० ए० तथा एयर इंडिया एम्प्लाईज गिल्ड की मान्यता के संबंध में निर्णय संबद्ध कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की सदस्यता के जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा । जांच-कार्य अभी पूरा होना है ।

तस्करी विरोधी कार्यों में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण

2684. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी अभियान समाप्त हो गया है ;

(ख) क्या अन्य विभागों से प्रवर्त्तन शाखा/ऐजेंसियों में भर्ती किये गये अनुभवी कर्मचारियों को उस कार्य से हटा लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों में केवल ऐसे स्थलों पर जहां से तस्करी होने की अधिक सम्भावनायें होती हैं, नियुक्त करने के लिये कर्मचारियों को भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सीमाशुल्क निवारक/तस्करी-विरोधी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के होते हैं और अन्य विभागों से कोई भरती नहीं की जाती। इन कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण, तस्करी-विरोधी संगठन की कार्य-कुशलता की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब कभी आवश्यक होता है किये जाते हैं ।

(ग) विभागों के स्थानीय प्रधान अधिकारी इन अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त, कार्यरत अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी सामयिक रूप से आयोजित किये जाते हैं ।

अनिवार्य निर्यात दायित्व एवं नियंत्रित कपड़ा योजना

2685. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनिवार्य निर्यात दायित्व एवं नियंत्रित कपड़ा योजना में परिवर्तन किया है ;

(ख) क्या योजना में परिवर्तन किये जाने के कारण, समाज के कमजोर वर्गों के लिये बनाये जाने वाले अच्छी किस्म के नियंत्रित कपड़े की कमी हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । कंट्रोल का कपड़ा निर्यात योजना में हाल ही में निम्नलिखित दृष्टिकोणों से आशोधित किया गया है :—

(1) कंट्रोल के कपड़े की क्वालिटी में सुधार करने के लिए संशोधित विशिष्टियां निर्धारित की गईं ;

(2) धोतियों और साड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन दो मदों का उत्पादन कंट्रोल के कपड़े के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ; और

(3) कंट्रोल के कपड़े की बाध्यता को बढ़ाकर 36 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन वित्त वर्ष 1974-75 के लिये रखे गये 80 करोड़ रु० के समग्र लक्ष्य तक पहुंच जाये ।

(ख) ऐसी संभावना है कि इन आशोधनों के परिणामस्वरूप कंट्रोल का अच्छा कपड़ा अधिक मिलने लगेगा और समुदाय के निर्धन वर्गों के लिए कंट्रोल के अच्छे कपड़े की कमी नहीं रहेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Memorandum of Technical Staff Association of Opium and Alkaloid Works, Ghazipur

2686. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Technical Staff Association of Opium and Alkaloid Works, Ghazipur had submitted a memorandum on 5th February, 1975 in support of their demand; and

(b) if so, their main demands and Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee (a) Yes, Sir.

(b) The main demands of the Technical Staff Association and their present position are indicated in the Annexure [*Placed in the Library .See No. L.T9131/75*]

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारियों का वेतन ढांचा

2687. **श्री आर०एन० बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (दिल्ली शाखा) के प्रथम श्रेणी अधिकारी एसोसिएशन ने अपने वेतन ढांचे से संबंधित अनिर्णीत प्रश्नों का समाधान करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए यह काम अपने उच्च अधिकारियों को सौंपने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ग) ऐसे अधिकारियों का चुनाव कब तक कर लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) बातचीत के निर्देश-पद क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम (जिसमें दिल्ली शाखा भी शामिल है) के श्रेणी I अधिकारी संघ की, वेतन-मांगों में संशोधित करने तथा सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

Rules for promotion of staff working in Opium Factory, Ghazipur

2688. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether rules have been framed for the promotion of technical staff of Ghazipur Opium Factory;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether promotions are being made on the basis of these rules?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c) The question of framing statutory rules for recruitment and promotion to various technical posts of Ghazipur Opium Factory is under examination. At present recruitment and promotion to these posts is being regulated by executive instructions issued by the Narcotics Commissioner.

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों में असंतोष

2689. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों में उनके वेतनमानों के संबंध में इस आधार पर असन्तोष है कि उनकी परिलब्धियां तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से कम हैं, जो हजार रुपया और इससे भी अधिक वेतन प्राप्त करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में जीवन बीमा निगम में सुचारू और कुशल कार्यकरण के लिये वेतन ढांचे में ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस असंगति का उल्लेख किया गया है कि श्रेणी III के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियां कतिपय वेतन-रेंजों में श्रेणी I के अधिकारियों की कुल परिलब्धियों से अधिक हैं । इस मामले पर सरकार गौर कर रही है ।

रूस को अभ्रक निर्यात

2690. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को अभ्रक के निर्यात के लिये दोनों देशों के बीच करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की कितनी और कितने मूल्य की अभ्रक का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) अभ्रक का पूरा भंडार कब तक निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम ने वर्ष 1975 के दौरान 465 मी० टन साधित अभ्रक के निर्यात के लिए रेजनोएक्स-पोर्ट, मास्को के साथ एक संविदा सम्पन्न की है । दिसम्बर, 1975 तक डिलिवरियां पूरी हो जायेंगी। चूंकि यह दोनों कम्पनियों के बीच वाणिज्यिक सौदा है अतः संविदा का व्यौरा प्रकाशित नहीं किया जाता ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद

2691. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने, जिसने इंडियन एयरलाइंस के लिये ट्रिस्टार विमानों की उपयुक्तता का अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल में ब्रिटेन का दौरा किया था, इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विमानों की खरीद उनकी संख्या तथा विदेशी मुद्रा सहित उनकी लागत के बारे में प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं तथा इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) ये विमान भारत में कितने अधिक मितव्ययी होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) उप-प्रबंध निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में इंण्डियन एयरलाइंस के चार वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल एयरलीज़ इन्टरनेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड के दो पुराने (सेकण्ड-हैण्ड) लाकहीड ट्रिस्टार विमानों की उपयुक्ता का अध्ययन करने के लिये हाल ही में यू० के० गया था ।

कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद से संवर्णित सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

खाड़ी के देशों में भारत-यूगोस्लाव संयुक्त उद्यम

2692. श्री **नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या खाड़ी के देशों में भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त उद्यम के बारे में हाल ही में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है तथा भारत यूगोस्लाव संयुक्त उद्यम सम्बन्धी उप-समिति से क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को किस क्षेत्र में कितना लाभ होगा; और

(घ) संयुक्त उद्यम सम्बन्धी कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (घ) तीसरे देशों में भारत यूगोस्लाव आर्थिक सहयोग से संबंधित उप-समिति की बैठक में युगोस्लाविया के प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान तीसरे देशों में जिनमें खाड़ी वाले राज्य भी शामिल हो सकते हैं, भारतीय तथा युगोस्लाविया के उद्यमों के बीच औद्योगिक सहयोग के विभिन्न सम्भावित सैक्टरों/क्षेत्रों का पता लगाया गया। सहयोग के कुछ संभावित सैक्टरों में सिविल इंजीनियरी कार्य, परामर्श सेवा, उपस्करों की सप्लाई शामिल हैं । वास्तविक परियोजना में भाग लेने संम्बन्धी व्यौरे तीनों सम्बद्ध देशों की सम्बद्ध फर्मों/संगठनों को तैयार करने पड़ेंगे । समय निर्धारण परियोजनाओं के शुरू होने, भाग लेने की संभावनाओं, शर्तों संबंधी वार्ताओं, आदि पर निर्भर करेगा ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान परिवहन संगठन की स्थापना

2693. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार ईराक की भांति एक विमान परिवहन संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी एजेंसियों से विमानों की खरीद के लिये हाल में बात चीत की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो विमानों की उड़ानें कब तक आरम्भ हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस का ईराकी पद्धति पर कोई विमान परिवहन संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके विमान बेड़े को बढ़ाने के कार्यक्रम के एक भाग स्वरूप कुछ निर्माताओं से विमान खरीदने के लिये बातचीत की जा रही है । यदि यह बातचीत सफल हो जाती है और विमान खरीदने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो यह आशा की जाती है कि इनका परिचालन 1977 के प्रारंभ में शुरू हो जाएगा।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्यालय और दिल्ली शाखाओं में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कथित मामले

2694. **श्री वसंत साठे : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में मुख्यालय और दिल्ली शाखाओं में वर्ष 1971 से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कथित मामलों के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों ने कितनी बार सांविधिक निरीक्षण किये हैं; और

(ख) क्या निरीक्षण प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने 1971 से अब तक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के दो सांविधिक निरीक्षण किये हैं । 1971 में किया गया पहला निरीक्षण दिल्ली की न्यू रोहतक रोड और चांदनी चौक में अवस्थित शाखाओं तक सीमित था और दूसरा निरीक्षण 1973 में किया गया, जो पूरे बैंक का था । 31 दिसम्बर, 1972 को बैंक की स्थिति के विशेष संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1973 में निरीक्षण किया गया ।

(ख) चूंकि इन निरीक्षण रिपोर्टों में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के ग्राहकों के कार्य-कलापों के बारे में सूचना निहित है, अतएव, बैंकरों की परम्परागत प्रथाओं एवम् प्रचलनों तथा इनके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को अधिशासित करने वाली संविधियों के अनुसार, वे प्रकट नहीं की जा सकती हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका को परम्परागत फर्नीचर का निर्यात करने से हुई निर्यात आय

2695 **श्री वसंत साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्तराज्य अमेरिका और अन्य देशों को परम्परागत फर्नीचर का निर्यात करने से कुल कितनी निर्यात-आय हुई;

(ख) परम्परागत फर्नीचर के निर्यात की व्यापक क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ग) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित व्यापार लेख मद का परम्परागत तथा अपरम्परागत वर्गीकरण नहीं दर्शाते । तथापि, फर्नीचर के गन्तव्य स्थलवार निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9132/75]

लकड़ी के फर्नीचर के निर्यात के आधार पर 10 प्रतिशत की दर पर आयात प्रतिपूर्ति तथा नकद प्रतिकरात्मक सहायता का दिया जाना ऐसे मुख्य कदम हैं जो इस मद के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं । इसके अलावा, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि इस मद के निर्यात संवर्धन संबंधी कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है, विदेशों को बिक्री सह-अध्ययन दल प्रायोजित करती है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात

2696. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उर्वरकों का सम्पूर्ण आयात अपने हाथ में ले लेना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उर्वरक खरीदने का निदेश देने में उनके मंत्रालय ने कोई विलम्ब किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) इस समय रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों से उर्वरकों के आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तथा अन्य स्रोतों से आयात सप्लाई विभाग द्वारा किये जाते हैं। यह सभी कार्य केवल एक अभिकरण को सौंपने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

राजधानी में इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय

2697. **श्री डी०बी० चन्द्र गौडा :**

श्री एन०ई० होरो :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन एयरलाइंस के सभी कार्यालयों को राजधानी में एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिये सरकार उनको अपनी इमारत बनाने के लिय कोई कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने दिल्ली स्थित सिटी टर्मिनल एवं अन्य कार्यालयों के लिये भवन व्यवस्था करने के लिये एक इमारत के निर्माण के लिये उपयुक्त स्थान निर्धारण के प्रश्न की जांच पड़ताल की जा रही है।

प्राथमिकताओं की सामान्यकृत योजना (जी एस०पी०) के अधीन विशेष रियायतें प्राप्त कोटे वाली मदें

2698 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों के क्या नाम हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्राथमिकताओं के सामान्यकृत योजना (जी० एस० पी०) के अधीन विशेष रियायतें प्राप्त कोटे आवंटित किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक के मामले में कितने कोटे का उपयोग हुआ है तथा जहां उपयोग कम हुआ है उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस सूची में और अधिक मदें जोड़ने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं तथा तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत व्यावहारिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र (बी० टी० एन० अध्याय 25 से 99) की सभी शुल्क योग्य मदें शामिल हैं। जो मदें छोड़ी गई हैं वे हैं, स्टीयटाईट, ग्रेनाइट और लोह मैंगनीज तकनीकी तौर पर योजना के अन्तर्गत शामिल सभी औद्योगिक उत्पाद कोटा सीमाओं की शर्त के अधीन हैं परन्तु वस्तुतः कोटा सीमाओं को पूर्णतः केवल वस्त्रों, कालीनों (500

गांठों से कम वाले) और कतिपय अन्य चमड़ा मदों और साथ ही छड़ों तथा शलाकाओं जैसी लोहे तथा इस्पात की कुछ मदों जैसी नाजुक मदों के सबंधं में ही लागू किया जाता है ।

कृषि क्षेत्र में, हमारे हित की मदों और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यकृत योजना में शामिल मदों में से, अनिर्मित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू ही केवल एक ऐसी मद है जो कोटा सीमा के शर्त के अधीन है।

(ख) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना की कोटा सीमाएँ सभी लाभप्राप्तकर्ता देशों पर लागू होती हैं। तथापि, समुदाय कोटा सीमाओं की उपयोगिता के संबंध में आंकड़े प्रकाशित नहीं करता।

(ग) भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग के मंच और अन्य मंचों के माध्यम से हम समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में केवल उत्पाद कवरेज के संबंध में ही नहीं अपितु अन्य दिशाओं जैसे कि अपेक्षाकृत अधिक टैरिफ कटौतियां और कोटा सीमाओं की समाप्ति के संबंध में भी सुधार कराने के प्रयत्न कर रहे हैं । हम अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में जिन प्रमुख उत्पादों को शामिल कराने का प्रयत्न कर रहे हैं वे हैं इमली, काफी, अखरोट, पिमेंटों और गैरफ्लू क्योर्ड अनिर्मित तम्बाकू।

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार गोष्ठी

2699. **श्री एस०आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार गोष्ठी में विस्तृत अध्ययन तथा बिचार विमर्श के लिए कौन से मुख्य विषय लिये गये थे;

(ख) वर्तमान प्राथमिकताओं की सामान्यकृत योजना (जी० एस० पी०) के कार्यकरण के बारे में भारतीय सदस्यों ने किन-किन कमियों का उल्लेख किया; और

(ग) इस पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के संबंध में हाल ही में दिल्ली, बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता में आयोजित विचार गोष्टियों में समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के भारत के अनुभव की समीक्षा की गई और योजना में और सुधारों की गुंजाइश पर विचार विमर्श किया गया। विचार गोष्टियों में जिन विशिष्ट उत्पादों पर विचार विमर्श हुआ, वे हैं, इंजीनियरी माल, चमड़े से बनी वस्तुएं जिनमें जूते भी शामिल हैं, सिले सिलाए परिधान, हौजरी का माल, हथकरघा तथा हस्त शिल्प उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक का माल, तम्बाकू, समुद्री उत्पाद तथा रत्न तथा आभूषण।

(ख) तथा (ग) समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में सुधार के लिये भारतीय सहभागियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित थे :--

(1) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना कोटा उपयोगिता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ;

(2) हथकरघा उत्पादों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये विशेष व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए;

(3) सूती वस्त्रों के लिए अ० सा० यो० कोटे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारे द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत उपलब्ध कोटे के बराबर होने चाहिएं;

(4) अनिर्मित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए अ० सा० यो० कोटा और बढ़ाया जाना चाहिए और पूर्ण टैरिफ निलंबन प्रदान किया जाना चाहिए; और

(5) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना को स्थायी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा अन्य पहलुओं पर भी सुझाव दिये गए जिनमें योजना की लोचशीलता, अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत उद्‌भव प्रमाणपत्र हेतु वैधता अवधि में वृद्धि उत्पाद क्षेत्र में सुधार आदि शामिल हैं।

समुदाय ने भारतीय सहभागियों द्वारा किये गए विभिन्न सुझावों को नोट किया। अधिमानों की सामान्यीकृत योजना कोटा उपयोगिता संबंधी जानकारी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अधिमानों की सामन्यीकृत योजना के विभिन्न पहलुओं पर लाभ प्राप्तकर्ता देशों को सेवा प्रदान करने के लिए एक जानकारी केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय पक्ष ने भी यह आशा व्यक्त की कि समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत योजना में उत्तरोत्तर सुधार संभव हो सकते हैं।

जाली मुद्रा का पकड़ा जाना

2700. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 8 फरवरी, 1975 तक, वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी राशि की जाली मुद्रा पकड़ी गई तथा उसका अंकित मूल्य क्या क्या था; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9133/75)।

सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कानून की उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत सभी मामलों को रजिस्टर करके तत्काल कार्रवाई की गई थी।

एक और दो स्टार होटलों का निर्माण

2701. **श्री सी० जनार्दन :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी इमारतों के लिये इस्पात और सीमेंट के उपयोग पर प्रतिबन्ध के कारण अनेक एक स्टार और दो स्टार होटलों की स्थापना का प्रस्ताव त्याग दिया गया है ;

(ख) क्या चालू मंदी और विश्वभर में लोगों की वास्तविक आय में कमी के कारण कम खर्चीले आवासों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, त्याग दी गई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम का एक स्टार और दो स्टार होटलों की श्रृंखला का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दो स्टार होटलों के स्तर के समान स्तर के मोटलों के निर्माण, तथा कुछ वर्तमान यात्री लाजों के विस्तार की व्यवस्था की गई है।

(ख) यात्रा व्यय में वृद्धि के कारण तथा साथ ही विदेशों में मध्य आय वर्गों में पर्यटन के प्रति अभिरुचि में वृद्धि के कारण, यह आशा की जाती है कि अनतिव्ययी आवास की अधिक मांग होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2702. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले साल भर में प्रतिदिन चार से अधिक शाखाएं खोली जिससे देश में बैंकिंग सुविधा के विस्तार के लिये विपुल क्षमता का उपयोग हुआ;

(ख) क्या 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात 9918 नई शाखाओं में से लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं; और

(ग) क्या बैंक की शाखाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति बैंक के अन्तर्गत जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत कम हुआ और यदि हां, तो जून, 1969 और दिसम्बर, 1974 के उनके आंकड़े क्या थे।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां। सन 1974 में वाणिज्यिक बैंकों ने 1693 नई शाखाएं खोली थीं।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या राष्ट्रीयकरण से कुछ दिन पहिले 30 जून, 1969 को 8262 थी, वह दिसम्बर, 1974 के अंत तक बढ़कर 18180 हो गई। इस प्रकार 9918 शाखाओं की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में ग्रामीण केन्द्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या 4799 अथवा 48.4 प्रतिशत थी।

(ग) प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या जून, 1969 के अंत में 65000 थी। वह वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जाल के इस विस्तार के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1974 के अंत तक घट कर 30000 रह गई।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2704. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक के तीन सदस्यों वाले एक दल ने बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के कार्यकरण का सर्वेक्षण करने के लिए उड़ीसा का दौरा किया था।

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने राज्य सरकार को विश्व बैंक से 24.50 करोड़ रुपये की अनन्तिम मंजूरी दिये जाने का संकेत दिया था;

(ग) क्या इस दल ने या अन्य दलों ने इसी उद्देश्य से अन्य राज्यों का भी दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और अनन्तिम रूप से कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विश्व बैंक के अधिकारियों के एक दल ने उड़ीसा राज्य की बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए राज्य का दौरा किया था। इस दल ने विश्व बैंक से मिलने वाली किसी सहायता का संकेत नहीं दिया क्योंकि सहायता की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त करने के लिए पेश की गयी परियोजना रिपोर्टों के विस्तृत मुल्यांकन के बाद ही दी जा सकती है। इस दल ने आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था। इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में भी बातचीत हुई थी और चूंकि राज्यों को अभी विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हैं, इसलिए इस समय इस परियोजना की लागत के विषय में जिसकी वित्त व्यवस्था विश्व बैंक समूह द्वारा की जायेगी कोई संकेत देना संभव नहीं है।

वातानुकूलन फर्म तथा नागर विमानन महानिदेशालय के बीच विवाद

2705. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर वातानुकूलन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी एक फर्म तथा नागर विमानन महानिदेशालय के बीच दो वर्ष पुराना विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) मामले पर एक और संभरण तथा निपटान निदेशालय, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग तथा दूसरी ओर फर्म के मध्य विचार विमर्श किया जा रहा है। एक तकनीकी समिति द्वारा जांच किये जाने पर सप्लाई किये गये उपकरण की क्षमता कम पायी गई है। इस परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले मामलों पर विचार किया जा रहा है।

पान की दुकान करने वालों द्वारा आय-कर का भुगतान

2706. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राजधानी नगरों में पान की दुकानों के अनेक मालिक भारी लाभ कमा रहे हैं परन्तु आय-कर के रूप में एक पैसा भी नहीं देते; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे आय-कर अपवंचन को रोकने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयकर लगने योग्य आय/धन रखने वाले सभी व्यक्तियों को कर के दायरे में लाया जाए, एक संगठित सर्वेक्षण अभियान चलाया गया है। महानगरों में पान की दुकान के मालिकों के मामले भी उक्त अभियान के अन्तर्गत आ जायेंगे।

सीमाशुल्क अधिकारियों को शस्त्रों से लेस करना

2707. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों को हाल ही में तस्करों के सशस्त्र गिरोहों का सामना करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमाशुल्क अधिकारियों को भी शस्त्रों से लैस करने का कोई प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। हाल ही में कुछेक मौकों पर सीमाशुल्क अधिकारियों को तस्कर व्यापारियों के गिरोहों का सामना करना पड़ा, जो सशस्त्र थे।

(ख) तस्करी-विरोधी कार्यों में लगे बहुत सारे सीमाशुल्क अधिकारियों को शस्त्र दिये गये है और ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं जब उनको गोला-बारी का सहारा लेना पड़ा। और अधिक अधिकारियों को शस्त्र देने के उपाय किये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों को स्व-नियोजन के लिए ऋण दिया जाना

2708. **श्री एम०एस० पुरती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक व्यक्तियों को स्वनियोजन के लिए ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों को स्वनियोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से किन मुख्य आधारों पर ऋण मिल सकता है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों में व्यक्तियों को स्वनियोजन के लिए राज्यवार अब तक कितनी धनराशि का ऋण दिया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) बैंक स्वयं नियोजन के वास्ते ऋण के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय जमानत और गारंटी की आवश्यकताओं की अपेक्षा परियोजनाओं की सक्षमता और आवेदकों की निपुणता, अनुभव विश्वसनीयता एवम् संगठनात्मक क्षमता पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देते हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वयंनियोजन उपक्रमों के वास्ते अग्रिम मोटे तौर प्राथमिकता क्षेत्र की 'कृषि', 'छोटे पैमाने के उद्योग', 'परिवहन चालकगण', 'खुदरा व्यापार', 'छोटे व्यवसाय' और 'पेशेवर एवम् स्वयं नियोजित व्यक्तियों' जैसी श्रेणियों में जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन श्रेणियों के ऋणकर्त्ताओं को दिए गए ऋणों को जून, 1972, जून, 1973 और जून, 1974 के अंत में बकाया राशियां अनुबंध में दी गयी हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9134/75]

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार

2709. **श्री पी०आर० शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गैर-सरकारी रूप से व्यापार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यापार का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी का निर्यात

2710. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को बीड़ी का निर्यात करने की सम्भावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास बाजार आसूचना के वितरण, भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने, बाजार सर्वेक्षणों के आयोजन, प्रचार फोल्डरों के वितरण, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने आदि द्वारा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के, जिनमें बीड़ियां शामिल हैं, निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय कर रही है ।

(ख) बीड़ियों का निर्यात विश्व के बीस से अधिक देशों को किया जा रहा है । हमारे कुछेक बाजार ये हैं । मलयेशिया, सिंगापुर, सं० रा० अमरीका, स्विटजरलैंड, नेपाल, दुबाई, कत्तार, अफगानिस्तान पिछले दो वर्षों में बीड़ियों से हुई हमारी निर्यात आय निम्नलिखित थी :--

वर्ष	मात्रा	मूल्य (रु०)
1972-73	65 मे० टन	14.01 लाख
1973-74	72 मे० टन	14.97 लाख

वर्ष 1974-75 में मछली का निर्यात

2711. **श्री पी०आर० शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में भारत ने मछली का कुल कितना निर्यात किया और उससे कितनी धनराशि अर्जित की;

(ख) क्या विदेशों में भारत की मछली की मांग में कमी होने लगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मांग बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अप्रैल अक्तूबर, 1974 (1974-75) के दौरान 88.04 करोड़ रु० मूल्य की 20.5 हजार मे० टन मछली का निर्यात किय गया था ।

(ख) हालांकि समृद्ध बाजारों में मन्दी और निर्यात योग्य किस्मों की मछली कम पकड़ी जाने के कारण 1974-75 के अब तक हुए निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले कम रहे हैं फिर भी अभी तक इससे भारत से निर्यात की जाने वाली मछली की मांग में गिरावट का रुख नहीं आया है ।

(ग) अब तक मछली के निर्यातों में आई गिरावट पर काबू पाने के लिए दिसम्बर, 1974 में दो बिक्री प्रतिनिधिमण्डल एक सं० रा० अमरीका तथा दूसरा जापान को भेजे गये ।

Boarding and Lodging charges in Appollo Hotel, Colaba, Bombay

2712. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister **of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether boarding and lodging charges in the Appollo Hotel, Colaba, Bombay are more for foreigners and less for Indians;

(b) if so, the reasons therefor and the number of Indians and foreigners who stayed there during 1972-73 and 1973-74 and the amount charged from them as boarding and lodging charges, separately; and

(c) whether rent for a room in the said hotel is the same for one hour as for 24 hours and one room is booked in the name of many persons during 24 hours itself ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c) It is not an 'Approved Hotel', of the Department of Tourism and as such the required information and statistics are not readily available.

Sale proceeds of Appollo Hotel, Colaba, Bombay

2713. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the people staying in the Appollo Hotel, Colaba, Bombay are charged excessively in all respects;

(b) whether no account of the items sold by the hotel is maintained by the hotel management and no rate list is available there; and

(c) the statement of sale proceeds of the hotel for the years 1972-73 and 1973-74 together with the details of items sold?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c) It is not an 'Approved Hotel', of the Department of Tourism and as such the required information and statistics are not readily available.

Partners of Shree Ram Rayons, Kota, Rajasthan

2714. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister **of Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5492 on the 20th December, 1974 regarding Income-tax outstanding against partners of Shree Ram Rayons, Kota and state:

(a) the present number and names of partners of Shree Ram Rayons, Kota, Rajasthan and the capital invested by each of them in this industry;

(b) the present capital investment in each of M/s. Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd., Shree Ram Rayons Kota, Rajasthan and Shree Ram Chemicals Industries and the sources from which this capital has been raised; and

(c) the amount of loans obtained from Rajasthan and Delhi Finance Corporations, nationalised banks and other financial institutions, separately for the development of these industries indicating the dates on which these loans were obtained ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) (a) Shree Ram Rayons, Kota, Rajasthan is one of the units of Delhi Cloth and General Mills Limited which is a public limited company and as such the question of names and capital invested by each partner of Shree Ram Rayons does not arise.

(b) Shree Ram Rayons, Kota, Rajasthan and Shree Ram Chemicals Industries, are the units of M/s Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. The share-capital of each of the units of M/s Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. is not ascertainable. The subscribed and paid up capital of M/s. D.C.M. Ltd. is Rs. 19,57,55,913. Since D.C.M. Ltd. is a public Limited Company and the number of shareholders runs into several thousands, it is not feasible (except at very great expense and labour) to verify the source of capital invested by each shareholder.

(c) The details of the loans as per information available from the Balance Sheet as on 30-6-1973 are as under:

	Rs.
1. **M/s Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. (all Units)—**	
Banks:	13,25,73,712
Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd	69,28,939
2. **M/s Shree Ram Chemical Industries, Kota (Rajasthan).**	
Banks:	2,86,61,271
Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.	7,89,599
3. **M/s Shree Ram Rayons, Kota, (Rajasthan).**	
Banks:	42,77,746
Agency for International Development, Washington, USA . .	1,59,24,582
Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. . .	11,98,914
State Bank of Bikaner & Jaipur	6,825

नए पूंजी निर्गमों के बारे में नियम तथा प्रक्रियाएं

2715 **श्री मधुलिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए पूंजी निर्गमों के संबंध में लागू नियम तथा प्रक्रियाएं के संबंध में तथा इक्विटी पूंजी की भागीदारी को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता के बारे में लोक सभा में समाजवादी दल के एक सदस्य से पूंजी निर्गमों के नियंत्रक को कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) और (ख) : जी हां, "पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयर" के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य से दिनांक 17-11-74 को एक पत्र प्राप्त हुआ था और माननीय सदस्य को वित्त मंत्रालय के दिनांक 3-1-1975 के पत्र संख्या एफ० 21/2 एस० ई० के द्वारा स्थिति से अवगत करा दिया गया था । और बातों के साथ साथ सदस्य महोदय के पत्र में यह बातया गया था कि इन कम्पनियों के प्रवर्तक, उनके मित्र और सहयोगी तथा इनकी सहायक कम्पनियों को पहले 51 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति थी और बाकी 4 प्रतिशत शेयर जनता को बेचे जाते थे । जून 1972 में घोषित निर्देशकों के अनुसार, प्रवर्तकों आदि के शेयरों का प्रतिशत 51 से घटाकर 40 कर दिया गया है और बाकी 60 प्रातशत शेयर जनता को बेचे जाने हैं । इन निर्देशकों में यह व्यवस्था भी है कि उक्त 60 प्रतिशत शेयरों में से 11 प्रतिशत तक शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं, सरकार और राज्य सरकारों की ऐजेंसियों को स्थायी रूप से आवंटित किये जा सकते हैं । इन निदेशकों में यह व्यवस्था भी है कि जिन मामलों में गैर सरकार प्रवर्तकों के सहयोगी प्रवर्तक विदेशी हैं या सरकार क्षेत्र के प्रवर्तक हों, जिनमें कम्पनी की शेयर पूंजी में हिस्सेदार सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं, उनमें इन सबको कुल मिलाकर जारी की गयी पूंजी के $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत तक शेयर स्थायी रूप से दिये जा सकते हैं और कम से कम $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत शेयर बिक्री के लिए जनता को दिये जाने चाहिये ।

उन विदेशी कम्पनियों के मामले में, जिनका भारतीयकरण किया जा रहा है, यदि जारी पूंजी के कम से कम 20 प्रतिशत शेयर (जो 20 लाख रुपये से कम के न हों) जनता को दिये जाते हैं तो उन कम्पनियों के शेयरों को शेयर बाजारों की सूचियों में शामिल किये जाने की अनुमति दे दी जायगी।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान कम्पनियां विस्तार करने या अपने उत्पादन का विविधीकरण करने की अनुमति मांगती है तो हर मामले में हमेशा शेयरधारिता के स्वरूप की जांच की जाती है और यदि कम्पनियां अल्प जन-धारित पायी जाती हैं, तो उपर्युक्त नये निर्देशकों के अनुसार उनकी शेयरधारिता को कम करने का प्रयत्न किया जाता है । इसी तरह जब गैर-निवासी, भारतीय कम्पनियों के अपने शेयर बेचना चाहते हैं या वर्तमान कम्पनियां नये शेयर जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, तो यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश की जाती है कि अल्प जन धारित कम्पनी के शेयर इस ढंग से जारी किये जाएं ताकि उनके शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास हों ।

जमा रकम को बढ़ा चढ़ा कर बताना

2716 **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्पादन विरोधी उस खेल की ओर दिलाया गया है जिसमें जमा रकम को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है और उस में भाग लेने वाले बैंक खातों की संख्या के अनुसार ऊंचे स्थान रखने का दावा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) :रिजर्व बैंक के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं जब वर्ष के अंतिम दिनों में बड़ी अंतः बैंक जमाएं की गई हैं ताकि अपने तुलनपत्र में जमाएं बढ़ा चढ़ा कर बतायी जा सके । इसलिए 1973 के अंत में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 29 में निर्धारित तुलन पत्र के फार्म में संशोधन कर दिया गया है और बैंकों के लिए अंतः बैंक जमाएं पृथक रूप से बताना अनिवार्य बना दिया गया है ।

पर्यटन आय में भारत का भाग

2717 **डा० हरी प्रसाद शर्मा :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबकि, 1970 में समाप्त होने वाली दशाब्दि में विश्व की तुलना में भारत में पर्यटकों के आगमन के अनुपात में 13 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई है, तथापि पर्यटन आय में भारत का भाग 1960 में 0.63 प्रतिशत से घटकर 1970 में 0.31 प्रतिशत हो गया है और 1972 में आगे और घटकर 0.27 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन आय में भारत के भाग में ऐसी कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में आये पर्यटकों तथा पर्यटन आय के आंकड़ों और तत्समान विश्व के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1970 में समाप्त होने वाले दशाब्द के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की वार्षिक वृद्धि दर लगभग वही थी जो उसी अवधि के दौरान विश्व की वृद्धि दर थी अर्थात 9 प्रतिशत । तथापि, विश्व पर्यटन प्राप्ति में भारत का अंश 1960 में 0.6 प्रतिशत से गिर कर 1970 में 0.3 प्रतिशत हो गया और यह 1972 के दौरान लगभग उसी स्तर पर रहा हालांकि पर्यटन से होने वाली भारत की विदेशी मुद्रा की आय 1960 में 19.7 करोड़ से बढ़कर 1970 में 38 करोड़ रुपये तक तथा इससे भी आगे 1972 में 48.3 करोड़ रुपए तक बढ़ गयी।

(ख) विश्व पर्यटन प्राप्ति में भारत के अंश में गिरावट मुख्यतया इनके कारणों से हुई :—भारत की यात्रा करने वाले अधनाड्य पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के परिणामस्वरूप औसत पर्यटक व्यय में गिरावट, अधिक धनाढ्य पर्यटकों के औसत ठहराव में गिरावट तथा वर्ष भर में सामूहिक संचलन (ग्रुप मूवमेंट्स) की संख्या में वृद्धि और ठहराव इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति व्यय में कमी ।

(ग) भारत में पर्यटक आगमन तथा उससे विदेशी मुद्रा की आय पिछले तीन वर्षों के लिए विश्व के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ साथ निम्न प्रकार हैं :--

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या		अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्ति	
	भारत	विश्व (दस लाख में)	भारत	विश्व (करोड़ रुपयों में)
1972	342,950	198	48.3	18,416
1973	409,895	215	67.5	21,473
1974	423,151	209	69.7	23,519

कच्चे पटसन तथा कोयले के विनिमय के लिए भारत-बंगलादेश वार्ता

2719. **डा० हरी प्रसाद शर्मा** :

श्री डी० पी० ववेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या **कच्चे पटसन** तथा कोयले के विनिमय के लिये सीमित व्यवस्था करने हेतु वर्ष फरवरी में ढाका भारत तथा बंगला देश के प्रतिनिधियों के बीच हुई 'पांच दिन' की वार्ता के दौरान कोई समझौता नहीं हो सका ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रत्येक पक्ष द्वारा क्या रुख अपनाया गया ; और

(ग) समस्याओं को उच्चतर स्तर पर हल करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और भारतीय पटसन निगम द्वारा इस वर्ष जनवरी फरवरी में क्रमश: कोयले की सप्लाई और पटसन की खरीद के लिए कीमतें तय करने हेतु ढाका में बातचीत की गई । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बंगला देश को कोयले की सप्लाई के लिए संविदा की गई । पटसन के सम्बन्ध में बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला ।

(ख) भारत द्वारा खरीदे जाने वाले पटसन की कीमतों के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ।

(ग) सही मौके पर आगे बातचीत शुरु की जायेगी ।

जाम्बिया को निर्यात तथा वहां से आयात

2719. **डा० हरी प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 में भारत की यात्रा पर आये हुए जाम्बिया के राष्ट्रपति के साथ नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान जाम्बिया के साथ भारत के लगातार प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन सम्बन्धी प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी, तथा उस पर तत्पश्चात् सरकारी स्तरों पर भी बातचीत हुई ;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत के परिणाम क्या हैं तथा व्यापार सन्तुलन बनाने के लिये जाम्बिया के साथ यदि कोई करार किया गया है तो उस की शर्तें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जाम्बिया को कुल कितना निर्यात किया गया तथा वहां से कुल कितना आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 23 जनवरी से 27 जनवरी, 1975 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के दौरान उनके साथ आये अधिकारियों के साथ व्यापारिक आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के संबंध में सविस्तार विचार विमर्श किये गए दोनों देशों के बीच व्यापार में विस्तार के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया और यथा संभव शीघ्र दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार करना स्वीकार किया गया ।

(ग) गत तीन वर्षों के निर्यात तथा आयात संबंधी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :--

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	भारत के निर्यात	भारत के आयात
1971-72	592	2094
1972-73	472	2780
1973-74	374	3446

जाम्बिया के साथ व्यापार

2720. **डा० हरी प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया के साथ व्यापारिक तथा आर्थिक संबंधों का विकास करने के उद्देश्य से इस देश के साथ हाल ही में कोई आर्थिक तथा व्यापारिक बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मदों के क्या नाम हैं जो उस देश को निर्यात हो सकती हैं तथा उस देश के साथ किन किन क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग हो सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जनवरी, 1975 में जाम्बिया के सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के साथ नई दिल्ली में व्यापारिक, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर सविस्तार विचार विमर्श किए गए ।

(ख) जाम्बिया को जिन मदों के निर्यात की संभाव्यता है वे हैं, अनाज तथा अनाज से तैयार वस्तुएं, मसाले, सूती तथा धागा, रबड़ से बनी वस्तुए, सूती वस्तुएं, पटसन से बनी वस्तुएं सिंचाई उपस्कर, भवन निर्माण सामग्री, चिकित्सा संबंधी माल, चल स्टाक, परिवहन उपस्कर आदि । जाम्बिया में भारत के लिए संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने की गुंजाइश साइकिल संयंत्र, ड्रमों का विनिर्माण और एक होटल परियोजना के संबंध में हैं । ये परियोजनाएं अन्वेषण के स्तर पर हैं ।

विदेश यात्रा कर की अप्रयुक्त राशि का लौटाया जाना

2721. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश यात्रा कर की अप्रयुक्त राशि को, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपये है, के लौटाने के अपने वचन से फिर गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी राशी लौटा दी गई है तथा किस प्रक्रिया द्वारा लौटाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 15 अक्तूबर, 1971 से 31 जनवरी, 1975 तक विदेश यात्रा कर से प्राप्त कुल 17.30 करोड़ रु० के राजस्व में से, जनवरी, 1975 के अन्त तक वहक-कम्पनियों द्वारा 40.57 लाख रु० की वापसी के दावे पेश किये गये हैं । सरकार विदेश यात्रा कर से संबंधित वापसी दावों को यथासंभव शीघ्र अन्तिम रूप देने की आवश्यकता के प्रति सतर्क है ।

(ख) तथा (ग) वाहक कम्पनियों द्वारा सीमाशुल्क समाहर्ताओं को पेश किये गये वापसी के दावों का भुगतान इसलिए नहीं किया जा सका कि वाहक कम्पनियां रद्द किये गये अथवा अप्रयुक्त टिकटों को पेश करने के लिये अनिच्छुक अथवा असफल रहीं । एक विशेष अध्ययन करने के बाद, उन मूल दस्तावेजों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है जिनके आधार पर इन दावों के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है । ऐसी संगत तारीख को निश्चित करने के संबंध में भी कुछ कानूनो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिसके संदर्भ में दावों को पेश करने की छः महीने की कानूनी समय सीमा की गणना करनी होती है । विधि मंत्रालय से परामर्श करके इन कठिनइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस बीच, इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि जो वापसी दावे टिकट जारी करने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर पेश किये गए हों उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाय । इन अनुदेशों के परिणामस्वरुप 52.61 हजार रु० की रकम के 193 दावों को निपटा दिया गया है । अन्य दावों के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं ।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

2722 **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में भारतीय रुई निगम द्वारा, राज्यवार, रुई की कितनी गाठें खरीदी गई ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में रुई की खरीद किस दर से की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

Hotels in Madhya Pradesh

2723. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of hotels for tourists in Madhya Pradesh at present;

(b) the number of hotels opened in Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74; and

(c) whether the said hotels are earning adequate profits ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There are at present five hotels in Madhya Pradesh, which have been approved by the Department of Tourism from the point of view of their suitability for foreign tourists.

(b) and (c) The only hotel to open in Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74 was the India Tourism Development Corporation's Khajuraho Hotel which was converted into a hotel by expansion of the Travellers' Lodge there w.e.f. 19-11-1972. This hotel incurred a loss of Rs. 3.29 lakhs during 1972-73 and Rs. 2.78 lakhs during 1973-74.

कच्चे माल के विषय पर विकास-शील देशों का सम्मेलन

2424. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माल के स्टाक बनाने तथा मंडी में प्रभाव रखने के उद्देश्य से और उत्पादक देशों के बीच निकट सहयोग बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था गठित करने की आवयकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उक्त दृष्टिकोण कच्चे माल संबंधी विकास-शील देशों के सम्मेलन के सम्मुख पेश किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अन्य कौन विषयों पर चर्चा हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, तथापि, यह विचार गुट-निरपेक्ष देशों के ब्यूरो द्वारा स्थापित कच्चा माल संबंधी अन्त सरकारी समूह के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट था।

(ग) सम्मेलन द्वारा जिन अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया वे, अन्य बातों के साथ साथ इन से संबंधित हैं : (i) विकासशील देशों की एकता तथा अखंण्डता का सुदृढीकरण (ii) विकासशील तथा विकसित देशों के बीच आर्थिक संबंध (iii) विकासशील देशों के बीच व्यापार का विस्तार (iv) विकासशील देशों और स्थलरुद्र देशों में से अल्पतम विकसित देशों के हित में विशेष उपाय।

विदेशी मुद्रा घोटाले

2725. **श्री हरी किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बिदेशी मुद्रा घोटाले समाप्त करने के लिए हाल में की गयी कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : तस्करी तथा विदेशों मुद्रा जालचक्र संबंधी अपराध प्राय: परस्पर सम्बद्ध होते हैं । अत: केवल तस्करी से सम्बद्ध व्यक्तियों के बारे में ही नहीं अपितु विदेशी मुद्रा जालचक्र से सम्बद्ध व्यक्तियों के बारे में भी नजरबंदी आदेश पहले आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम और बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन जारी किये गये हैं ।

सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्र में वितरण केन्द्रों और सम्पर्क मार्गो पर निवारक चौकियां कायम करना, पश्चिमी समुद्र तट पर कई स्थानों को जोड़ने वाली बेतार संचार व्यवस्था कायम करना, निवारक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और उनके लिये अधिक साजसामान की व्यवस्था करना तथा रडार और अन्य उपकर युक्त तेज चलने वाली नावें की नौकाएं प्राप्त करना जैसे उपाय पहले ही किये जा चुके हैं जिनका उद्देश्य तस्करी को रोकना ही नहीं अपितु विदेशी मुद्रा के जालचक्र को भी समाप्त करना है ।

कौल समिति ने बीजक में हेरफेर के जरिये होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि से निपटने के संबन्ध में भी सिफारिशें की थीं । सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशें इस बीच कार्यान्वित की गई हैं । । विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के स्थान पर 1973 में एक नया अधिनियम लाया गया था जिसमें और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था है और जिसका उद्देश्य विधि आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में साक्ष्य आदि से संबंधित उपबन्धों को सुदृढ़ बनाना है ।

तस्करी रोकने के लिये समुद्री नौकायें

2726. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी रोकने के लिये सरकार के पास इस समय कितनी समुद्री नौकायें हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कुछ और नौकायें खरीदने का है ;

(ग) इन नौकाओं में तीव्र गति वाले और आधुनिक उपकरण लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उस पर कितना खर्च आयेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वर्तमान में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पास 46 समुद्री यान उपलब्ध हैं जो निवारक तथा तस्कर विरोधी कार्य के लिए काम में लाये जा रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) नार्वे से मंगाई जा रहीं 20 तीव्रगामी मध्यम आकार की लांच नौकाओं में से अभी तक 10 नौकाएँ प्राप्त हुई हैं, जो नौवहन रडार, बेतार-संयंत्र, हलकी मशीन गन, नाइट-साइट इको सोंउडर आदि से सुसज्जित हैं। जब की लांच नौकाओं में भी हल्की मशीनगन, बेतार संयंत्र तथा नाइट-साइटों की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा उपकरणों पर समग्र व्यय का लगाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ उपकरणों को लगाने का कार्य अभी जारी है।

Accumulation of Stock with M.M.T.C.

2727. **Shri Shankar Dayal Singh :**

Shri Bhaoosahaib Dhamankar :

Shri Rajaram Dadasaheb Nimbalkar :

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of the stock that has been accumulated with the Minerals and Metals Trading Corporation as on the 31st January, 1975 and the particulars of the stock;

(b) the reasons for non-lifting of the stock ;

(c) whether the Corporation is facing financial crisis due to accumulation of huge stock; and

(d) the measures being taken by the Corporation to explore the possibility of exporting the accumulated stock ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) About Rs. 113 crores consisting mainly of non-ferrous metals and steel.

(b) The main reasons are financial stringency, power cuts, slackening of demand for end products and declining international prices.

(c) This is causing considerable strain on the ways and means position of the Corporation.

(d). Steps are being taken to reduce the stock by providing facilities to the Actua Users to lift their allotments. Export of these materials is not contemplated at this stage.

Proposal to Open Hotels by I.T.D.C. During Fifth Plan

2728. **Shri Shanka r Dayal Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether India Tourism Development Corporation propose to open more hotels during the Fifth Plan period; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The draft Fifth Five Year Plan of India Tourism Development Corporation includes proposals for setting up of the undermentioned new hotels:—

Sl. No.	Location of the Hotel	Category	Capacity		(Rs. in lakhs)		
			Rooms	Beds	Estimated cost	Fifth Plan Provision	Spill over to Sixth Plan
1.	New Delhi	3-Star	600	1200	700	700	—
2.	Goa .	Beach Resort	150	300	200	200	—
3.	Mysore .	Palace Hotel	69	130	73	65	—
4.	Puri . .	3-Star	75	150	60	60	—
5.	Kovalam . .	Beach Resort	150	300	250	100	150

The Plan is, however, under revision; the implementation of the scheme is also subject to satisfactory feasibility study, lifting of ban on use of cement and availability of resources.

Amount of Loans Given by L.I.C. to States

2729. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the State-wise amount of loan given by the Life Insurance Corporation of India, indicating the heads under which it has been given; and

(b) the amount of loan, out of it recovered so far and the amount still to be recovered?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) Two statements are annexed.

[Placed in the Library. See No. L.T. 9135/75].

मुद्रास्फीति रोकने के लिए अर्थशास्त्रियों की ओर से सुझाव

2730. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बंबई में हुई एक गोष्ठी में कुछ प्रसिद्ध भारतीय तथा विदेशी अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे तथा उन्होंने भारत में मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए कुछ सुझाव की पेशकश की ;

(ख) यदि हां, तो उन अर्थ-शास्त्रियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 10 फरवरी, 1975 को बम्बई में "मुद्रास्फीति, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था" पर हुई गोष्ठी का पूरा विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन समाचार पत्रों में छपी खबरों से पता चला है कि भारत में अमेरीका के भूतपूर्व राजदूत प्रोफेसर जे० के० गैलब्रैथ और जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल श्री एल० के० झा ने इस गोष्ठी में भाग लिया था। उन्हीं स्रोतों के अनुसार भारत में अन्य स्थानों पर मुद्रास्फीति का मुकाबिला करने के लिए उनके द्वारा सुझाये गये मुख्य उपाय ये हैं :—

(1) मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा संबंधी नीति पर निर्भरता को बहुत कम कर दिया जाना चाहिये।

(2) उच्च आय वर्गों द्वारा किये जाने वाले उपभोग में कमी करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिये।

(3) मजदूर और सफेदपोश वर्गों की आय पर समुचित प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये।

(4) लाभ से होने वाली आय को नियमित करने के लिए मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

(5) कुल मांग को पूरे साधन-रोजगार स्तर पर मोटे तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के बराबर रखा जाना चाहिये।

(6) तेल और खाद्य जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(7) मुद्रा के विस्तार पर जो रोक लगायी जाये, वह कृषि और उद्योगों में लगातार किये जाने वाले निवेश के ढांचे के अन्तर्गत होनी चाहिये जिनकी चीजें रहन-सहन की लागत का मुख्य अंग होती हैं। अतः बैंक ऋणों और बजट सम्बन्धी परिव्यय पर रोक चयनात्मक आधार पर लगायी जानी चाहिये न कि राशियों के आधार पर।

(8) वास्तविक बचतों से, चाहे वे ऐच्छिक हों अथवा अनिवार्य, वित्तपोषित निवेश भी उसी तरह चयनात्मक आधार पर किया जाना चाहिये।

(9) ऐसे राजस्व विषयक उपाय किये जाने चाहिये जिनसे गैर-जरूरी वस्तुओं से होने वाला लाभ कम हो और जरूरी वस्तुओं में लगायी जाने वाली पूंजी को पहले से अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

इस गोष्ठी में भाग लेने वाले इन दो प्रसिद्ध महानुभावों द्वारा बताये गये उपर्युक्त उपायों को सरकार ने नोट कर लिया है।

कपड़े के निर्यात में कमी

2731. **श्री नरेन्द्र कुमर सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गत आठ महीनों के दौरान यहां तक कि रूढ़िगत बाजारों में भी कपड़े के निर्यात की मात्रा में कमी होनी आरम्भ हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटन युरोपीय आर्थिक समुदाय, अमरीका तथा आस्ट्रिया के सम्बन्ध में अब तक कितनी मात्रात्मक कमी हुई है; और

(ग) इस प्रवृत्ति के क्या करण हैं तथा यदि कोई वित्तीय हानि हुई हो तो वह कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अप्रैल-दिसम्बर 1974 की अवधि के दौरान सूती वस्त्रों के 238.12 करोड़ रु० के कुल निर्यात हुए जबकि 1973 की उसी अवधि के दौरान 180.23 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। किन्तु जैसा कि निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से प्रकट होता है, कोटा वाले देशों यथा, ब्रिटेन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा सं० रा० अमरीका को कम निर्यात हुए :—

वर्ष	ब्रिटेन	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	सं०रा० अमरीका	आस्ट्रिया
	लाख वर्ग मीटर	मे. टन	लाख वर्ग मीटर	मे० टन
1974 (अप्रैल-दिसम्बर)	479.1	5,641	645.2	66
1973 (अप्रैल-दिसम्बर)	1768.0	8,601	1049.6	130

(ग) अमरीका में रुई की भारी फसल होने से सूती वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र गिरावट और सं० रा० अमरीका और पश्चिमी यूरोप में मंदी के कारण ब्रिटेन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, सं० रा० अमरीका, आस्ट्रिया आदि को सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों में गिरावट आई। इस के अतिरिक्त गैर-सैल्यूलासिक देशों, पोलिस्टर/काटन ब्लेंड्स की मांग होने से शुद्ध सूती माल की मांग कम हो गई। हमारी प्रतियोगिता क्षमता में कमी होने का अन्य प्रमुख कारण विश्व कीमतों के मुकाबिले वस्त्रों की कीमतें अधिक होना है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का अधिभोग (ओक्यू न्सी)

2732. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का अधिभोग (ओक्यूपेन्सी) गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रहा है, और यदि हां, तो अधिभोग आंकड़ों में गिरावट के क्या कारण है ; और

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार और अधिक तीन स्टार होटल निर्मित करने का है ; और यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है और ये होटल कहां-कहां निर्मित किए जायेंगे,

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1971–72,

1972–73 तथा 1973–74 के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित होटलों में कमरों की वास्तविक लाग में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबिले अधिकता/कमी की प्रतिशतता निम्नप्रकार थी:—

क्रम सं०	होटल का नाम	निर्धारित लक्ष्य के मुकाबिले कमरों की लाग प्रतिशता		
		अधिक(+)	कमी(—)	
		1971–72	1972–73	1973–74
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	(—) 5	(+) 1	(—) 1
2.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	—	(—) 4	(—) 2
3.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	(+) 2	(—) 1	(—) 8
4.	लोदी होटल, नई दिल्ली . .	(—) 1	(—) 1	(—) 3
5.	अकबर होटल, नई दिल्ली (27–1–72 को चालू किया गया) . .	लागू नहीं होता	(+) 5	(+) 1
6.	होटल अशोक, बंगलौर (1–5–71 को चालू किया गया) . . .	लागू नहीं होता	—	(—) 1
7.	औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद (1–10–72 को रेलवेज़ से लिया गया) .	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(—) 10
8.	खजुराहो होटल, खजुराहो (विस्तार किया गया तथा 19–11–72से एक होटल में परिणत किया गया) . .	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(—) 3
9.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर (जनवरी 1973 में 23 कमरे जोड़ कर विस्तार किया गया)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(—) 11
10.	कोवालम ग्रोव, कोवालम (17–12–72 को चालू किया गया) . .	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(—) 14

(ख) औरंगाबाद के तीन स्टार होटल तथा पटना के मोटल के अलावा जो निर्माणाधीन हैं, निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में नई दिल्ली, गोवा तथा पुरी में तीन नए तीन स्टार होटल सम्मिलित हैं। स्कीमों का क्रियान्वयन निधियों की उपलब्धि, संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने तथा सीमेंट के प्रयोग पर लगे प्रतिबन्ध के हटाये जाने पर निर्भर करेगा।

Proposal to provide Air Link to Jabalpur

2733. **Dr. Laxminarayn Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Union Government have accepted the proposal for providing air link to Jabalpur in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which this proposal will be implemented ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) On account of extremely tight fleet position and high cost of aviation fuel Indian Airlines are not in a position to airlink Jabalpur in the foreseeable future.

Memorandum for Opium Growers Association

2734. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Afeem Utpadak Sangh, Pratap Garh, (Rajasthan) and the opium growers of Mandsaur have submitted a memorandum containing their demands; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) A memorandum, dated the 25th November, 1974 from the Afeem Utpadak Sangh Pratap Garh has been received by the Government and the various demands made therein are under examination.

A memorandum, dated the 18th September, 1974 was also received from the Opium Producers Krishak Sangharsh Samiti, Neemuch (District Mandsaur) and a suitable reply has already been sent.

केरल में तीर्थस्थानों का विकास

2735. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने हेतु वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान तीर्थ स्थानों के विकास के लिये केरल सरकार को कुल कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1975-76 के लिये कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) केरल में तीर्थ-स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिये 1973–74 तथा 1974-75 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कोई धन आवंटित नहीं किया गया था क्योंकि इस तरह के पर्यटक इन केन्द्रों की मुश्किल से ही यात्रा करते हैं । तथापि, केरल सरकार ने गुरवायूर तथा शबरीमाला में पर्यटकों के लिये सुविधाएं प्रदान करने के लिये 1974–75 के दौरान 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नये तथा पुराने उद्योगों का विकास करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण

2736. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी को हल करने के लिये तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु जीवन बीमा निगम नये तथा पुराने उद्योगों का विकास करने के लिये ऋण देता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान राज्यवार मंजूर किये गये ऐसे ऋणों का व्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । जीवन बीमा निगम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां और चीनी सहकारी समितियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नई परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की अर्थ-व्यवस्था के निमित्त और/अथवा विद्यमान एककों के विस्तार के लिए सावधिक ऋण देता है । इनसे अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलता है और उत्पादन बढ़ता है ।

(ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और चीनी सहकारी समितियों को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नलिखित ऋण मंजूर किये गये ?

(लाख रुपयों में)

	1971–72	1972–73	1973–74
आन्ध्र प्रदेश	100.00	25.00	75.00
असम .	—	100.00	—
बिहार	—	275.00	150.00
दिल्ली	—	25.00	—
गुजरात .	1090.00	40.00	215.00
कर्नाटक	100.00	235.00	150.00
केरल	—	75.00	—
महाराष्ट्र	57.50	205.00	330.00
उड़ीसा	—	40.00	—
पंजाब .	25.00	—	—
राजस्थान	—	10.00	—
तमिलनाडु	280.00	115.00	355.00
उत्तर प्रदेश	—	195.00	180.00
पश्चिम बंगाल	—	—	250.00

जीवन बीमा निगम की आन्ध्र प्रदेश शाखा द्वारा बीमाकृत प्रीमियम की राशि एकत्र किया जाना

2737. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान जीवन बीमा निगम की आन्ध्र प्रदेश शाखा द्वारा बीमाकृत प्रीमियम की कितनी राशि एकत्र की गई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विकास कार्यों के लिये विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान एकत्र की गई प्रीमियम आय की कुल रकम क्रमश : 18.50 करोड़ रु० 21.86 करोड़ रु० तथा 30.02 करोड़ रु० थी।

(ख) वर्ष	(करोड़ रु० (स्वीकृत रकम)
1971–72	17.17
1972–73	8.00
1973–74	6.30

इन तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम के उक्त राज्य में ऋणों के अतिरिक्त क्रमश: 4.70 करोड़ रु०, 9.49 करोड़ रु० तथा 7.08 करोड़ रु० का निवेश किया।

चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात सहायता

2738. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात सहायता देने का विचार कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने परिष्कृत चमड़े तथा चमड़े से बने माल के निर्यातकों को निर्यात सहायता दिये जाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं; इनमें से कुछ ये हैं :—

(i) अर्ध-परिष्कृत चमड़े के सभी विनिर्यात अब अपनी अर्ध-परिष्कृत क्षमता की पूर्ण सीमा तक परिष्कृत चमड़े के निर्माण के लिये क्षमता संस्थापित कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए फिर से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा।

(ii) 3 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हकदारी के आधार पर मशीनों के आयात के लिए दो तिहाई अनिवार्य दायित्व ।

(iii) मशीनों के आयात के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण ।

(iv) आयात हेतु रासायनिक पदार्थों और रंजकों की सूची का उदारीकरण; और

(v) परिष्कृत चमड़े, चमड़े से बने माल और जूतों के निर्यात के लिए वायु भाड़ा उपदान ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों की स्थापना

2739. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 1975 में कुछ नए होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे होटलों की संख्या कितनी है और उनके लिए राज्य-वार कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं; और

(ग) प्रत्येक होटल की निवास संबंधी क्षमता कितनी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग) निम्नलिखित निर्माणाधीन होटलों के वर्ष 1975 के दौरान चालू हो जाने की आशा है :

होटल का नाम तथा स्थान	राज्य	क्षमता	
		कक्ष	शय्याएं
एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	156	312
कोवालम, त्रिवेन्द्रम में होटल	केरल	88	176
औरंगाबाद में होटल	महाराष्ट्र	66	132

Mode of Payment between India and Bangladesh

2740. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri C. Janardhanan ;

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the areas of trade between India and Bangladesh; and

(b) the mode of payment between the two countries and whether there is any likelihood of change in the trade pattern also with the political changes in Bangladesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Since 1st January, 1975 trade between India and Bangladesh has been conducted in terms of a Protocol signed on 17th December, 1974. Copies of the Protocol are placed in the Parliament Library. All payments and charges in connection with trade betweeen the two countries are to be effected in freely convertible currencies. The main items of trade between the two countries are coal, jute, tobacco, newsprint, fresh fruit, fish etc. No change in the trade pattern as a consequence of political changes in Bangaldesh is expected.

Facilities for Passengers at Delhi Airport

2741. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the International Airports Authority has increased some facilities for passengers at Delhi airport; and

(b) if so, the outlines thereof.

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) The extension of the international arrival hall at Delhi airport has been completed and commissioned with effect from 17-1-1975. The extension has increased facilities for passengers and others as indicated below:—

(1) Passenger handling capacity has been doubled about 300 passengers can now be handled per hour.

(2) The number of customs check positions has been increased from 10 to 24.

(3) The number of check positions for health and immigration has been increased by 50%.

(4) Hold area for baggage claim has been increased by 100%.

(5) Accommodation for visitors has increased; it can now accommodate about 500 visitors as against the previous figure of 150.

(6) Additional space has been provided for the Customs offices. Accommodation has also been provided for the bounded stores for the Customs.

बम्बई में पोलिस्टर यार्न के आयात में लगा गिरोह

2742. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सीमाशुल्क विभाग ने अन्य वस्तुओं के नियमित आयात लाइसेंसों का उपयोग करके पोलिस्टर यार्न के उत्पादन के एक बड़े गिरोह का पता लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस बारे में आगे क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वास्तविक उपयोग कर्त्ताओं को जारी किए गए लाइसेंसों पर आयात की गयी कुछ खेपों में जिनके बारे में यह घोषणा की गयी थी कि उनमें घटिया किस्म का औद्योगिक नायलोन धागा है, औद्योगिक नायलोन धागे के अतिरिक्त पोलिएस्टर धागे तथा तथा वस्त्र पाये गये। इन खेपों को रोक लिया गया था।

(ख) जी हां ।

(ग) जांच पड़ताल के परिणामत: बड़ी मात्रा में पोलिएस्टर धागा जिसके बारे में सन्देह है कि इसका विगत समय में तस्कर आयात किया गया है, पकड़ा गया है। अभी तक पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

बिक्री कर का एक ही बार लगाया जाना

2743. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों और संगठनों सहित बहुत से लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश में व्याप्त कर-अपवंचन को रोकने के लिए एक ही बार (श्रोत पर) बिक्री कर लगाया जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) समय-समय पर सरकार को ये सुझाव प्राप्त होते रहें हैं कि कपड़ा (रेश्मी कपड़ों को छोड़कर) तम्बाकू और चीनी पर लागू होने वाले बिक्री-कर की एवज में उत्पादन शुल्क लगने योग्य यथासंम्भव अधिक से अधिक वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना का विस्तार किया जाए अथवा श्रोत पर ही बिक्री कर लगाया जाय।

(ख) राज्य के भीतर चीजों की बिक्री अथवा खरीदने पर कर लगाना राज्य कराधान का विषय हैं, दृष्टव्य संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 54। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रोत पर ही ब्रिकी-कर लगाने का प्रश्न नहीं उठता। ब्रिकी कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना का विस्तार करने के प्रश्न पर, पांचवे वित्त आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"राज्यों के आम विरोध को दृष्टि में रखते हुए, निकट भविष्य में अन्य मदों अथवा वस्तुओं पर व्यवस्थाओं का विस्तार करने की स्पष्टत: कोई गुंजाइश नहीं है।"

आयोग की यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

कण्ट्रोलर आफ डिफेंस अकाउण्ट्स के पटना स्थित कार्यालय में हिन्दी में काम करने के बारे में प्रगति

2744. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्ट्रोलर आफ डिफेंस अकाउण्ट्स के पटना स्थित कार्यालय में हिन्दी में काम करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या हिन्दी में काम करने की प्रगति के बारे में मंत्रालयों के अनुदेशों का उक्त कार्यालय में कड़े रूप से पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्या उक्त कार्यालय के उस कर्मचारी को, जिसे हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत हाल ही में प्रशिक्षण दिया गया था, पटना से शिलांग स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(घ) क्या हिन्दी सेल में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को 1971 से बाद अवधि समाप्त करने से पूर्व ही बिना पारी के स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ङ) क्या वित्तीय सलाहकार और महानियंत्रक, नई दिल्ली, को इस बारे में शिकायतें मिली हैं, और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा लेखा विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी अनुदेशों को कार्यान्वित करने हेतु रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना कार्यालय में कदम उठाये गये हैं । नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के कार्यालय में विभागीय राज्यभाषा कार्यान्वियन समिति बनाई जा चुकी हैं । हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के पुनरीक्षण के लिये समिति की नियमित रूप से बैठकें होती हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमन । एक लेखा परीक्षक, जिसे हिन्दी अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित किया गया था, कर्मचारियों के सामान्य स्थानान्तरण कार्यक्रम के अनुसार पटना से शिलांग स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

(घ) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ङ) और (च) जी नहीं, श्रीमन् तथापि लेखा परीक्षक जिसे शिलांग में स्थानान्तरित किया गया था, रक्षा लेखा महानियंत्रक को अभ्यावेदन भेजा था कि उन्हें वापिस पटना भेज दिया जाये परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

कण्ट्रोलर आफ डिफेंस अकाउण्ट्स के पटना स्थित कार्यालय में न्यायालय में मुकदमा चलने और विभागीय जांच के मामले

2745. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउंट्स के पटना स्थित कार्यालय में 1972 से आज तक न्यायालय में मुकदमा चलने और विभागीय जांच के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) क्या कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउंट्स पटना पर भी मुकदमें चल रहें हैं या चल रहे थे ;

(ग) क्या न्यायालय में चल रहे मुकदमों और विभागीय जांचों पर किये गये खर्च को लेखा परीक्षा औचित्य और तर्कसंगतता की दृष्टि से, नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कर्मचारियों द्वारा की जा चुकी है ;

(घ) क्या खर्च में अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) सूचना निम्नानुसार है :—

(i) अदालती मामलों की संख्या	7
(ii) विभागी जांच मामलों की संख्या	10

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) में उल्लेखित 7 मामलों में से 2 मामलों में नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना कार्यालय अधिकारी के रूप में सरकार की ओर से इन मामलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी 5 में से कुछ मामलों में कर्मचारियों के एक या अन्य गुट ने नियंत्रक को इनमें आलिप्त कर दिया था यद्यपि वह इस विवाद में अन्तर्ग्रस्त नहीं थे।

(ग) और (घ) रक्षा लेखा नियंत्रक पटना द्वारा किये गये खर्च की नमूना-जांच नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की ओर से निदेशक लेखा परीक्षण, रक्षा सेवाएं, के कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं। इन भुगतानों में अभी तक किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

कण्ट्रोलर आफ डिफेंस अकाउन्ट्स पटना के पूर्वी कमाण्ड में भर्ती किये गये श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारी

2746. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउंट्स पटना के पूर्वी कमांड में 1972 के बाद श्रेणी III और श्रेणी IV के कितने कर्मचारी राज्यवार भर्ती किये गये,

(ख) उनकी नियुक्ति कहां कहां पर की गई है; और

(ग) क्या भर्ती किये गये उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजा गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9136/75]

(ख) सुरक्षा की दृष्टि से उन स्थानों के नाम जहां भर्ती करने के पश्चात् व्यक्तियों को तैनात किया गया है, सार्वजनिक हित में नहीं बताये जा सकते। तथापि उन राज्यों के नाम जिनमें इन व्यक्तियों की नियुक्ति के स्टेशन स्थित हैं, उपर्युक्त विवरण में दे दिये गये हैं।

(ग) भर्ती किये गये उम्मीदवारों में, रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों के अलावा भूतपूर्व सैनिक तथा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं।

बैंकों द्वारा फटे पुराने करेन्सी नोट जारी किया जाना

2747. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंक इस समय केवल फटे-पुराने करेंसी नोट जारी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) करेंसी की आवश्यकता में होने वाली बहुत अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और नासिक प्रेस से सीमित मात्रा में प्राप्त नये नोट प्राप्त होने के कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया फिर से जारी किये जाने योग्य और नये नोट

यथासम्भव समुचित आधार पर बांट रहा है। इसके परिणामस्वरूप, जो नोट चलन में हैं, उनकी किस्म खराब होती जा रही है। मई, 1974 से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बैंकों, सरकारी विभागों आदि की नोटों की मांग को 10 प्रतिशत नये नोटों और शेष फिर से जारी किये जाने योग्य नोटों से पूरी कर रहा था। 1 रुपये और 2 रुपये के नोटों के मामले में क्रमशः दिसम्बर, 1974 और जनवरी 1975 से यह प्रतिशत बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। ज्योंही देवास प्रेस से नये नोट और करेंसी नोट प्रेस नासिक से 5–5 रुपये के नये नोट उपलब्ध होंगें नये नोटों की सप्लाई में और ढील देना सम्भव हो सकेगा।

वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद का दौरा

2748. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद का दौरा किया है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) क्या रिपोर्ट को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

स्टाफ प्रशासन कालेज, हैदराबाद द्वारा सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में "जाब" मूल्यांकन और उत्पादन मानक नियत करना

2749. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ प्रशासन कालेज, हैदराबाद को सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में, "जाब" मूल्यांकन और उत्पादन मानक नियत करने का काम सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) "जाब" मूल्यांकन और उत्पादन मानक नियत करने का कार्य श्री आर० एम० मेहता के सभापतित्व में एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया था। विशेषज्ञ समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिये भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना था तथा उसकी सेवाओं का भी लाभ उठाना था।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में करेंसी पेपर, बैंक नोट पेपर और रेपरों का उत्पादन

2750. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में करेन्सी पेपर, बैंक नोट पेपर और रेपरों का उत्पादन होता है ;

(ख) क्या रविवारों और छुट्टियों के दिन बने कागज का हिसाब प्रोत्साहन बोनस देने के लिये किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल में बने रेपर के उत्पादन पर प्रोत्साहन बोनस नहीं दिया जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मिल सार्वजनिक छुट्टियों में कागज तैयार नहीं करती है। कभी-कभी काम बन्द करने और शुरू करने के कारण उत्पादन में हुई क्षति को पूरा करने के लिये साप्ताहिक अवकाश के दिन (अर्थात् रविवार, जो बिजली चले जाने के कारण हाल ही में बुधवार में बदल दिया गया है) कागज तैयार किया जाता है। साप्ताहिक अवकाश के दिन किये गये ऐसे उत्पादन को प्रोत्साहन की अदायगियों में शामिल किया जाता है। उस हालत में उत्पादन के लिये उपयोग में लायी गयी साप्ताहिक छुट्टी के बदले कर्मचारियों को एक प्रतिपूरक छुट्टी दी जाती है।

(ग) मिल में बने रेपरों के उत्पादन पर प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन काम होना

2751. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में या मिल के कुछ प्रभागों में रविवारों और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी काम होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जलपूर्ति और बिजली की सप्लाई, सुरक्षा और दवाखाने जैसे मिल की अनिवार्य सेवायें साप्ताहिक छुट्टी अर्थात् रविवार (अब बुधवार) और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी चालू रहती है, क्योंकि इन सेवाओं को बन्द नहीं किया जा सकता।

Development of Dilwara Temple and Neki Lake

2752. **Shri M. C. Daga : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps being taken by the Central Department of Tourism to develop the Dilwara temple, a famous monument of India, and the Neki lake and whether air services are also being introduced there ;

(b) whether any scheme has been chalked out in this regard and if so, when; and

(c) the time by which it will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) In the previous plans Department of Tourism contributed a sum of Rs. 3.00 lakhs on 50:50 basis for the construction of Tourist Bungallow in Mount Abu. Due to present constraint on resources it has not been possible for the Central Government to undertake any scheme for the development of Mount Abu and Neki Lake. Dilwara Temples and Mount Abu, however, are included in the folder entitled 'Rajasthan', published by the Department of Tourism, as also in the documentary, 'Jain Temples of India'.

There is no proposal to introduce air services to Mount Abu.

तीर्थ स्थानों का आधुनिकीकरण

2753. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीर्थ स्थानों के आधुनिकीकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये कौन से तीर्थ स्थान चुने गये हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इन तीर्थ स्थानों के बारे में कोई विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा की आय की दृष्टि से पर्यटन विभाग फिलहाल उन स्थानों के विकास के प्रयत्नों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिनकी यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त देश में तीर्थ-स्थलों की विशाल संख्या के विकास के लिये विभाग के पास यथेष्ट साधन भी नहीं हैं। अतः अपने सीमित साधनों के अंतर्गत ही पर्यटन विभाग ने बौद्ध देशों से अधिकाधिक तीर्थ-यात्रियों को आकृष्ट करने के लिये चुने हुये बौद्ध केन्द्रों के विकास का काम हाथ में लिया है।

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा लिये गये विमान

2754. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में इंडियन एयर-लाइन्स और एयर इंडिया ने कितने और किस-किस किस्म के विमान प्राप्त किये ; और

(ख) वर्ष 1974 में इंडियन एयर लाइन्स के विमानों में कितने नये एवरो विमान सम्मिलित हुए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1974 के दौरान इण्डियन एयर लाइंस द्वारा चार बोइंग विमान प्राप्त किये गये थे जिनमें से एक मई 1973 में हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान के बदले में था। इस वर्ष के दौरान एयर-इण्डिया ने कोई नया विमान प्राप्त नहीं किया।

(ख) कोई नहीं।

तस्करी की वस्तुओं का जब्त किया जाना

2755. **श्री के० लकप्पा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त किये गये तस्करी के सामान के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य निम्न प्रकार था:--

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1972	2,791
1973	3,548
1974	6,006 (अनन्तिम)

विदेशी पर्यटकों के संचालित दौरों को प्रायोजित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्नाटक के पर्यटक स्थलों को सम्मिलित किया जाना

2756. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेशी पर्यटकों के संचालित दौरों को प्रायोजित करने के लिये कर्नाटक के पर्यटक स्थलों को सम्मिलित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम विदेशी पर्यटकों के लिए 'आल इन्क्लुसिव कंडक्टेड टूर' प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि यह कार्य यात्रा एजेंटों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने कर्नाटक में बंगलौर में एक परिवहन यूनिट स्थापित की है, जो किराए पर कारें देने के अलावा, निम्नलिखित टूर (जिसमें आवास व्यवस्था सम्मिलित नहीं है) प्रस्तुत करती है :--

1. बंगलौर -- मैसूर तथा वापस
2. बंगलौर -- हालेबिड तथा वापस
3. बंगलौर -- बांदीपुर तथा वापस
4. बंगलौर -- नादीहिल्ज तथा वापस
5. बंगलौर -- जोग फाल्ज तथा वापस
6. बंगलौर -- तुंगभद्रा बांध व हाम्पी तथा वापस

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्नाटक में ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों का विकास

2757. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) चालू वर्ष में भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा केन्द्रीय पर्यटन विभाग का विचार कर्नाटक में किन-किन पर्यटन केन्द्रों तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का विकास करने का है ; और

(ख) उनकी विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) मैसूर के ललित महल पैलेस, जो कि दक्षिण कर्णाटक में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा करने के लिये एक केन्द्र बिन्दु है, को अपने अधिकार में लेने के सिवाय 1974–75 के दौरान कर्णाटक में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का विकास करने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कोई पर्यटन स्कीमें प्रारंभ नहीं की गयीं।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा चीनी उद्योग से खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का खरीदा जाना

2758. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम ने वर्ष 1974–75 के दौरान खुले बाजार में बेची जाने वाली 80 हजार टन चीनी का निर्यात किया है अथवा निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का देश में प्रति क्विटल मूल्य कितना है ;

(ग) राजकीय व्यापार निगम ने चीनी उद्योग से खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी की यह मात्रा प्रति क्विटल किस मूल्य पर खरीदी है अथवा खरीद रहा है ; और

(घ) क्या वह इस बात से सहमत है कि अभाव की इस स्थिति में खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के निर्यात से अभाव और बढ़ेगा तथा देश के बाजार में इसके मूल्य में वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। प्राप्त की गई वास्तविक मात्रा 88,000 मे० टन है।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम ने अक्तूबर, 1974 के महीने में 340 रु० प्रति क्विटल के हिसाब से उपरोक्त मात्रा प्राप्त की थी जबकि बम्बई बाजार में कीमतें लगभग 450 रुपये प्रति क्विटल थीं।

(घ) चीनी के निर्यात समग्र हित में सभी बातों का ध्यान रखते हुए किये जा रहे हैं। लेवी कीमत पर निर्यातों का कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन खुली बिक्री कीमत पर कुछ प्रभाव हो सकता है।

आसाम के समाजवादी नेता श्री गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में

RE. ARREST OF SHRI GOSWAMI, A SOCIALIST LEADER OF ASSAM

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने श्री गोस्वामी, जिन्होंने बारपेट उप-चुनाव लड़ा था, की गिरफ्तारी के बारे में स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यान आकर्षण सूचना के लिये सूचना दी थी। श्री गोस्वामी निर्वाचन आयुक्त को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए दिल्ली आ रहे थे जबकि उन्हें हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक गम्भीर विषय है । बारपेट उप-चुनाव में केवल 58,000 मत डाले गए थे जबकि मतदान पेटियों से 89,000 मत निकले हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं यह गिरफ्तारी राज्य सरकार के आदेश से हुई है न कि भारत सरकर द्वारा इसलिए इस बारे में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार का कैसा सम्बन्ध है। इसमें केवल राज्य सरकार का ही सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उसे राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया था। अतः भारत सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : My first submission is that he was arrested at the airport which is under the Central Government. Secondly the charge of allegation is that he was carrying ballot paper with him which is not a crime. Some time back I had also produced ballot papers in the House. Hence I would advise the Government to set him free.

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित है तो माननीय सदस्य आयोग के पास जा सकते हैं। परन्तु यदि यह मामला गिरफ्तारी के बारे में है तो मैं माननीय गृह मंत्री से कह सकता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय रुई निगम, लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन, 1972-73

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रुई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 9116/75]

समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था की जांच सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन भाग 1 और 2 तथा चलचित्र सेंसरशिप (संशोधन) नियम

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) समाचार पत्रों की अर्थव्यवस्था की जांच सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन भाग 1 और 2 की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [पुस्तकालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 9117/75]

(3) चलचित्र अधिनियम,, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसरशिप) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 1344 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 9118/75]

मिजोरम तथा त्रिपुरा के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिशी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 33 जो दिनांक 15 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 97 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) त्रिपुरा राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 34 जो दिनांक 15 फरवरी 1975 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 96 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 9119/75]

भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्ति निधि, विनियम, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्यनिधि तथा सेवानिवृत्ति निधि विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 9120/75]

रबड़ बोर्ड (सेवा) संशोधन नियम 1974, इलायची (संशोधन) नियम, 1975 तथा इलायची बोर्ड एरणाकुलम के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र भा पटल पर रखता हूं :—

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड (सेवा) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 69 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9121/75]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 148 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 9122/75]

(3) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड एरणाकुलम के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9123/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : 1. मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 5 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन विधेयक 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री शंकर देव के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्तसंयुक्त समिति में लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करने के लिए लोक सभा से सिफारिश की गई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 3 मार्च, 1975 के अपने बैठक में अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 1975 पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 3 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर्स सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 1975 पास कर दिया है।

2. मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 1975।

(दो) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। आप सभी बैठ जायें। यह मामला निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मैं गृह मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राज्य अधिकारियों ने जिन कारणों के आधार पर गिरफ्तारी की है उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से है। आप गृह मंत्री को निर्देश दें कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने के लिए गृह मंत्री को मैंने पहले ही कह दिया है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप कृपया यह भी आश्वासन दें कि गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् आप इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या आपने गृह मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कह दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हैं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

एक सौ पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री एच० एम० पटेल (ढढुंका) : मैं भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष, 1971-72 के प्रतिवेदन--संघ सरकार (सिविल)--राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, अप्रत्यक्ष कर के अध्याय 1 के संबंध में लोक लेखा समिति का 135 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बिहार और गुजरात में चुनावों के बारे में याचिका लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों आदि के बारे में

PETITION RE. ELECTIONS IN BIHAR AND GUJARAT, SOCIO-ECONOMIC RIGHTS OF THE PEOPLE ETC. ETC.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस प्रकार की एक याचिका पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः उसी प्रयोजन के लिये एक अन्य याचिका का प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार कर लिया है और वे लोग मेरी अनुज्ञा से ही उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to present a petition signed by Shri Jayaprakash Narayan and others regarding elections in Bihar and Gujarat, socio-economic rights of the people, democratic rights and civil liberties, free and fair elections, decentralisation of political power, education reforms and eradication of political corruption.

श्री समर गुह (कन्टाई) : लोगों की इस मांग पर सभा में चर्चा होनी चाहिये।

श्री ल बिहारी वाजपेयी : इसे परिचालित किया जाये और इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि क्या इसे परिचालित किया जाना चाहिये। आप स्वयं ही यह सेवा कर रहे हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सस्दय, श्री इन्द्रजीत गुप्त की राय में इसे परिचालित किया जाना चाहिये। हम इस मांग का हार्दिक समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह याचिका याचिका समिति को भेजी जायेगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि 10 मार्च, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में,

(1) आज की कार्यसूची से बचे हुए सरकारी कार्य पर विचार;

(2) 1975-76 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखना; और

(3) न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का अननुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा और न्यास विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार और उस को पारित करना सम्मिलिति होगा।

वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिपक्षी दलों के नेताओं से मेरी हुई बातचीत के आधार पर मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि सभा सोमवार, 10 मार्च, 1975 से वित्त विधेयक, 1975 के पास होने तक मध्याह्न-भोजन अवकाश के दौरान भी बैठे।"

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या यह केवल वित्तीय कार्य को पूरा करने के लिए है या कुछ अन्य बातों के लिए भी है जो सभा की राय में अत्यावश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण हों ?

श्री के० रघुरामैया : यह किसी भी कार्य के लिए है।

Shri R.R. Sharma (Banda) : An opportunity should be given to the House to discuss the matter relating to non-payment of wages to the Harijan workers and raping of female workers engaged under the Payaswini Diversion scheme in the Karwi sub-division of Banda district.

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : Due to failure of rainfall in sidhi district of Madhya Pradesh last year, the food situation there has worsened. This may result in starvation deaths. The Food Minister may be asked to give a statement in this regard. Foodgrains should immediately be supplied for that district to tide over the food crisis there.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज के समाचार पत्रों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री भुट्टो का एक बहुत ही आपत्तिजनक और शरारत भरा बयान छपा है। उस में यह कहा गया है कि यदि काश्मीर समस्या का कोई शान्तिपूर्ण हल न निकला, तो पाकिस्तान काश्मीर के मामले को ले कर भारत के साथ युद्ध करने की योजना पर विचार करेगा। विदेश मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is regretted that certain officers of the President's secretariat are openly violating the prevention of Untouchability Act. There some Harijan employees, who were employed as Farashes, were asked to sweep the roads around the President's House. The Farashes pointed out that they had no objection to do so, but it was not their duty. Therefore two officers of the President's House called them and pointed to them tauntingly that they were Harijans. They not only abused them but also removed them from service. They are now bent up resorting to hunger strike. This will further agravate the situation. The facts of the case should be brought to the notice of this House.

श्री एस० एम० बनर्जी : 18 जनवरी, 1975 को श्री जगजीवन राम ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेताओं से वादा किया था कि वेतनों के पुनरीक्षण के बारे में बातचीत मार्च के मास में आरम्भ हो जायेगी क्योंकि जीवन निर्वाह मूल्यांक 272 तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री इस बारे में सभा में एक वक्तव्य दें।

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर) : श्री मोहन धारिया ने सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में जिन बातों को उठाया है उन से प्रतीत होता है कि सरकार की कार्यप्रणाली में कुछ दोष हैं। प्रधान मंत्री द्वारा भेजे पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र की समान्य धारणाओं का उल्लंघन हुआ है। अतः श्री धारिया के वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन पूर्णरूपेण चर्चा होनी चाहिए जिससे सभी पहलुओं पर भली प्रकार विचार किया जा सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह एक विचित्र बात है जाना चाहिए था प्रधान मंत्री को परन्तु चले गये हैं धारिया जी। श्री धारिया ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार हर क्षेत्र में असफल रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: A Government which cannot fulfil his promises, should resign.

श्री समर गुह (कन्टाई): यह सरकार, जो लोगों का भला करना चाहती है; जो देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर समाजवाद की स्थापना करना चाहती है और जो अन्य बहुत सी बातें करना चाहती है, लोगों से इतना डरती है कि जब लोग अपना मांग पत्र पेश करने के लिए दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें यहां आने से रोका गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कहां तक संगत है। चर्चा तो आगामी सप्ताह के लिये सभा के कार्य के बारे में हो रही है ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 6 मार्च के उस इतिहासिक संविधान में प्रतिपादित मूल अधिकारों को ताक में रख दिया गया था जब सभी सीमान्त क्षेत्रों में बसों और ट्रकों में आ रहे लोगों को यहां आने से रोका गया और दूर-दूर से आने वाली वे रेलगाड़ियां, जिन्हें यहां प्रातःकाल पहुंचना था, सांय 4,5 और 6 बजे पहुंची उन्हें यहां आने से रोककर संविधान के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है । इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Notices of a number of motions have been given These motions are in connection with emergency, the Maruti Ltd., explanation by Shri Chandrajit Yadhav and Tul Mohan Ram's licence scandal case. At least two motions out of the above four motions should immediately be taken up.

The Maruti Ltd. has raised a loan of Rupees 75 lakhs from the Punjab National Bank. Besides the Central Bank has advanced a sum of Rupees 25 lakhs. Now efforts are being made to obtain another loan of Rupees one crore from the latter bank. This matter requires an immediate enquiry. Hence my motion in regard to this matter should be taken up immediately.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Despite repeated announcements, the Government has not so far brought forward the Bill to curb political defections. It should be brought forward immediately. Besides the ceiling on urban property Bill should also be taken up during this very session.

श्री नूरुल हुडा (कछार): कड़ा विरोध किए जाने के बावजूद असम राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बहुसंख्यक भाषा को अनिवार्य करार देकर उन्हें हिन्दी भाषा सीखने से वंचित कर दिया है । अल्पसंख्यक वर्गों में इस प्रश्न को लेकर बड़ा रोष है । इस समस्या के बारे में अगले सप्ताह वक्तव्य दिया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक वर्गों की शंका दूर हो ।

असम में समाजवादी दल के नेता, श्री विश्व गोस्वमी की अवैध गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य देने को जो निदेश दिया है, वह ठीक ही है ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : During the Fourth Lok Sabha, a committee had been appointed under the chairmanship of Pandit Anand Narain Mulla to go into the question of land acquisition. Despite the suggestions made by that Committee the Government has not so far brought any legislation to amend the Land Acquisition Act. In the meantime lands and houses of thousands of poor people belonging to the backward classes in Patna have been acquired to accommodate rich people. An amending Bill to the Land Acquisition Act should therefore be passed during this very session.

Secondly, the Minister of Education should inform the House about the action being taken by Government to remove the grievances of school teachers both in Delhi and Bihar. In order to get rid of mismanagement, private schools in Bihar should be taken over by the Government.

Shri R.V. Bade (Khargone) : The orders issued by the Reserve Bank of India on 31st Jannuary, 1975 to the Primary Co-operative Banks directing them not to advance loans more than 5 thousand Rupees to their members, have caused a great hardship for them so much so that all the co-operative banks have ceased to function. A statement in this regard should be made immediately.

Dr. Laxminarain Pandaya (Mandsaur) : In spite of the fact that attention of Government has twice been drawn in my questions answered on 10th and 31st Dec. 1974 towards the fact that sugar traders in Mandsaur-Ratlam District had exported levy sugar, no action has so far been taken against these anti-national traders. A statement to this effect should be made in this House.

Secondly, the Minister of Transport had assured us that a bridge on the Chambal River near Dhaulpur would be ready within a year. Now it has been stated that it will be ready by 1978. The Minister concerned should fulfil his assurance.

श्रीमती रोज़ा देशपाण्डे (बम्बई मध्य): हम इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्रमकार महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा विधान लाया जाना चाहिए जिसके अधीन प्रबन्धकों को बाध्य किया जा सके कि वे महिलाओं को कपड़ा, पटसन, रसायन, औषधि और अन्य उद्योगों में काम पर लगायें अगले सप्ताह इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री के० रघुरामैया : श्री मधु लिमये ने जिन मामलों पर चर्चा करने का सुझाव दिया है, उनके बारे में सरकार की राय पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। अन्य मामलों के बारे में सम्बन्धित मंत्रियों को सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि यह सभा संकल्प करती है कि सभा सोमवार, 10 मार्च, 1975 से वित्त विधेयक, 1975 के पास होने तक मध्याह्न भोजना अवकाश के दौरान भी बैठे।"

प्रस्ताव पारित हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद अहमद आगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On a point of order, Sir, it is quite clear from the Rule 357 that no debatable matter can be raised by any Member while making personal explanation.

Shri Aga Saheb, while speaking on the Kashmir situation that day, unnecessarily referred to the people's demonstration and made an allegation that the money was coming from United States to organise this demonstration. He also alleged that a cheque came

17 LSS/75—10.

for J.P. At this stage when there were allegations and counter allegations, our friend Shri Kachwai also made an allegation in the beat of the moment which we should have not made. We do not like that any Member should be labelled as a Pakistani agent or his patriotism should be doubted. At the same time by alleging that money was coming from U.S.A. to finance the demonstration by opposition parties Patriotism of the leaders of these parties who organised this demonstration is being challenged. On that day it seemed that you also wanted Sir, that both Aga Saheb and honorable Kachwai should withdraw their respective allegations. Shri Kachwai when his attention was drawn to all this, was ready to withdraw his allegation. But it was also there that Aga Saheb should also withdraw his allegation. But the Prime Minister who was present here at that time did not approve of this idea that Aga Saheb should withdraw his allegation. Now you are allowing Aga Saheb to make a personal explanation about the allegation made by Shri Kachwai. But what about the allegation which has been made by Shri Aga ?

Mr. Speaker : So far as Members' right to personal explanation is concerned, I do not come into the picture.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : But no controvertial matter should be raised.

अध्यक्ष महोदय: वह कोई विवादप्रद बात नहीं कहेंगे ।

Originality, he had brought a very long statement. But I returned it and asked him to abridge it. Now he has prepared a very small statement.

प्रो० मधु दंडवते (राजपुर): मैंने इसी मामले पर विशेषाधिकार प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी उसका क्या बना ?

Mr. Speaker : There is no question of any privilege.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री आगा ने मेरा भी हवाला दिया था। स्पष्ट है कि अब आगा साहब जो वक्तव्य देंगे उसमें वह अपनी तरफदारी करेंगे और जो कुछ मैंने कहा है उस का विरोध करेंगे इस तरह यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण एक विवादास्पद मामला है और यह ग्राह्य नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): My point of order is this that it was Shri Aga who made an allegation in the first instance when he said "what about that cheque which came for Mr. J.P. ? It was a foreign cheque. Where has it come from ?"

There is justification for making a personal explanation if he is going to give us the name of the bank, the number of the cheque and the amount of the cheque. Otherwise he should not be permitted to make any personal explanation.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर): वह इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। वह वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे रहे हैं । वह यह सब कल्पना कैसे कर सकते हैं।

Mr. Speaker : There are two things. So far his personal explanation is concerned, he may do so.

Shri Shyamnandan Mishra : There is no need of any explanation. We all say that he is not a Pakistani Agent.

Shri Madhu Limaye : They are withdrawing this allegation.

Mr. Speaker : Mr. Aga need not read the first two lines of the second para.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि माननीय सदस्य वैयक्तिक स्पष्टीकरण की प्रति आप को दिखाये जब तक कि इसके प्रतिकूल आयका कोई निदेश न हो।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? क्या वह मुझें न दिखाये ?

श्री बी० वी० नायक : दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Mr. Speaker : Mr. Aga, when they have stated that they have no such intention, is there any need for a personal explanation ?

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला): जब उन्होंने अपना आरोप वापस ले लिया है और आपने आदेश दे दिया है कि मुझे स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं चुप रहूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is now another issue. Shri Kachwai has withdrawn his remark.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Speaker, whatever I said about Shri Aga on 3rd March, I had no intention to do so. I respect him much. But when he made allegations against us all, in the moment of beat I stated that he was a Pakistani agent. I, therefore, withdraw these words. I hope that he would also withdraw his allegation... (*interruptions*)

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Aga should now withdraw his allegation.

श्री सैयद अहमद आगा : मैं क्या वापस लू। वह मेरा कथन नहीं था। यह तो समाचार पत्र में छपा था।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने उस दिन समाचार-पत्र का कोई हवाला नहीं दिया था।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Do you now rule that in future we will be able to quote from newspapers and make allegations against the ruling party or Ministers ?

Mr. Speaker : The Members should not based their motions purely on allegations contained in certain newspapers. If they want to make certain allegations against anybody, besides the news in the newspapers, they should also satisfy themselves on their own about it and verify it, whether it is well founded and correct or not. They should be in a position to take up the responsibility for their correctness. What Mr. Aga quoted it was a sweeping remark. Then there was reaction and counter allegation. They have now withdrawn their allegation. It is now for Shri Aga to consider this matter in the light of this ruling.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Time and again wrong allegations are made against Ministers on the basis of newspaper reports. If by following this practice not to base our allegations in newspaper reports, we can avoid such situations in which Members of Parliament indulge in charactor assassination, I would request Shri Aga to withdraw his words.

Shri Syed Ahmed Aga : If it is your ruling that we should not rely on newspaper reports, I will not quote newspapers in future. It was a P.T.I. news and it is for the P.T.I. to say about its correctness.

Shri Atal Bihari Vajpayee: He did not refer to any newspaper on that day.

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय स्पष्ट है और यह पहले दिये गये विनिर्णयों पर आधारित है। सदस्यों को चाहिए कि वे कतिपय समाचार पत्रों में अन्तर्विष्ट आरोपों के आधार पर ही कोई प्रस्ताव न लाया करें। कोई आरोप लगाने से पूर्व उन्हें उसकी सत्यता के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिये।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है हम उससे पूर्णतया सहमत हैं। यह आरोप आगा साहब ने स्वयं नहीं लगाया था। उन्होंने इसका समर्थन भी नहीं किया था। आपने और आगा साहब न जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि समाचार-पत्र में छपी किसी रिपोर्ट का तब तक हवाला नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य ने उसकी सत्यता के बारे में अपना समाधान न कर लिया हो।

श्री सैयद अहमद आगा : मैंने समाचार-पत्र का नाम इसलिये नहीं बताया था क्योंकि समाचार में उड़ीसा विधान सभा के मुख्य सचेतक के वक्तव्य का हवाला दिया गया था। मैंने सोचा था कि यह एक विश्व समीय दस्तावेज होगा। अब आप कह रहे कि हमें भविष्य में समाचारों पत्रों को रिपोर्ट की उपेक्षा करना चाहिये ···· (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भविष्य में वह इस की उपेक्षा करें या न करें। या तो वह अपना आरोप वापस ले या वह इसे सिद्ध करें। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये······ (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई): या तो अपने आरोप वापस लें या उन्हें कार्यवाही वृतांन्त से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री आगा, आपने समाचार-पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया है। यदि आप इस समाचार की सत्यता की जिम्मेदारी नही लेना चाहते, तो मैं आपको परामर्श देता हूं कि आपने जो कुछ कहा है उसे वापस ले लीजिये।

श्री सैयद अहमद खां : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो उड़ीसा विधान सभा में मुख्य सचेतक द्वारा किये गये वक्तव्य का हवाला दिया है। इसकी सत्यता के बारे में, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते, तो आप इसे वापस ले लीजिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : श्रीमन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस संबंध में अपना स्पष्ट विनिर्णय दें कि क्या हम समाचार पत्रों में से उद्धहरण कर सकते हैं या नहीं सदस्य समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट की तो जिम्मेवारी ले सकता है। क्या पी० टी० आई० की रिपोर्ट वापस ली जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उनका आरोप समाचारपत्र को रिपोर्ट पर आधारित है यदि उनकी जानकारी का स्रोत समाचार-पत्र ही है, तो वह कह सकते है कि वह उस आरोप को वापस लेते हैं। यदि वह समझते हैं कि यह तथ्य है और उन्होंने इसकी सत्यता के बारे में पता लगा लिया है, तो वह कह सकते हैं कि वह इस आरोप की जिम्मेवारी लेते हैं।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : वह कहते हैं कि यह आरोप तो उड़ीसा विधान सभा में मुख्य सचेतक ने लगाया था। क्या हम किसी मंत्री द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य का हवाला नहीं दे सकते हैं।

श्री सैयद अहमद खां : उड़ीसा विधान सभा में मुख्य सचेतक द्वारा की गई बात मैं कैसे वापस ले सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : उस दिन उन्होंने किसी समाचार-पत्र का हवाला नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय उन्होंने बाद में कहा था कि वह उन्होंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is what Shri Kachwai had said that he had read from the newspaper.

If tomorrow it is reported in the press that a Member is a foreign agent and if it is quoted here, will that Member not be asked to prove the allegation.

अध्यक्ष महोदय : यहां यह मैं स्पष्ट कर दूं कि समाचार-पत्र में से पढ़ा गया कोई आरोप तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि सबधित सदस्य उसकी पूरी जिम्मेवारी न ले।

श्री सैयद अहमद खां : यह तो एक साधारण बात है। मैंने इस समाचार की सत्यता के बारे में कोई छानबीन नहीं की है। यह ठीक है कि मैंने ऐसा कहा था परन्तु यह पी० टी० आई० का समाचार है। अब आप कहते हैं कि हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। मैं अब इन पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं कौन होता हूं इसे वापस लेने वाला।

Shri Janeshwar Mishra: The hon. Member is neither owning nor withdrawing this allegation. In that case it should be expunged from the proceedings.

श्री सैयद अहमद खां : मैंने इस वक्तव्य का सत्यापन नहीं किया है। मैं समाचार-पत्र में छपी किसी बात की जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं। यदि वे चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाये तो उन्हे पी० टी० आई० के पास जाना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्रीमन् आप यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If the hon. Member is not ready to take up the responsibility, the matter may be referred to the Privilege Committee.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस की जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मैं इसे कार्यवाही वृतांत में से निकाल दूंगा।

श्री सैयद अहमद खां : मुझे इस के लिये खेद है । क्या यह ठीक है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या उन्होंने वापस ले लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापस ले लिया है। अब इसे वापस लिया गया समझा जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने जो विनिर्णय दिया है उससे स्पष्ट है कि अब हम समाचारपत्रों का हवाला देकर कोई बात न ला सकेंगे। क्या हम ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भी नहीं दे सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह आरोपों के बारे में है। अन्य मामलों में यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर है।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

चाय बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्याधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, उस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पाण्डिचेरी) 1974-75

[SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY)], 1974-75.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी की वर्ष 1974–75 की अनुपूरक मांगों संबंधी एक विवरण प्रस्तुत करने वाले हैं। यह मामला सभा के सामने इसलिये आया है क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पाण्डिचेरी विधान सभा भंग कर दी गई है।

राष्ट्रपति का पहला आदेश 20 मार्च, 1974 को जारी किया गया था और सभा पटल पर उसी दिन रख दिया गया था। आदेश के लागू रहने का समय छह मास था जो 20 सितम्बर, 1974 तक था। फिर पता लगा कि 26 सितम्बर, 1974 के एक अन्य आदेश द्वारा यह समय छह मास के लिये और बढ़ा दिया गया है। परन्तु वह आदेश सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

यह सरकार की गम्भीर भूल है क्योंकि उसके द्वारा सभा के कुछ कर्त्तव्य जुड़े हैं जो उसे पाण्डिचेरी के संबंध में निभाने होंगे। सरकार से इस बात के लिये जवाब देही की जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जारी किये जाने वाले राष्ट्रपति के आदेश में अन्तर है। राज्य में राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत लागू किया जाता है जो मंत्रिमंडल के अधिकार का विषय है। परन्तु संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के खंड 51 के अन्तर्गत आते हैं।

राष्ट्रपति का पहला आदेश सभा पटल पर रखा गया था क्योंकि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। गृह मंत्री ने तब एक वक्तव्य भी दिया था। उसके परिणामस्वरूप सभा पटल पर एक अधिसूचना रखी गई थी। परन्तु जब यह अवधि दोबारा बढ़ाई गई तब सभा का सत्र न होने के कारण गृह मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य देने की बात ही नहीं थी।

संघ राज्य क्षेत्र के अधनियम के खंड 51 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का आदेश सभा-पटल पर रखने की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण ऐसा नहीं किया गया।

श्री सेझियान : हम इससे सतुष्ट नहीं हैं। यदि वह इसके लिये बाध्य नहीं हैं तो ऐसा आदेश 28 मार्च को सभा पटल पर क्यों रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी छानबीन की है और मंत्री महोदय की बात सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह आदेश सभा पटल पर रखा जाना चाहिये था।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं आपके आदेश का पालन करता हूं और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के संबंध में 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं :

तम्बाकू उपकर विधेयक

TOBACCO CESS BILL

बाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू उद्योग के विकास के लिये वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क और तम्बाकू पर सीमा शुल्क का

उपकर के रूप में उदग्रहण और संग्रहण करने के लिये और उससे संबंधित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू उद्योग के विकास के लिये वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क और तम्बाकू पर सीमा शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और सग्रहण करने के लिये और उसमे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

रेल बजट (1975-76) सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET 1975-76 GENERAL DISCUSSION

श्री के० रघुरामैया : मेरा सुझाव है कि यह चर्चा 14–30 बजे तक समाप्त कर ली जाये और प्रत्येक को पांच पांच मिनट दिये जायें और उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज भी मध्याह्न अवकाश नहीं होगा।

डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए

(DR. HENRY AUSTIN IN THE CHAIR)

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : There is no direct train between Lucknow and Bombay. The biweekly Janta train which has been recently introduced may please be run daily. An express train may be introduced between Jhansi and Varanasi. As this train will pass through the birth place of Tulsidas, it may be named as 'Tulsi Express'. The Southern Express has a halt at Lalitpur station but the people are not allowed to board this train there. This facility may be provided to them.

There is no arrangement for the repairs of diesel engines on Central Railway. Such arrangement may be provided at Jhansi. There has been a persistent demand for a direct railway line between Lalitpur, Tikamgarh, Chatarpur, Panna, Rewa, Allahabad and Satna. The construction of this railway line may be taken up during the fifth Five Year Plan. The passenger train which was being run between Jhansi and Lucknow, has been diverted to Kanpur. The train Service may be resumed between Jhansi and Lucknow.

A circular has been issued for providing jobs to the wards of loyal workers. There is a large number of such loyal worker at Jhansi. It is why that a huge number of cations have been received from Jhansi but they are not being granted as they are in large

number. In Jhansi, a large numbei of workers did not participate in the strike. Employment should be provided on the basis of the number of loyal workers at a partiuclar stations and the circular should be amended suitably.

Shri Ram Surat Prasad (Bansgaon) : The former Minister of Railway gave us an assurance to bring out half-early a brochure showing the details of filling up the posts reserved for scheduled castes and scheduled Tribes, but after 30th September, 1973, no such brochure was published. This brochure contains the concessions extended to the candidates of these castes. The rules, according to which these reserved posts are to be filled up, have not so far been framed; consequently full protection has not been provided to these candidates in any class of service and no action has been taken against the officials responsible therefor. The unemployed persons of these castes should be provided with jobs in accordance with the percentage of reservation of posts in Railways. The hon. Minister may please pay his attention to this matter.

The work of conversion of the meter gauge line between Samastipur and Barabanki should be taken up immediately so that it may be linked up to Lucknow within the scheduled time. Attention should also be paid towards the Bansgaon Tehsil in my constituency as there is no railway line. If Saohajanava is linked with Thorighata by a railway line, the distance between Varanasi and Allahabad will be reduced.

There is no member in the Railway Board to represent the Schedule Castes. I may suggest that the candidates belonging to Scheduled Castes should also be appointed on class I posts.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) . मैं रेल मंत्री को उनकी इस निर्भय तथा निश्चित घोषणा के लिए कि उन सभी कर्मचारियों की जिन्होंने रेल हड़ताल में भाग लिया, सेवा में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और उन्हें माफ कर दिया जायेगा, बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय बर्खास्त कर्मचारियों के बारे में भी समान नम्रता का रुख अपनायेंगे और उन्हें शीघ्र ही नौकरी पर वापस ले लेंगे।

लगभग 2900 नियमित कर्मचारियों को अभी भी काम पर वापस लिया जाना बाकी है। नैमत्तिक कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि 22,600 कर्मचारियों में से 12,740 को काम पर वापस ले लिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही वापस लिया गया है और तथाकथित 11,000 नैमत्तिक श्रमिक अभी भी सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। मंत्री महोदय इन सब मामलों पर ध्यान दें।

जैसा कि मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, उसके अनुसार 1,111 रेल कर्मचारियों को दोष सिद्ध किया गया है। आरोपों की छानबीन के बाद 55 कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी को काम पर वापस ले लिया गया है। वक्तव्य के अनुसार इन 55 कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और 1983 कर्मचारियों के मामले जिनमें हिंसा और तोड़फोड़ करने के आरोप हैं, अभी भी न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं। मंत्री महोदय को इन कर्मचारियों के प्रति उदारता का रवैया अपनाना चाहिए और मेरा निवेदन है कि वह इन सभी को काम पर वापस ले लें।

रेल कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं और वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। मंत्री महोदय को रेल कर्मचारियों के बोनस के लिए संघर्ष करना चाहिए। बड़े दुःख की बात है कि एक व्यक्ति जो कि माडर्न बेकरीज़ की डबलरोटी बनाता है बोनस दे दिया जाता है क्योंकि वह सरकारी उपक्रम में काम करता है परन्तु एक दूसरे व्यक्ति को जो चितरंजन या वाराणसी में इंजन बनाता है बोनस इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वह एक विभागीय उपक्रम में काम करता है। यह ऐसा तर्क है जो रेल कर्मचारियों के गले से नहीं उतरता।

मैं यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता की मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजना को शीघ्र चालू करने के संबंध में जनता को जो आश्वासन दिये गये उन्हें ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सहयोग समझौतों को अन्तिम रूप देने के बारे में पुनः क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : पांचवीं योजना में रेलों के विकास के लिए नगण्य धन राशि आवंटित की गई है। योजना आयोग ने नई लाईनों के लिए 1400 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से केवल 6 प्रतिशत अर्थात् 83 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। रेलवे के इस प्राथमिक क्षेत्र के लिए अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि यही हमारे देश का मुख्य स्नायु केन्द्र है।

पश्चिम तट रेल लाइन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। राष्ट्रीय राजपथों के समानान्तर चलने वाली लाइनों और अर्धव्यासवत् लाइनों में से मैं अर्ध-व्यासवत् लाइनों को वरीयता देता हूं क्योंकि ऐसी लाईनें अधिक लाभकारी सिद्ध होंगी। पश्चिम तट पर पहले ही एक सड़क बन रही है। अतः हुगली से कारवार तक की 120 किलो मीटर लम्बी अर्ध व्यासवत् लाईन हमारे पहाड़ी दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

आंकड़ों के अनुसार रेलों के माध्यम से एक टन माल ढोने की लागत 5 रुपये 89 पैसे प्रति किलो मीटर पड़ती है। मेरे क्षेत्र में लगभग 100 से 200 ट्रक हुगली से कारवार, हुगली से बेलाकेरी, हुगली से ताडरी लौह अयस्क ले जाते हैं। प्रत्येक परिवहन दौरे की लागत प्रति टन 40 पैसे प्रति किलोमीटर पड़ती है। रेल मंत्रालय को इस तुलनात्मक लाभ की ओर जहाँ कि रेलवे द्वारा 5 रुपये 86 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर और ट्रकों द्वारा 40 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर परिवहन लागत हो, ध्यान देना चाहिए। इस 40 पैसे प्रति टन में से 25 पैसे डीज़ल पर खर्च होते हैं। यदि हम इन सब बातों पर विचार करें तो परिवहन के संबंध में लगभग 400 प्रतिशत की बचत होगी। इससे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा तथा छोटे पत्तनों का बड़े पत्तनों के रूप में विकास होगा। एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया है। रेलवे व्यापारिक संस्था नहीं है, अपितु उपयोगी संस्था है। अतः उसे तुलनपत्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। उन्हें इन क्षेत्रों का रेलों द्वारा विकास करना चाहिए।

Shri B. R. Shukla (Bahraich) : The Railway Budget for this year is quite pragmatic and no tax has been imposed this time. I congratulate the Railway Ministry for the same. Much has been said for the winding up of the Railway Board. Undoubtedly there are certain shortcomings in the Railway Board, but it is necessary to allow the Railway to continue to function. It is a shortcoming on the part of the Railway Board that it has paid more attention towards the facilities for the passengers of air-conditioned and I class compartments and has neglected the demads of Common man travelling in III class compartments. The hon. Minister of Railways and the Supervisory staff should travel in those trains which

pass through the neglected areas and should have a taste of the food items served on the Railways for common man. Still very old bogies are being used for I class compartments on branch lines.

There has been a demand for a considerable period to provide a halt at Tarhwal Station for Oudh Tirhut 1 Up and 2 Down mail trains but no attention is being paid to it. The number of II class compartments should be increased in the trains being run between Bahraich and Lucknow and Bahraich and Gorakhpur. The Railway Minister has stated in his Budget speech that the economically backward regions will be given priority in respect of conversion of meter gauge lines into broad gauge lines and laying new railway lines. Bahraich is a backward area and as such the Gorakhpur Tulsipur loopline may either be extended upto Sirsa-Bhinga or a direct rail line be laid between Tarhal and Bahraich via Sirsa-Bhinga.

We have embraced the principle of Socialism and Cooperation and keeping this policy in view we have abolished III class on Railways but still there is no improvement in the amenities to the passengers of this class. Instead, the facilities being given to them have been reduced. The sub-standard food stuff is served to the passengers of this class. The hon. Minister of Railways should look into the matter.

While inaugurating the Nangal-Talwara railway line in Himachal Pradesh the Railway Minister late Shri L.N. Mishra had given an assurance that the construction of this line would be completed within four years. I hope the work will be completed within the said stipulated period.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : गुजरात के लोग काफी अरसे से एक बड़ी लाईन अर्थात् भावनगर तारापुर रेल लाईन के निर्माण की मांग कर रहे हैं। यह लाईन बड़ी लाईन के ढांचे पर पश्चिम भाग को देश के अन्य भागों से जोड़ती है।

राज्य सरकार ने इस लाईन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यह आश्वासन दिया है कि वह सभी घाटे को और यदि छठे वर्ष के दौरान कोई घाटा हुआ तो उसे भी पूरा करेगी। इससे लगभग 6.75 प्रतिशत की दर से आय होगी लेकिन सर्वेक्षण मूल्यांकन के अनुसार छठे वर्ष के अन्त तक इसमें 5.98 प्रतिशत की दर से आय होगी, गुजरात इस बार सुखे से बुरी तरह ग्रस्त हुआ है और इस रेल लाईन के निर्माण कार्य के लिए कीमती भूमि दी है। लेकिन इस वर्ष के बजट में न जाने इसे स्थान क्यों नहीं दिया गया है। रेलवे को ऐसी स्थिति में, जबकि भयंकर सूखा पड़ा हैं, खुदाई कार्य अविलम्ब शुरु कर देना चाहिए।

अत्याधिक हर्ष की बात है कि रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में रद्द की गई गाड़ियों को 1 मार्च 1975 से फिर चालू कर देने का उल्लेख किया है। भावनगर में 35 से 38 गाड़ियां रद्द पड़ी उनमें से एक को भी चालू नहीं किया गया है।

रेलवे बोर्ड ने यह कह कर कि रद्द गाड़ियों को धीरे-धीरे चालू कर देंगे, रेल मंत्री को गुमराह किया है। रेलवे को चाहिए कि वह प्रत्येक डिवीजन में रद्द गाड़ियों को पुनः चालू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बताये।

सामान्यत: किसी एक व्यक्ति का मामला सभा के सामने नहीं रखा जाता। परन्तु मैं एक ऐसे कर्मचारी को हुई कठिनाई का उल्लेख करना चाहता हूं जो भावनगर के पैरा कंट्रोल रूम में कार्य करता है। उसने हड़ताल में भाग नहीं लिया परन्तु उसे अभी तक हड़ताल के समय का वेतन नहीं दिया गया है।

श्री पट्टाभिरामा राव (राजामुंद्री) : चालू वर्ष के आशावादी रेल बजट में 21 करोड़ टन माल के यातायात का लक्ष्य रखा गया है। यह अनुमान विभागीय यातायात में गिरावट को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। रेलें अधिक भार ढोने और अत्याधिक माल ढोने में भी पीछे रही हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उपनगरीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में यात्रियों के यातायात में कमी हुई है। प्रतीत होता है कि ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियां जारी रहेंगी। अतः इस बार बजट में थोड़ी सी बचत देख कर ढिलाई नहीं छोड़नी है और व्यय के मामले में सावधान रहना पड़ेगा।

खाद्यान्नों के भाड़े में वृद्धि औचित्यपूर्ण नहीं है। कहा गया है कि यह वृद्धि वर्तमान मूल्यों में खप जायेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।

ऐसा भी कहा गया है कि चालू वर्ष में कम आय का कारण उद्योग तथा व्यापार के लिए कोयले तथा बिजली की कमी है। हम समझते हैं कि मंत्री महोदय इस बारे में आशावादी रहेंगे। दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु की स्थिति उत्साहनजनक नहीं है जबकि देश के अन्य भागों की दशा अच्छी है। उन क्षेत्रों में जल सप्लाई और बिजली से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने की आशंकाएं है। वैगनों की कमी भी इन समस्याओं का एक कारण है।

रेलों के विस्तार के लिए धन का नियतन करते समय राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। मूल्यह्रास के अतिरिक्त अन्य मदों पर खर्चों का कोई औचित्य नहीं है जिसके फलस्वरूप वैगनों के निर्माण और क्रय जैसे महत्वपूर्ण खर्चों में भी कमी आ सकती है। उद्योगों में क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न होने का एक कारण वैगनों की कमी है। इस कमी को पूरा करने में मिली असफलता को औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

हैदराबाद दिल्ली एक्सप्रेस की चाल तेज की जानी चाहिए। गाड़ी सायं 6 बजे चल कर अगली रात वहां 10 बजे पहुंच सकती है।

हैदराबाद हावड़ा एक्सप्रेस तथा हैदराबाद मद्रास एक्सप्रेस नाममात्र की एक्सप्रेस गाड़िया हैं। संभवतः ये देश भर में सब से कम रफ्तार वाली गाड़ियां है। इन्हें डीजल से चलाया जाना चाहिए तथा इनकी रफ्तार तेज की जानी चाहिए।

दक्षिण मध्य रेलवे ने एक नई गाड़ी चलाई है जिसका नाम गोदावरी एक्सप्रैस है। यह जनता के लिए एक सुविधाजनक गाड़ी है लेकिन यदि इस गाड़ी की रफ्तार कुछ तेज कर दी जाये तो इससे लोगों की अधिक सेवा हो सकेगी। यदि कृष्णा एक्सप्रेस को डीजल से चलाया जा सकता है तो इस गाड़ी को भी शीघ्रातिशीघ्र डीज़ल से चलाया जा सकता है। वाल्टेयर से चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस सिकन्दराबाद में सूबह लगभग 6 बजे पहुंच जानी चाहिए। यदि विजयवाड़ा तथा हैदराबाद के बीच कुछ स्टेशनों पर यह गाड़ी न रुके तो यह संभव है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, Sir, the budget appears to have been prepared with an eye on the forthcoming elections. Although passenger fares have not been increased the poor, who take pulses and cereals, have been taxed indirectly.

The assurances given by the different incumbents of the office of the Minister of Rail - ways are not fulfilled. A serious and planned attempt is needed to be made to bring unifor- mity on the Railways.

Government could avoid the railway strike but Government had already drawn a plan to suppress the strike. Government sanctioned crores of rupees for keeping a watch on active trade union workers and for suppressing the strike. It could be avoided but, for the stubborn attitude of Government.

The Railway catering needs complete overhauling. Is it not a fact that there is illegal gratification worth several lakhs of rupees in awarding the contracts of canteens. I had alleg- ed in this House that Shri L.N. Mishra had accepted a sum of Rs. 60 lakhs from an associa- tion of certain canteen owners in consideraiion of renewing their licences but I have yet to get a reply. I have my own doubts about the proposed allotment of canteens to Co- operative societies of Harijans as the canteen owners of Bombay are already active here to lure the Railway Board and the Ministry of Railways. There should be no monopoly in running of railway canteens and a ceiling should be prescribed on allotment of canteens, trollies etc. Allotees of canteens should not be allowed to sub-allot the canteens.

Such basic passenger amenities as water, electricity, proper seats etc. are utterly lack ing on same Railways. For instance in my constituency Morena, there is no water, electricity alarm chains etc. on the narrow gauge train and the 50 years old coaches are being run with out any repairs. You have converted third class into second class but what is the fun in changing the name without providing the amenities hitherto available in second class coaches

You talk of economy. I was told in reply to a question that certain class I and class II officers were granted pay revision and promotion though there was no mention about them in the Third Pay Commission's report whereas employees of the lower levels have not been granted pay revision and upgradation in accordance with the report of the Pay Commission. I will appeal to the hon. Minister to pay attention to the four and a half lakh casual labour. Only 72 thousand of them have been made regular.

There is large scale pilferage of goods on the railways and the cases of settlement of claims contested by the Railways fall through in the courts as the railway's lawyers charge their loyalties. Then I will request that the T.T. Es. should also be included in the running staff. There should be one uniform for all the railways and attention should be paid to proper fitting of uniforms instead of sticking to 2-4 measurements.

You have granted recognition to a number of unions on the railways. The member- ship of Bhartiya Railway Mazdoor Sangh is 5 lakhs. It should be recognised.

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नालगौंडा) : सभापति महोदय, मैं यात्री किराये के बढ़ाने तथा ऐसे रेलवे कर्मचारियों की सेवा में, जिन्होंने हड़ताल में भाग तो लिया परन्तु जिन पर हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप नहीं हैं, व्यवधान को समाप्त करने के निर्णय की घोषणा के लिये रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं।

प्रधान मंत्री ने 7-4-1974 को बीकानगर में नडियाकुडे बीबीनगर बड़ी लाईन और गुंटूर मचेरला को बड़ी लाईन में बदलने का उद्घाटन किया था। दो वर्ष पहले इस पर 22 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था। पिछले वर्ष केवल 15 लाख रुपये दिये गये थे और इस वर्ष 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार चालू वर्ष की निर्धारित अवधि में यह कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। निजाम रेलवे के भारतीय रेलों में विलय के समय यह कहा गया था कि उस रेलवे की 6 करोड़ रुपए की बचत की रकम हैदराबाद क्षेत्र में कई लाईनें पर खर्च की जायेगी। यह राशि इस योजना को दी जानी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक ने चालू वर्ष के बजट में 4 या 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश भी की थी।

आन्ध्र प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक इस प्रदेश में कोई नई लाइन नहीं बनाई गई है। दिल्ली मद्रास के लिये जी०टी० एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस तथा गुंटुर तक जयन्ती जनता आदि अनेक गाड़ियां चलाई गई है परन्तु केवलमात्र आन्ध्र प्रदेश के लिये कोई गाड़ी नहीं है। विभिन्न रेल मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक राज्य की राजधानी के लिये दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस चलाई जायेगी परन्तु अभी तक केवल बम्बई और कलकत्ता के लिये राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है। यदि अभी तुरन्त राजधानी एक्सप्रेस चलाना संभव नहीं है तो दिल्ली और हैदराबाद के लिये दक्षिण एक्सप्रेस के अतिरिक्त, एक ऐसी गाड़ी चलाई जाये जिससे यात्रा में एक दिन और एक रात ही लगे। इस समय दक्षिण एक्सप्रेस से यात्रा में दो रात और एक पूरा दिन लग जाता है।

दक्षिण मध्य रेलवे पर डीजलीकरण और विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हैदराबाद और सिकन्दराबाद के बीच नामपल्ली से पालाकायमा, काचेगुडा और सिकन्दराबाद को एक यूनीमेज विद्युत सर्किट लाइन होनी चाहिए। वातानुकूलित स्लीपरों के स्थान पर 9 बजे रात्रि से प्रातः 6 बजे तक यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्वतः श्यानिका दी जानी चाहिए। गत दो वर्षों से रेल मंत्रालय आश्वासन देता रहा है कि सिकन्दराबाद में तथा जोनों के सभी अन्य प्रधान कार्यालयों में रेलवे सेवा आयोग गठित किये जायेंगे। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष से रेलवे आयोग बन जाने चाहियें। मंत्री महोदय को रेलवे भोजन व्यवस्था में सुधार की ओर भी ध्यान देना चाहिये। हाल में कुछ सुधार हुआ है लेकिन और सुधार होना चाहिये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि ऐसे सभी रेलवे कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध हिंसा या तोड़फोड़ के आरोप नहीं हैं; बहाल किया जायेगा परन्तु उड़ीसा के कुर्जह डिवीजन में वी०के०आर० राव नामक एक व्यक्ति तथा 168 अन्य श्रमिकों को वापस नहीं लिया गया है। उनके विरुद्ध हिंसा या तोड़फोड़ का किसी भी किस्म का कोई आरोप नहीं है। उनमें से सात को पहले की भूल आदि के लिये आरोप-पत्र दिये गये हैं जो गैर-कानूनी है। मंत्रालय को संबंधित अधिकारी को लिखना चाहिए कि इन सब कर्मचारियों को तुरन्त बहाल किया जाये।

जखपुरा-कांसपाली रेलवे लाइन के लिये गत वर्ष और इस वर्ष भी केवल पांच लाख रुपये दिये गये हैं जो नितान्त अपर्याप्त हैं। इसके लिये इस वर्ष कम-से-कम एक करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए । 1934 में तथा 1946 में पुनः गोपालपर से बोलनगीर के लिये बरास्ता असका और भंजनगर एक रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव था परन्तु विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद भी इसे हाथ में नहीं लिया गया है। बजट अथवा मंत्री महोदय के भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

गोपालपुर में एक रेअर अर्थ कारखाना स्थापित किया जा रहा है और लघु पत्तन के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। बोलनगीर के आदिवासी क्षेत्र से वन उत्पादों को लाने के लिये भी रेलवे लाइन की आवश्यकता है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोरवी (जमशेदपुर) : मैं 1975-76 के बजट का, जो एक संतुलित बजट है, स्वागत करता हूं।

रेलों का असली मालिक रेलवे बोर्ड है और मंत्रियों और सरकार की परवाह किये बिना जो चाहे कर सकता है। रेलवे बोर्ड को अब समाप्त कर देना चाहिये ताकि रेल मंत्री निर्बाध और स्वतन्त्र रूप में कार्य कर सकेंगे।

1971 में अपने प्रथम भाषण में मैंने जमशेदपुर में जुगसलाई बाजार रेलवे फाटक पर एक उपरि सड़क पुल बनाने तथा कलकत्ता में भूमिगत रेल बनाने का अनुरोध किया था। कलकत्ता में भूमिगत रेल के निर्माण का कार्य तो आरंभ हो चुका है परन्तु जमशेदपुर में उपरि पुल के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने भी इसकी सिफारिश की है और लोक हित एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। रेलवे सुरक्षा कोष से बिहार को प्रति वर्ष दिये जाने वाली राशि में से इसका निर्माण तुरन्त आरंभ किया जाना चाहिये।

राजगीर और बौद्ध गया के बीच रेल संचार व्यवस्था न होने के कारण विदेशों से आने वाले पर्यटकों तथा देशवासी तीर्थयात्रियों को बहुत असुविधा होती है। यह केवल 40 मील की दूरी है और यदि जयथियान गांव से होकर लाईन जाये तो यह दूरी 10 मील और कम हो जायेगी। राजगीर और बौद्ध गया के बीच एक बड़ी लाइन बनायी जानी चाहिए। छोटा नागपुर के पिछड़े क्षेत्र रांची-हजारीबाग-कोडरमा के बीच भी एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये।

ब्रांच लाइनों पर यात्री डिब्बों की हालत बहुत खराब है। मेरा निजी अनुभव है कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में सीटों पर गद्दे नहीं थे। सीटें फटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और लाइट नहीं थी। ऐसी ब्रांच लाइनों पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे नहीं होने चाहिये क्योंकि प्रथम श्रेणी के यात्री ही नहीं होते हैं और उनमें पुलिस व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही यात्रा करते हैं, जो टिकट भी नहीं लेते। इन गाड़ियों में टी०टी०आई० दिखाई नहीं देते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर सफाई में सुधार की आवश्यकता है तथा भिखारियों और कोढ़ियों को प्लेटफार्म पर नहीं आने देना चाहिये। रेलवे भोजन व्यवस्था बहुत खराब है जबकि दरें बहुत अधिक हैं। भोजन व्यवस्था के कर्मचारियों को सदव्यवहार और शिष्टता सिखाने की बहुत आवश्यकता है। रात्रि में यात्रियों

की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। दिल्ली जैसे बड़े स्टेशन पर भी रिजर्वेशन चार्ट गाड़ी प्लेटफार्म पर लग जाने के बाद भी डिब्बों पर चिपकाये नहीं जाते हैं जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। बुकिंग कार्यालय, माल गोदाम आदि सभी स्थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 10-15 रुपये देकर ही रिजर्वेशन हो सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने अनेक अनधिकृत बुकिंग आफिस देखे जा सकते हैं।

Shri Panna Lal Barupal (Gangánagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, first I will like to pay homage to late Shri L. N. Mishra, the former Railway Minister. The present Railway Minister also deserves to be complimented for not levying any fresh tax on passengers.

For the last twenty four years I have been pleading for a railway line from Shri Kolet Station to Falooidi in Bikaner Division. I appeal to the hon. Minister to pay attention to it. Then I will request to shift the present Railway Station of Bikaner to Nagneecha Mandir extending up to Lalgarh since at present the railway line passes through the thickly populated city area and there are as many as five level crossings. It should be done immediately.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि जब कोई सदस्य बोलता है तो अन्य सदस्य अध्यक्षपीठ और बोलने वाले सदस्य के बीच आते-जाते हैं। यह संसदीय प्रक्रिया के स्थायी नियम के विरुद्ध है। सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिये।

Shri Panna Lal Barupal : There should be a direct Express train between Delhi and Ganganagar with a first carriage for Hardwar and Amritsar. There should also be one two-tier and one three-tier carriage. Similarly the Ganganagar-Jaipur Express should be extended up to Suratgarh. Haryana Express for Hissar should be run through sadulpur to Hanumangarh.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरी बार कहना पड़ रहा है कि अध्यक्षपीठ और बोलने वाले सदस्य के बीच किसी भी सदस्य को आना-जाना नहीं चाहिये।

Shri Panna Lal Barupal : A shed should be constructed on the broad gauge section of the Ganganagar Railway Station. There should be direct express train between Bikaner and Jaipur.

While alloting tea stalls priority should be given to scheduled caste people and quota reserved for them in the railway service should be filled. There is a salt but between Faloudi and Gajner. There should be a railway siding at Gajner station for despatching salt to Assam. Bihar, Bengal and Punjab which will provide employment to 100 to 200 people.

Shri Vidya Dhar Bajpai (Amethi) : Sir, I congratulate the hon. Minister for presenting a budget which has won appreciation of all sections.

I have to make a very useful suggestion to make that the space in the railway compartments should be utilised for commercial advertising on a large scale to augment the railway income. I will also like to suggest the members of the Railway Board may be pursuaded

to give the privilege or railway saloon costing the railways Rs. 2-3 crores, which have no place in a democratic set up. If they do not do so voluntarily. The next inevitable step should be taken.

Pandit Kamalapati Tripathi showed his wits in dealing with the doctor's strike and he has been a protector of labour's legitimate rights so I appeal to him to reconsider the decision or shifting the labour court from Lucknow to a far off place.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : The third class has now been converted into second class but railway amenities have in no way been increased. A survey should be conducted to find out the railway line where there is overcrowding in trains and additional trains should be provided on such lines.

Rajasthan is a backward state with a rich mineral potential in its hilly areas and the lack of railway lines comes in the way of its development. Special attention needs to be paid to it. My constituency tonk has remained neglected for the last 25 years. Tonk Headquarters should be connected by a rail link. A number of stoppages on Toda Ram Singh section have been abolished and one of the only two trains has also be done away with. I will submit that the second train should be restored and number of stoppages should also be increased.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : श्रीमन्, मैं रेलवे बजट का स्वागत करता हूं। रेलवे हड़ताल के परिणामस्वरूप यात्री किरायों और माल भाड़े की दरों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

इस समय बिहार से कोयला ट्रकों द्वारा दिल्ली लाने पर प्रति ट्रक 300 रुपए डीजल पर खर्च होते हैं। ऊर्जा संकट को देखते हुए यह कहां तक उचित है? यदि बिहार, बंगाल और मध्यप्रदेश के कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने के लिये रेलवे रेक्स दे तो रेलवे की आय बढ़ने के साथ-साथ डीजल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। पांचवीं योजना के अन्त तक 1350 लाख टन कोयले की ढुलाई होती है। इसके लिये हमें अभी से तैयारी करनी चाहिये और कोयले की ढुलाई के लिये पर्याप्त मालडिब्बे उपलब्ध किये जाने चाहियें। गोमोह से गिरिडीह और मादोपुर से मन्दर हिल के लिये एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये ताकि रूरकेला से भागलपुर के लिये सीधी लाइन हो और कोयले गंगा तक ले जाया जा सके और वहां से कजरों और नौकाओं से बनारस, गोरखपुर और आजमगढ़ ले जाया जा सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र माधुपुर में 103 अप और 104 डाउन गाड़ियां रोकी जानी चाहियें। रांची से मरी होकर पटना के लिए एक रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिये और मरी में कम-से-कम तीन फालतू बोगी जोड़ी जानी चाहिये। चन्द्रपुर-दुग्दा में एक सार्वजनिक रेलवे ऊपरि पुल बनाया जाना चाहिये ताकि उस क्षेत्र के लोगों को शवदाह के लिये दामोदर नदी तक जाने के लिये मार्ग में रेलवे फाटक पर आठ-आठ घंटे तक न रुकना पड़े।

कम्प्यूटर यूनिट को मुगलसराय से हटाकर पटना ले जाने से यातायात में रुकावट पड़ेगी और रेलवे की कार्यकुशलता में अन्तर आयेगा। जयन्ती जनता एक्सप्रेस में पटना तक तो बहुप भीड़ रहती है। परन्तु इससे आगे वह आधी खाली जाती है। मेरा सुझाव है कि मोकामा में इसे दो भागों में बांट देना चाहिये, एक भाग समस्तीपुर जाये और दूसरा आसनसोल। इससे यात्री क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा।

17 LSS/75—11

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker. Sir, at the outset let me pay my homage to late Lalit Narain Mishra, the former Railway Minister. Then I will compliment the present Railway Minister for presenting a budget which has won appreciation from all sections.

I come from Saharsa, which is ill-served by a small track of 125 kilometres. The hon. Minister may please pay special attention to development of railway lines in this district. The construction of a railway line from Maghepura-Singheshwar and Simri-Bakhtiarpur to Bihariganj should now be started immediately since the survy has already been completed. Similarly the bridge over Kosi near Nimali and Saraigarh Raghopur should be constructed at the earliest and it may be named after late Lalit Babu. It will be a befitting homage to Lalit Babu to rename the Rail Bhawan as Lalit Narain Rail Bhawan.

I strongly object to the baseless allegations made by Shri Janeshwar Mishra and Shri Kachwai against late Lalit Babu. This House and the whole country is aware that assasination of Shri Mishra was the result of this character-assasination indulged in by the opposition.

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे विश्वास है कि श्री कमलापति त्रिपाठी, जो एक कुशल प्रशासक हैं, रेलों के सुचारू कार्यकरण में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस मंत्रालय को कुशलता और तत्परता और चलाने के लिये मंत्रालय के कनिष्ठ कर्मचारियों की सराहना करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं। रेलवे में 15 लाख कर्मचारी हैं। प्रबन्धकों और रेलवे कर्मचारियों के बीच भाई चारे के संबंध होना अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गंभीर संकट के समय राष्ट्र का साथ दिया।

हाल में दक्षिण-मध्य रेलवे ने हाल में एक संकल्प पारित किया था कि सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य उन्हें सौंपे जिसे वे "न लाभ न हानि आधार" पर चलायेंगे। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वे राज्य सरकार से कहें कि अधिक-से-अधिक संख्या में उचित मूल्य की दुकानें खोली जायें और रेलवे कर्मचारियों को दी जायें ताकि कर्मचारियों को उनसे लाभ पहुंचे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ भर्ती में न्याय नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि हरिजनों के लिये आरक्षित कोटे का कड़ाई से पालन किया जाये।

मैं अपने क्षेत्र में रायलसीमा के पिछड़े इलाके में कुछ रेलवे लाइनें बिछाने के लिये 1957 से अब तक गत 19 वर्षों से अनुरोध करता रहा हूं परन्तु सरकार अब 19 वर्षों बाद धन की कमी का तर्क रख रही है। नन्दयाल और ईरागुडीपाद के बीच रेलव लाइन तथा कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाये। दक्षिण-मध्य रेलवे जोन के पुनर्गठन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। कोबीनगर-नाड़ीगुडा परियोजना तथा मद्रास-विजयवाड़ा विद्युतीकरण योजना के लिये इतना कम धन दिया जा रहा है कि इन्हें पूरा करने में 30-40 वर्ष से भी अधिक समय लगेगा। श्री हनुमतय्या ने आरोप लगाया कि दक्षिण क्षेत्र के लिये दिये धन का उत्तर क्षेत्र के उपयोग हो रहा है। मंत्री महोदय को इस बारे में जांच करनी चाहिये।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : यह सही नहीं है।

Shri Narendra Singh Bisht (Almora) : I rise to support the Railway Budget which has been acclaimed even by the opposition. The annoucement of the Railway Minister to take back all railway employees except those who indulged in violence or sabotage during the strike has been welcome by all.

Then I will request the hon. Minister to take up the conversion of Ramnagar, Kaogodam. Tanakpur metre gauge line into broad gauge line. If a railway line similar to Simla track is laid from Tanakpur to Bageshwar it will greatly help the exploitation of magnesite and other mines in Pithoragarh and Tanakpur. I will also appeal to improve upon the poor representation of backward hill areas in the Railways.

I will suggest the utilisation of land on both sides of the railway track for agricultural purposes. The passenger amenities on Bareilly-Tanakpur section need to be considerably improved. Arrangements should be made for speedy transport of cement, iron, minerals and fertilisers and steps should be taken to check thefts and dacoities on trains. Attention should be paid to punctual running of trains and the railway catering should be improved.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I congratulate the hon. Railway Minister for not proposing any increase in the passenger fares though the increase in frieght rates will effect the common man to some extent.

I will request the hon. Minister to take up the conversion of metre gauge line from Barauni to Katihar into broad gauge line. There are about 4 lakh casual labourers in the Railways whose tenure depends on the whimes of the assistant engineer. The Assistant Engineer, Mansi and Bitpur Thana on the Samastipur Division of Eastern Railway is in particular replacing the casual labour frequently on accepting illegal gratification. It may please be looked into.

Then I will request you kindly to make Pasraha and Khanik as stoppages for the fast passenger from Barauni to Allahabad, known as Allahabad Express. The people of the area are even prepared to pay express fare. Similarly Narainpur should be made a stoppage for Vaishali Express. In the end I will appeal the present Railway Minister to kindly implement the assurance given by the former Railway Minister late Lalit Narayan Mishra for the development of Railways in the backward areas of Bihar.

श्री चिन्तामणि पणिग्रही (भुवनेश्वर) : मंत्री जी ने लोगों में जो विश्वास और आशा पैदा की है उससे मुझे प्रसन्नता हुई है। तथापि मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पारादीप पत्तन रेल व्यवस्था के लिये धनराशि की व्यवस्था की जा चुकी है पर वहां कार्य अभी भी आरम्भ नहीं हुआ है। कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाना चाहिये। खुदरा रोड एक डिवीजन है। यहां और डिवीजन मुटकल्लम में लगभग 14,000 रेल कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से एक केन्द्रीय स्कूल की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। केन्द्रीय विद्यालय यथाशीघ्र खोला जाना चाहिये।

जनकपुरा-बंसपाणी रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पर इस कार्य के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि इस कार्य हेतु कुछ एक करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की जाये

तो पारादीप के कार्य के पूर्ण होन के फलस्वरूप छटनी किये गये लगभग 2000 कर्मचारियों को रोजगार दिया जा सकता है।

तटवर्ती उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा से जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि वहां जनकपुरा-बंसपाणी तलचेर–सम्भलपुर लिंक, खुदरा रोड फूलबनी आदि परियोजनायें चल रही हैं।

बढ़ती हुई रेल लाइनों को देखते हुए उड़ीसा के लिये एक और डिवीजन की जरूरत है। राउरकेला सेक्टर के लिये भी एक और डिवीजन की आवश्यकता है।

दक्षिण-पूर्व रलवे के लिये तटवर्ती रेल जोन नामक एक दूसरा जोन होना चाहिये। इससे आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के लिये एक सुगठित जोन उपलब्ध हो सकेगा। इस जोन का मुख्यालय उड़ीसा या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाया जा सकता है।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 270 का संशोधन और नये अनुच्छेद 364 तक का अन्तःस्थापन)

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : Mr. Deputy Speaker I beg to move for leave to introduce a Bill to further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये। वे उपस्थित नहीं हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री उलगनम्बी के संविधान का और संशोधन करने संबंधी विधेयक पर आगे विचार करेंगे। श्री सेझियान अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : विधेयक में चुनाव आयोग के गठन संबंधी कुछ मूलभूत परिवर्तनों के सुझाव दिये गये हैं। इस संबंध में साम्यवाद दल के एक सदस्य ने कुछ असगत बातें कहीं हैं। मैं उन्हें सही रूप में रखना चाहता हूं। उनका विचार है कि राज्य स्वायत्तता एक खतरनाक चीज है। वे इस विधेयक का इसलिये विरोध कर रहे हैं कि यह विधेयक द्रमुक दल के सदस्य द्वारा पश किया गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट दल ने देश की एकता के लिये क्या किया है। ये लोग भारत को 1948 तक भी एक देश नहीं समझते थे। "दि फाइनेज बिल फार पावर" नामक पुस्तक जो कि 1948 में प्रकाशित हुई थी कम्युनिस्टों की विचाराधारा को स्पष्ट करती है। स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें यह आशा नहीं थी कि भारत एक देश होगा द्रमुक पहली बार स्वायत्तता की मांग नहीं कर रहा है। 1971 के चुनावों के दौरान ही हमने घोषणा भी की थी कि हम स्वायत्त राज्य चाहते हैं। इसके लिये हमने कारण भी दिये थे। हमारी मांग हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्टतः कही गई है।

दूसरी ओर के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि हम एक सदस्यीय चुनाव आयोग में विश्वास नहीं रखते तो बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में हमारा विश्वास कैसे हो सकता है। इस संबंध में हम उच्च और उच्चतम न्यायालयों के उदाहरण देते हैं। उच्च या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा किया गया निर्णय एक बैंच के पास जाता है और बैंच में अनेक न्यायाधीश होते हैं जिनसे हम एक परिपक्व और सुविचारित निर्णय की आशा कर सकते हैं। संविधान में भी चुनाव आयोग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आयोग का अर्थ ही एक से अधिक व्यक्तियों का संगठन है।

अमरीका जैसे देशों में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों और चुनाव लड़ने वाले दलों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर चुनाव संबंधी निर्णय लेते हैं और आयोग से मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगर कोई शिकायत आती है वे उस पर भी विचार करते हैं। हम किसी नई चीज की मांग नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिये गये निर्णय के गुण-दोषों पर विचार करे। आयोग में एक से अधिक व्यक्ति होना वांछनीय है अर्थात् वह बहुसदस्यीय होना चाहिये।

श्री जी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : संविधान में यह नहीं कहा गया है कि चुनाव आयोग में केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिये और न ही अन्यथा कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के बारे में भी यह नहीं कहा गया है कि उसके इतने न्यायाधीश होंगे। लोक सेवा आयोगों के संबंध में भी यही स्थिति

है। आयोगों की सदस्य संख्या राज्यपालों पर छोड़ दी गई है। उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या भी राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दी गई है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है।

[श्री एन० के० सिन्हा पीठासीन हुए।]

[Shri N. K. Sinha *in the Chair*]

चुनाव आयोग के लिये केवल एक ही व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

अब दो कारण दिये गये हैं। एक तो यह कि चुनाव का काम इतना अधिक है कि एक व्यक्ति उसे नहीं निपटा सकता दूसरा यह कि उसे प्रभावित किया जा सकता है। किन्तु अभी तक इस आशय की कोई शिकायत नहीं हुई है। अभी तक किसी ने यह नहीं कहा है कि काम कम हुआ है। चुनाव निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होते रहे हैं और मतदाता सूचियां समय पर तैयार होती आई हैं। हर काम समय पर हुआ है और किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। अब रही बात उस व्यक्ति के प्रभावित होने की। उसके प्रभावित न होने की सबसे बड़ी गारन्टी यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो किया जाता है पर हटाया नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को तो तभी हटाया जा सकता है जबकि यह सदन उस पर महा-अभियोग लगाये। उसके कार्य-काल, सेवा की शर्तों, वेतन, यात्रा भत्ते आदि सब चीज की गारन्टी दी गई है। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह अपने कार्य के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है। अतः उसके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कारण है कि चार व्यक्तियों के होने से निष्पक्षता रहेगी। पर इसकी क्या गारन्टी है कि वे चार व्यक्ति प्रभावित नहीं होंगे। अन्तर वास्तव में यह होगा कि वह प्रभाव कई गुना बढ़ जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे प्रभावित होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

साथ ही इसका एक और खतरनाक परिणाम हो सकता है। हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। चुनाव हुए हैं और हो रहे हैं। यदि अनियमितता, अवैधता, प्रभाव, दबाव, आदि के नाम पर संशोधन किये गये तो वे हमारे मूलभूत उद्देश्यों और मूल्यों के विपरीत होंगे। किसी भी संशोधन में, परोक्ष रूप से भी यह कहना कि दश का लोकतंत्र लोकमत से नहीं चल रहा है और जो भी कानून पास किये गये हैं वे जनता की स्वीकृति के बिना पास किये गये हैं, लोकतंत्र विरोधी होगा, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): यह विधेयक अनावश्यक है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। संविधान के अनुसार चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके लिये सेवा शर्तों आदि की समुचित व्यवस्था है। वह पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उन्हें केवल संसद द्वारा महाअभियोग लगा कर ही हटाया जा सकता है। और यही उनकी सेवा की गारण्टी है। इसी प्रकार की गारण्टी अन्य चुनाव आयुक्तों तथा क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को दी गई है। अतः सरकार इन्हें प्रभावित नहीं कर सकती है।

कुछ विरोधी सदस्यों का मत है कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालय की तरह और उसी आधार पर चुनाव आयोग के लिय भी एक से अधिक सदस्यों की व्यवस्था की जा सकती है। चुनाव आयोग मुख्यतः एक कार्यकारी संस्था है, यद्यपि इसका कार्य अर्ध-न्यायिक ही है। इसे सम्पूर्ण देश में निष्पक्ष चुनाव कराने

होते हैं। यदि उसका कार्य बढ़ रहा है तो उसे कुछ और व्यक्ति दिये जा सकते हैं। पर ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से सुझाव आने पर ही किया जाना चाहिये।

गत पच्चीस वर्षों के अनुभव से हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम यह आशा नहीं कर सकते कि केवल आयोग की सदस्य संख्या बढ़ा देने से ही वह अधिक कार्यकुलता से काम करेगा। अतः मेरे विचार से यह विधेयक अनावश्यक है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रत्येक राज्य के लिये चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है क्योंकि दिल्ली में बैठ कर सारे देश के चुनाव कार्य पर निगरानी रखना उसके लिये सम्भव नहीं है। अतः मुख्य निर्वाचक अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशासनिक सुविधा के लिये ही की जा जाती है। और वे सोधे मुख्य चुनाव आयुक्त की देख-रेख में कार्य करते हैं।

एक सुझाव यह भी है कि क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किये जायें। ऐसा कहने का अभिप्राय राज्यों की स्वायत्तता के लिये दलील देना है। भारत राज्यों का संघ है साथ ही यह संघात्मक भी है। इसे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों में विभाजित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केन्द्र में एक चुनाव आयुक्त होना जरूरी है जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी हो। कार्यभार अधिक होने पर आयोग में एक से अधिक सदस्यों की नियुक्ति अनुचित नहीं होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि सदस्य अपना विधेयक वापस ले लें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I agree with the objective of this Bill yet there is one deficiency in it. It does not provide for the regulation of the appointment of Chief Election Commissioner and other Member of the Commission. They are appointed by the President on the advice of the cabinet. This means that a final decision in this regard would that of the Prime Minister. I feel it is absolutely improper. Only one individual should not mind such absolute power. In the charter of demands submitted to the speaker yeaster-day. it has been demanded that the appointment of Election Commissioner should be made by a three-Member election board consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of the Supreme Court and a representative of the opposition parties. In order to ensure that there is an impartial Election Commissioner, the selection of its members should be made in an appropriate manner.

The present election machinery is not impartial, The Election Commission makes use of the Government machinery of the State for election purposes because it does not have independent machinery of its own to conduct elections. This makes a lot of diffe-rence. I feel that Election Commission should have such power as would enable it to select returning officers from some independent cadre. Only the Magistrates or sub-divisional Magistrates should not be appointed returning officers. Some provisions should be includ-ed to ensure impartial elections at lower levels also. The Election Commission should have an independent organisation of their own.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Chairman, Sir, I would like to make a few points in this regard. Election commission is the creation of our constitution and is therefore, a part of the same. Elections are being conducted since 1952 and leaders and members of opposition parties are being elected to all bodies right upto Parliament. A large number of leaders and members of opposition parties were elected in 1967. At that time they had no complaint but how why they doubt the Election Commission.

Many examples are being cited in support of the charges. Election law is one for all When opposition parties formed Governments in several states, no doubt was expressed against Election Commission. If a member is elected to this House from opposition parties today then it is alright but doubt is raised when a member is elected from ruling party. Every now and then it is not good to ask for changes in the law. It would be better to do some constructive work instead of criticizing each and every officer. Our Election Commissioner is an experienced officer. His precdecessor was also a capable officer. It is wrong to say that officers are committed to ruling party. We have honest officers in the country who are not influenced even by the Ministers. All of us, whether Members of Parliament or Officials working in the Government come from the same society. In a democracy there is no difference between a member of ruling party and a member of opposition party. Every elected member is supposed to be equally respectable and honest.

Shri Hukam Chand Kackwai : (Morena) : Your actions creat doubt because you have been elected by false methods. Congress securing 48 percent votes is ruling over those securing 64 percent votes.

Shri M. Ram Gopal Reddy : On this basis you have not received even one percent votes.

Shri Dinen Bhattacharyya (Serampore) : Your Calculation is wrong.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Even if we have received 48 percent votes, there are many such people among you as have their ideology similar to that of Congress and in this way our percentage goes upto 65-70.

Shri R.R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman, Sir, a very important point has been presented for discussion of the House by Shri Ulaganambi through this bill. There may be some difference in the ways of understanding things but if we make a study of the elections held so far in the country we see that there is no independent machinery for elections in the states instead the machinery there is subordinate the administrators. Governments should prove that the elections are impartial. I have seen that changes are made in D.M.S. and Deputy Collectors, who were returning officers, before elections. Such things happened in Uttar Pradesh in 1974 elections. Officers were transferred to the places where they have their influence in the public and this was also made a criterion for thier promotion. This bill aims at making elections impartial. If an amendment is necessary in the Constitution it shouid be made. The instance of Supreme Court should not be repeated here. A.I.R. is already defamed. Therefore, a comparehensible bill should be brought and such measures should be taken that no one can raise finger against you and future generation may not say that power was therefore misused. This bill should therefore be passed.

Mr. Chairman : According to items 3 and 4 of the list of Business for today Shri Madhu Limaye had to introduce two Bills. But he was not here. Hence, I give special permission for introducing them.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 352 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Chairman, Sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Bill further to amend the costitution of India.

Mr. Chairman : The question is "That leave be granted to introduce the Bill further to amend the Constitution of India".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 359 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye: Mr. Chairman, Sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Bill further to amend the constitution of India.

Mr. Chairman : The question is: "That leave be granted to introduce the Bill further to amend the constitution of India."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य श्री उलागनम्बी द्वारा पेश किये गये अनुच्छेद 324 में संशोधन करने के विधेयक में दोनों पक्षों के सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह आज विश्व का एक सफल लोक तंत्र भी है। देश की उच्चतम अथवा निम्नतम प्रतिनिधि सभा के लिये चुनाव प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है और गत 25 वर्षों से निर्वाचन आयोग यह कार्य बड़ी कुशलता से निभाता आ रहा है।

माननीय सदस्य का विधेयक मुख्यतः दो बातों पर आधारित है। उनके कहने के अनुसार यदि उनका सुझाव मान लिया गया तो इससे कुशलता बढ़ेगी और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव होंगे। उन्होंने अनुच्छेद 324 के खण्ड (2) और (3) के प्रतिस्थापन का भी प्रस्ताव किया है। साथ ही खण्ड 5 के प्रतिस्थापन और और खण्ड 6 के बाद एक और खण्ड जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद, विधान मण्डल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये मतदाताओं की सूची तैयार करने का कार्य निर्वाचन आयुक्त का है और यह उसी के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण में होगा। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों, यदि कोई है तो नियुक्ति करने की व्यवस्था है। ऐसी कोई बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग में अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं है आवश्यकता पड़ने पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा सकती है।

कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है और राज्यों में जो व्यवस्था है निर्वाचन आयोग उसी को अपनाकर अपना कार्य करता है यदि राज्यों में वर्तमान व्यवस्था का निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किया जाता है तो यह केवल चुनाव कराने के लिये सहायक तंत्र के रूप में ही उपयोग किया जाता है इससे किसी नीति या कार्यक्रम का निर्धारण नहीं होता है, विपक्षी दलों के सदस्यों के मतानुसार यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रभावित हो सकता है तो अन्य आयुक्त के लिये भी यही कहा जा सकता है। 1952 से आजतक सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान व्यवस्था का सफल ढंग से उपयोग करते आये हैं और जब कभी कोई चुनाव कराने में उनके मार्ग में कोई कठिनाई आई है तो उन्होंने उन कठिनाईयों को बड़ी सफलता से काबू करने का प्रयास किया है। अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता या अनिवार्यता पर तो राष्ट्रपति ही अपनी इच्छा से निर्णय दे सकता है। इसके लिये व्यवस्था है किन्तु इस पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय किया जाना है कि यह आवश्यक है या नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा आयुक्तों को हटाने की भी संविधान में व्यवस्था है। मैं यह कह सकती हूं कि इन वर्षों में जैसी भी आपात स्थितियां रही हैं चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक कार्य किया जो कि सराहनीय है। 1971 के बाद निर्वाचन आयोग ने लोक सभा के लिय 32 और राज्य विधान संभाओं के लिये 90 चुनाव कराये हैं। इसके अतिरिक्त मध्यावधि चुनाव और उप चुनाव भी कराये गये हैं। कठिन परिस्थितियों में भी चुनाव कराये गये हैं मतदाताओं की अत्यधिक संख्या के बावजूद भी निर्वाचन आयोग का कार्य सम्पादन बड़ा ही सफल रहा है।

श्री मधु लिमये ने तारकुंडे समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख भी किया है। उन्होंने भी कहा है कि बहु सदस्यीय आयोग होना चाहिये केवल प्रश्न कार्य के शीघ्रता तथा कुशलता से होने का है और साथ ही कार्य मितव्ययता से हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एक सदस्यीय आयोग बड़ी योग्यता तथा कुशलता से कार्य कर रहा है और इसमें वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि और सदस्य बनाये गये तो न केवल व्यय में वृद्धि होगी किन्तु परस्पर विरोधी एवं भिन्न भिन्न प्रतिवेदन होंगे जिससे कार्य में विलम्ब होगा और मुकदमेबाजी भी होगी। चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिये एक सदस्यीय व्यवस्था उत्तम है। विधेयक में नियम एवं विनियमों का भी उपबन्ध किया गया है। प्रश्न उठाया गया है कि वर्तमान नियमों एवं विनियमों में निर्वाचन आयोग के कार्य सम्पादन में क्या कठिनाई है। कुछ विशिष्ट मामलों पर जिनकी ओर ध्यान दिलाया गया है, निर्वाचन आयोग ने बड़ी तेजी से कार्यवाही की है।

कहा गया है कि मतदाता सूचियों में से उन मतदाताओं को निकाल दिया गया है जिनकी आयु 1-1-1975 को 21 वर्ष की हो गई है। वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार सूची की जांच करने और शिकायत करने का पूरा अवसर दिया गया है। किन्तु मतदाता सूचियों को पूरा करने के भिन्न भिन्न तरीके ही हो सकते हैं जिनमें एक है नाम बढ़ाने और नाम निकालने का मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्वाचन आयोग द्वारा उठाई गई कठिनाइयां, लिया गया समय, किये गये परिश्रम आदि को ध्यान में रखना होगा और यदि उसमें भी कोई गलती रह गयी है तो उसे निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया जाना चाहिये।

सुझाव दिया गया है कि शिकायत करने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये। यह सुधार का मामला है और इसका सुझाव संयुक्त समिति ने भी दिया है। सदन में एक विधेयक विचाराधीन पड़ा है। चुनाव संबंधी सुधार का विषय महत्वपूर्ण है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है जब भी सुधार की आवश्यकता हो परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या मतदान की आयु बढ़ाई जानी चाहिये अथवा नहीं। सरकार का ध्यान सदैव इस बात पर है कि कैसे इसे ठोस रूप दिया जाये। जहां तक आयोग के सदस्यों में वृद्धि किये जाने का प्रश्न है, जब तक काम शीघ्रता से तथा कुशलता से चल रहा है, वृद्धि किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का उपबन्ध पहले ही संविधान में है। अतः यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे विधेयक पर वाद विवाद में भाग लिया और मुझे प्रसन्नता है कि अनेक सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। जिन सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है उन्होंने कोई भी ठोस बात नहीं कही है। निसन्देह अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का उपबन्ध संविधान में अवश्य है लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है इसके लिये तो अनिवार्य उपबन्ध होना चाहिये।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि अधिक आयक्त नियुक्त किये जा सकते हैं। यह उचित समय है क्योंकि कार्यभार बढ़ गया है और ऐसी भी शिकायतें हैं कि निर्वाचन में विलम्ब हो रहा है। उदाहरणार्थ त्रिवेन्द्रम में निर्वाचन स्थगित किया जा रहा है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा है। एक सदस्यीय आयोग पर सत्ताधारी दल अपना प्रभाव डाल सकता है किन्तु बहुसदस्यीय आयोग में यह सम्भव नहीं है। इस बारे में मैंने कई बातें कहीं है जिनके विचार से बहुसदस्यीय आयोग ही उचित है। श्री मरुगनत्तम ने अपने भाषण में द्र० मु० क० की जो आलोचना की है वह इस संबंध में निराधार और सन्दर्भहीन है। किन्तु अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग लोकतंत्रीय तरीके से कार्य नहीं कर रहा है और जनता की आकांक्षाओं का आदर नहीं करता है। संविधान के निर्माताओं ने भी राज्य चुनाव आयोग बनाने के बारे में चर्चा की। उदाहरणार्थ परिसीमन आयोग में तमिलनाडु के सभी लोक सभा सदस्यों ने तमिल नाडु राज्य से लोक सभा सदस्यों की संख्या 39 से बढ़ाकर 40 करने के लिये कहा। चुनाव संबंधी मामलों पर निरंकुशता से कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। कहा गया है कि मेरा विधेयक स्पष्ट नहीं है। मैंने आरम्भ में ही विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है चुनाव व्यय को कम करने की बात कही गयी है और अधिसूचना जारी होने तथा चुनाव किये जाने के समय के अन्तर को कम करने के लिये कहा गया है। चूंकि यह स्वयं

कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है अतः उन्हें चाहिये कि वे प्रधान मंत्री एवं अपने पक्ष से यह करवायें जहां तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता का प्रश्न है, यह सभी जानते हैं कि किस प्रकार चुनाव आयोग प्रभावित हुआ है।

सभापति महोदय : आपको प्रत्येक सदस्य का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में मैंने श्री एस० के० पाटिल के उप-चुनाव का उल्लेख किया है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण है। जिनसे यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है। कई सदस्यों ने इस विधेयक को लाने के लिये मुझे बधाई दी है। और कहा है सिद्धांतरूप में वे इसका समर्थन करते हैं। विधेयक का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव आयोग निष्पक्षरूप से काम करता है।

सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की न्यायिक पृष्ठभूमि हो यदि मुख्य चुनाव आयुक्त की कोई न्यायिक पृष्ठभूमि नहीं है तो वह अपने कार्य के प्रति न्याय नहीं कर कर सकता है और राष्ट्रपति को उचित सलाह नहीं दे सकता है। विधेयक का सीमित उद्देश्य है कि बहुसदस्यीय आयोग बनाया जाय जो निष्पक्षता और स्वतन्त्र रूप से काम करे। इसका अनुच्छेद 324 में उपबन्ध है किन्तु इसकी क्रियान्विति राष्ट्रपति अर्थात् मौजूदा सरकार पर निर्भर करती है। इस सभा की मांगों, संयुक्त समिति की सिफारिशों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं और देश के राजनीतिक विचारकों की मांग के बावजूद भी सरकार इसे क्रियान्वित करने में असफल रही है। श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त एक समिति ने कहा है कि चुनाव आयोग की हाल के वर्षों में वह स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता नहीं रही है जो पहले थी क्योंकि चुनाव आयुक्तों का निर्णय हमेशा ऐसी कसौटी पर आधारित नहीं रहा है जिससे जनमत के सभी वर्गों का उसे विश्वास हो। उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चुनाव आयोग का इस प्रकार गठन होना चाहिये कि उसमें एक से अधिक सदस्य हों। इसी उद्देश्य से मैंने यह विधेयक पेश किया है। अतः मैं माननीय महोदय तथा सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पास करें।

सभापति महोदय : क्या आप मंत्री महोदय की विधेयक वापस लेने की प्रार्थना स्वीकार करते हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : नहीं।

सभापति महोदय : अतः मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः मतदान डिवीजन से होगा। प्रश्न यह है:

"कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

The Lok Sabha divided:

"Ayes" पक्ष में 16 **"Noes"** विपक्ष में 53।

सभापति महोदय : मत-विभाजन का परिणाम है: पक्ष में 16, विपक्ष में 53, प्रस्ताव के पक्ष में अपेक्षित बहुमत नहीं रहा। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Chairman, Sir, I have given notice of a motion under rule 388 in regard to the imposition of sentence on Tibetan boys.

मेरा प्रस्ताव है कि तिब्बती बालकों को कल दी गई सजा को कम कर आज सभा के उठने तक कारावास की सजा दी जाये ।

Mr. Chairman: I have not yet received this motion.

Shri Madhu Limaye : I have come to know that Hon'ble speaker has not allowed it. But you have to give a ruling there on.

Mr. Chairman : My information is that Hon'ble speaker is considering it.

Shri : Madhu Limaye: I have been told that Hon'ble speaker has disallowed it. Under Rule 10 you are competent to allow me to move this motion for suspending the rule. There is no question of speaker in this.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय मैं आपका तथा सभा संविधान के अनुच्छेद, 101, 102 और 103 का संशोधन करने तथा संसद सदस्यों के संसद सदस्य बने रहने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक पेश करने का अवसर दिया है । मेरा निवेदन है कि सभा और मंत्री महोदय विधेयक की मूल भावना तथा उद्देश्यों को समझें ।

हमारी स्वतंत्रता का मूल प्रयोजन यह था कि देश लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा संविधान से शासित हो । अतः जब तक संसदीय लोकतंत्र जिसकी लोकतंत्र में वरीयता है, सफल नहीं होता है, देश की उन्नति नहीं हो सकती है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि संसद को किस प्रकार कार्य करना चाहिये तथा संसद सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां, कर्तव्य होने चाहिये । इस पर विचार करने के बाद हम लोकतंत्रीय वरीयता के बारे में सार्थक चर्चा कर सकते हैं । इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में मेरे तर्क यह है कि

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मार्च, 1975/19 फाल्गुन 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjounred till Eleven of the Clock on Monday, the 10th March, 1975/Phalguna 19, 1896 (Saka).

MGIPRRND—V Day—17 LSS/75—5-7-75—200